खण्ड-157, अंक-1
सोमवार, 28 भाद्रपद, शक संवत् 1877
(19 सितम्बर, 1955 ई0)

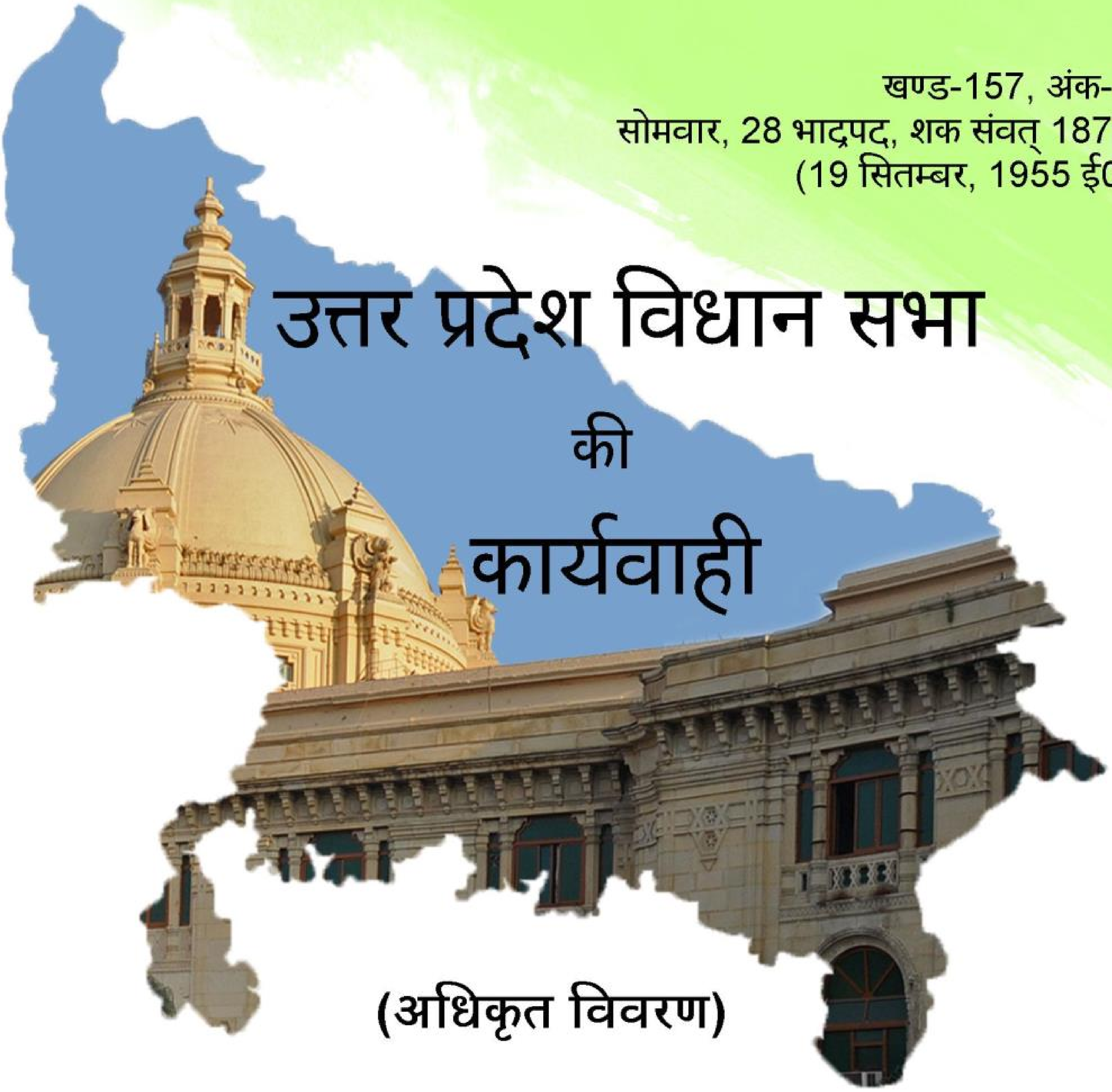

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 157 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १९ सितम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४४)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेंद्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयेंद्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयाल शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिमअली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री

बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेंदुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री

रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री

हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १९ सितम्बर, १९५५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

झांसी में नेताओं के विरुद्ध गन्दे साहित्य के प्रचार के सम्बन्ध में गिरफ्तारियां

**१—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या १५ अगस्त, १९५५ को झांसी में कुछ ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है जिसके सम्बन्ध में यह संदेह है कि वे प्रधान मंत्री पंडित नेहरू जी के विरुद्ध कोई षडयंत्र रच रहे थे ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी नहीं।

**२—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन व्यक्तियों का किसी राजनैतिक दल से सम्बन्ध था ?

**३—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या यह सत्य है कि इन लोगों ने बहुत-सा आपत्तिजनक साहित्य झांसी के ही किसी प्रेस में छपवा कर वितरित किया था ? यदि हां, तो वह कहां-कहां बांटा गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न नहीं उठते।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त मास में झांसी में इस संबंध में दिल्ली की पुलिस ने यू० पी० पुलिस की सहायता से कुछ गिरफ्तारियां की थीं ? यदि हां, तो कब और कितनी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस संबंध का तो मतलब मैं समझा नहीं लेकिन हां, गिरफ्तारियां हुई थीं, दस व्यक्ति गिरफ्तार हुये थे झांसी में यू० पी० पुलिस की मदद से।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं—'इस संबंध में से' मेरा मतलब प्रधान मंत्री नेहरू जी और देश के अन्य लीडर्स से है उनके संबंध में यह कहा जाता है कि वे किसी धार्मिक या राजनीतिक संस्था से संबंधित हैं ? यदि हां, तो किससे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—किसी राजनीतिक संस्था से तो उनका संबंध मालूम नहीं होता और किसी धार्मिक संस्था से भी संबंध मालूम नहीं होता, लेकिन एक कोई बाबाजी हैं उनके शिष्य या साथी जरूर ये लोग हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में जो बाबाजी गिरफ्तार हुये हैं वे बक्की और झक्की किस्म के आदमी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वह झांसी के निवासी हैं, माननीय सदस्य उनसे ज्यादा परिचित होंगे, मेरा तो उनसे परिचय ह नहीं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो व्यक्ति पकड़े गये हैं उनके पास पंडित नेहरू और देश के अन्य लीडरों की हत्या के संबंध में कुछ आपत्तिजनक साहित्य बरामद हुआ है ? यदि हां, तो क्या वह सरकार को प्राप्त हो गया है और वह उसकी प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—आप एक सवाल कीजिये ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो व्यक्ति पकड़े गये हैं उनके पास पंडित नेहरू और देश के अन्य लीडरों की हत्या के संबंध में कुछ आपत्तिजनक साहित्य बरामद हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, कुछ साहित्य बरामद हुआ है और उसकी प्रतिलिपि भी इस समय मेरे पास है । उसमें किसी की हत्या की बात तो नहीं है, लेकिन इस देश के कई गणमान्य नेताओं, पुरुष और स्त्रियों के संबंध में इन बाबाजी की कविता है और वह कविता इतनी गन्दी है कि मैं समझता हूं कि कोई शरीफ आदमी मुंह से तो उसे पढ़ नहीं सकता है । उसकी एक दो पंक्ति पढ़ने के बाद और भी किसी को पढ़ने की इच्छा नहीं होगी । अगर किसी साहब को फिर भी शौक हो तो वह मुझसे लेकर देख सकते हैं ।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—क्या यह सत्य है कि इस गिरोह के कुछ आदमी मुरादाबाद में भी पकड़े गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं । मेरी समझ में केवल बाबाजी शायद पूना में पकड़े गये लेकिन और किसी जगह किसी के पकड़े जाने की खबर मुझको नहीं है ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—क्या मुख्य मंत्री जी मेहरबानी करके फरमायेंगे कि यह जो कविता बाबाजी के पास से बरामद हुई है यह उनकी कही हुई है या दूसरों ने कह कर उनको दिया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—नाम तो कई जगह रत्नागिरि, जो बाबाजी का नाम है, वही लिखा हुआ है । उससे मानना चाहिये कि उनकी ही रचना होगी ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि इस संबंध में कुछ व्यक्ति पकड़े गये हैं, जो देवी के मंदिर में दर्शनों के लिये जाते थे जहां बाबाजी ठहरते थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अब पकड़े गये हैं, किन अपराधों में पकड़े गये हैं, महज दर्शनों को आते थे या क्या, इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता । यह तो अदालत से तय होगा ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो साहित्य पकड़ा गया है और जिस प्रेस में छपा है तो उसके अधिकारी गिरफ्तार किये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह बाबाजी कहां के रहने वाले हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ठीक तो नहीं मालूम, लेकिन यह मालूम हुआ है कि यह अक्सर झांसी में दीखते थे ।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में सी० आई० डी० से रिपोर्ट कराई गई या नहीं ? यदि हां, तो उसने क्या रिपोर्ट दी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस मामले की जांच-पड़ताल पुलिस कर रही है, उसने अगर सी० आई० डी० से कराई होगी तो उसने की होगी ।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या बाबाजी के इस साहित्य को सरकार की ओर से जब्त करने की घोषणा की गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक मालूम हुआ है कि इसका बहुत ज्यादा प्रचार नहीं हुआ है केवल चेले चाटों में ही वह बांटा गया है ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह साहित्य जहां छपा है उसका क्या नाम है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बुन्देलखंड प्रेस, मानिक चौक, झांसी ।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि झांसी को छोड़ कर दूसरे स्थान में भी इस संबंध में गिरफ्तारियां हुई हैं ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझको जहां तक पता है एक दो गिरफ्तारियां हुईं और खुद बाबाजी पूना में गिरफ्तार हुये ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या वजीरेआजम मेहरबानी करके फरमायेंगे कि वह कौन शख्स है और ओहदे के एतबार से क्या कहा जाता है जिसको इस मामले की तहकीकात करने के लिये इंचार्ज किया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं नहीं जानता, दिल्ली पुलिस के कोई आफिसर होंगे ।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बाबा रत्नागिरि कब से यह प्रचार कर रहे थे ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न मैं समझता हूं कि उठता नहीं है, क्योंकि तहकीकात दूसरे लोग कर रहे हैं ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या वजीरेआजम साहब मेहरबानी करके फरमायेंगे कि कोई जिम्मेदार अफसर यू० पी० पुलिस को दिल्ली की पुलिस के साथ मामूर किया जाय जो इस वाकेय की मुफस्सिल रिपोर्ट आपके सामने पेश करे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसा कभी नहीं होता कि जहां एक स्टेट की पुलिस होती है वहां दूसरे स्टेट की पुलिस लगाई जाय और न हमारा ऐसा इरादा है ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह गिरफ्तारियां जो झांसी में हुईं उनमें कुछ रेलवे कर्मचारी थे, और कुछ का ट्रेड यूनियन के आदमियों से संबंध है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ट्रेड यूनियन में तो नहीं लेकिन एक आध आदमी रेलवे में मुलाजिम थे और बाबा जी जिनके साथ ठहरा करते थे, वह दो तीन आदमी रेलवे वर्कशाप में काम करने वाले हैं ।

तारांकित प्रश्न

बनारसी बाग की कुक्कुट प्रदर्शनी पर व्यय

*१—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि २१ जनवरी, १९५५ ई० को बनारसी बाग में जिस मुर्गा-मुर्गी प्रदर्शिनी का प्रारम्भ किया गया उसमें सरकार का कुल कितना रुपया व्यय हुआ ?

कृषि मंत्री के सभासचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—८,९९३ रुपया ३ आना ९ पाई ।

*२—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—इस प्रदर्शिनी में कहां-कहां से और कुल कितने-कितने मुर्गे और मुर्गियां लाई गई थीं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७० पर।)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी जो यह मुर्गियां रखी गयी थीं वह ऐनीमल हस्बेंडरी की सब थीं या प्राइवेट लोगों की भी थीं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—इसमें प्राइवेट लोगों की भी थीं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो खर्चा रु०८९९३-३-९ है, यह किन-किन मदों पर खर्चा हुआ है और कितना-कितना ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—यह जो खर्चा हुआ है वह प्रदर्शिनी के ऊपर ही खर्च हुआ है। उसके आर्गनाइज करने और उसके बनाने पर ज्यादा खर्च हुआ है। उसका ब्यौरेवार तो खर्चा मेरे पास इस वक्त नहीं है।

प्रदेश में गन्ना, गेहूं, धान एवं आलू की प्रति एकड़ औसत पैदावार

*३—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश की गन्ना, गेहूं, धान और आलू की एकड़ पीछे औसत पैदावार कितनी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—

फसल	प्रति एकड़ औसत पैदावार (मनों में)
१—गेहूं ..	८.१४
२—गन्ना ..	३९.५० (गुड़ के रूप में)
३—धान ..	८.८३
४—आलू ..	१००

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस औसत में क्या सरकारी फार्मों की पैदावार भी शामिल है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जो प्रदेश का औसत दिया जाता है उसमें सभी पैदावार शामिल करते हैं तभी औसत निकलती है।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि क्या उन्होंने इन वस्तुओं की औसत बढ़ाने के लिये कोई टारगेट निश्चित किया था ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी हां।

श्री जगदीशप्रसाद—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि वह टारगेट क्या था और उसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जहां तक उसके अलग-अलग टारगेट का ताल्लुक है वह तो इस समय मौजूद नहीं है। सिर्फ गन्ने का मौजूद है उसमें ७०० मन का टारगेट मुकर्रर था। अभी तक उस टारगेट तक हम पहुंचे नहीं हैं। वह सन् १९५६ तक के लिये है कि यह पैदावार होगी। बाकी रही पैदावार, वह तो सभी चीजों में बढ़ी है। गन्ने में तो खास तौर पर बढ़ी है।

गेहूं और आलू की पैदावार भी बढ़ी है और दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में हमारे यहां इसकी पैदावार अच्छी है ।

ट्रेन्ड तथा अनट्रेन्ड लेखपाल

*४—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने लेखपाल हैं और उनमें से कितने की ट्रेनिंग कराई गई है और कितने बाकी हैं ?

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—उत्तर प्रदेश में केवल १८,११९ लेखपाल हैं जिनमें ८५२० या तो पुराने पटवारी हैं या वे हैं जो पटवारी की परीक्षा पास हैं और जिन्हें किसी वैभागिक ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है । शेष ९५९९ लेखपालों में से ८८१६ को ट्रेनिंग दी गई है और ७८३ बाकी हैं ।

*५—श्री रामसुभग वर्मा—सरकार बाकी लेखपालों की ट्रेनिंग कब कराने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह प्रश्न भूमि व्यवस्था कमिश्नर के विचाराधीन है ।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या यह सही है कि जो अनट्रेन्ड लेखपाल हैं वह निकाल दिये जायंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अगर किसी का रिकर्ड खराब होगा या काम खराब होगा तो वह निकाला जा सकता है या जो कोई अगर ट्रेनिंग जो दी जायगी उसमें पास नहीं होगा तो निकाल दिया जायगा ।

श्री रामसुभग वर्मा—यह प्रश्न विचाराधीन कब तक रहेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जनवरी में परीक्षा कराने का विचार है, अगर तय हो गया तो करीब-करीब जनवरी में परीक्षा होगी ।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री महोदय इसको उचित समझते हैं कि जितने लेखपाल हैं उन सबकी ट्रेनिंग करा दी जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह लेखपाल कई क्लासेज के हैं, एक तो वह हैं कि जिनको २ वर्ष का तजुर्बा हो चुका है, दूसरे वह हैं पहले कुछ थोड़ा सा ट्रेनिंग पा चुके थे, लेकिन अभी उनकी स्पेशल ट्रेनिंग की परीक्षा नहीं हुई है और कुछ ऐसे भी हैं जो पहले की परीक्षा में फेल हो गए थे उनको भी मौका दिया जायगा और इस तरह के लोगों की ट्रेनिंग का इन्तजाम किया जायगा ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जितने पुराने पटवारी थे उन सबको इस वक्त लेखपाल बना दिया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सब पुराने नहीं बनाये गये हैं, बल्कि जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था या जिन्होंने इस्तीफा देकर मियाद के अन्दर वापस ले लिया था, केवल उन्हीं को बनाया गया है ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पंचायतों के सेक्रेटरियों को भी लेखपाल बनाने की कोई स्कीम सरकार के यहां है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी इन दोनों सर्विसेज को इकट्ठा करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

प्रदेश में ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त ग्रामों को सहायता

*६—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले के अतिरिक्त प्रदेश के किन-किन जिलों में हाल की ओलावृष्टि से हानि हुई है ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—आजमगढ़ के अतिरिक्त प्रदेश के ३० अन्य जिलों में खरीफ १३६२ फसली की ओलावृष्टि से हानि हुई है, जिनकी सूचना सदस्य की मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७१ पर ।)

*७—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि प्रत्येक जिले में कितने-कितने गांव इस उपल वृष्टि से क्षतिग्रस्त हुये हैं और कितनी हानि हुई है ?

श्री चरणसिंह—प्रदेश भर में उपल वृष्टि से २४३२ ग्राम क्षति ग्रस्त हुए तथा फसल को ।।) के लगभग हानि हुई । इसके अतिरिक्त मेरठ जिले में ६ व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई । जिलेवार सूची कार्यालय में देखी जा सकती है ।

*८—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि सरकार ने सहायता हेतु आमतौर पर क्या-क्या कार्यवाही की है ?

श्री चरणसिंह—पीड़ित ग्रामों में निम्नलिखित सहायता आमतौर पर दी गई—

			रु०
लगान में छूट	..	..	४,५३,१५४—४—९
तकावी	..	..	१०,८६,०००—०—०
अहेतुक सहायता अनुदान ..		..	५९,३००—०—०

इसके अतिरिक्त लगान की वसूली भी स्थगित कर दी गई और कुछ जिलों में लगान में छूट देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

घाघरा नदी के कारण आजमगढ़ जिले में धर्मपुर, देवारा आदि गांवों के गृहविहीन परिवार

*९—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ के धर्मपुर, देवारा, दुवारी, बरोहा, मोलनापुर और मूसाडोहीं के कितने परिवार नदी घाघरा से इस वर्ष मकान कट जाने के कारण गृहविहीन हो गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ के धर्मपुर, देवारा, दुवारी, बरोहा, मोलनापुर और मूसाडोही के १६८ परिवार घाघरा नदी से इस वर्ष मकान कट जाने के कारण गृहविहीन हो गये हैं ।

*१०—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त देवारों के किसान परिवारों को वह अन्य कहीं खेती तथा बसने की जगह देगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उपरोक्त १६८ परिवारों में से ११९ परिवार गांव समाज की भूमि पर बस गये हैं, २५ परिवार अपने असली घर जिला गैर में चले गये हैं तथा शेष २४ अभी तक नहीं बस सके हैं । इनका प्रबन्ध किया जा रहा है । खेती के लिये भूमि देने का उचित प्रबन्ध

किया गया परन्तु अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली। अब लखीमपुर खीरी में प्रारम्भ योजना के अनुसार इन लोगों के प्रार्थना-पत्र भूमि प्राप्ति के लिये संबंधित अधिकारी, उपनिवेश योजना, लखीमपुर-खीरी के पास भेजे जा रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि किन-किन गांवों के गांव-समाजों की भूमि पर ये ११९ परिवार बसाये गए हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह धर्मपुर, मोलनापुर आदि कई गांव-समाज की भूमि है जहां वे बसाये गये हैं, बरोहा की गांव-समाज की जमीन पर भी बसाये गये हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ये २४ परिवार जो अब तक नहीं बसे हैं वे किस गांव के हैं और अब तक कहां हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ये वे लोग हैं जिनको जो-जो जमीन दी गई वह उसको लेने को तैयार नहीं हुए, वह ऊंची जमीन चाहते थे, यह मैं ठीक नहीं बता सकता कि वह किस गांव के हैं।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि अभी तक इन गांवों में कटाव जोरों से जारी है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—हां, हो सकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन १९ परिवारों को फिर से बसाने के लिये सरकार ने कुछ मदद नहीं दी है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी तक तो ऐसी कोई खास मदद नहीं दी गई है, लेकिन जो स्कीमें अब बन रही हैं उनके अनुसार इन्हें भी मदद दी जायेगी।

राज्य में ट्रैक्टर वर्कशाप खोलने की मांग

*११—**श्री श्रीचन्द्र**—क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि उत्तर प्रदेश में छोटे ट्रैक्टरों के बनाने का कारखाना खोला जाय? यदि हां, तो वह योजना क्या है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—छोटे ट्रैक्टरों का बनाने का कारखाना खोलने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

*१२—**श्री श्रीचन्द्र**—क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में बड़े-बड़े और अनेक प्रकार के ट्रैक्टरों के प्रयोग से लाभ के बजाय हानि हो रही है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जहां तक सरकार का विचार है, ट्रैक्टरों से जुताई करने से भूमि अथवा फसल को हानि नहीं होती है।

*१३—**श्री श्रीचन्द्र**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ट्रैक्टर वर्कशाप कहां-कहां हैं और उनमें क्या-क्या सामान बनाया जाता है और उनकी खपत किस प्रकार से होती है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—माननीय सदस्य का उद्देश्य शायद कृषि इंजीनियरिंग वर्कशापों से है। यह वर्कशाप लखनऊ, बरेली, मेरठ और झांसी में हैं। यहां बनने वाले सामान और मरम्मती कार्य की अनुसूची माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है। वर्कशापों में बनाया गया सामान दूसरे सरकारी विभागों तथा निजी संस्थाओं और व्यक्तियों के हाथ बेचा जाता है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७२ पर।)

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ट्रैक्टर का कारखाना खोलने में सरकार को क्या कठिनाइयां हैं?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—ट्रैक्टरों के बनाने का कारखाना हैवी इंडस्ट्री के सिलसिले में आता है। अव्वल तो यह कि वहां से पंच वर्षीय योजना में कोई हस्सा मिले तब हो सकता है और दूसरे यह कि अभी तक उसके लिये कच्चा सामान, जहां तक हमें मालूम है, इस सूबे में नहीं है।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में ट्रैक्टरों से खेती करने के कारण गौ की नस्ल की बेकदरी और कमी होती जा रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—ऐसी कोई इत्तिला नहीं है।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ट्रैक्टरों के पार्टस् आसानी से नहीं मिलते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुये ट्रैक्टरों के आने में रुकावट डालने के प्रश्न पर विचार करना चाहती है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—यह तो सही नहीं है कि पार्टस् आसानी से नहीं मिलते हैं बल्कि बहुत से ट्रैक्टर्स ऐसे हैं जिनके पार्टस् मिलते हैं। अगर काफी नहीं मिलते हैं तो जो कारखाने हैं वे उन पुरजों को बना भी देते हैं।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मैदानी क्षेत्र में किसानों ने ट्रैक्टरों का प्रयोग कम कर दिया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—ऐसी कोई इत्तिला तो नहीं है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो फेहरिस्त पुरजों और मशीनों की दी हुई है इनसे क्या दूसरे प्रदेशों में और देशों को कुछ मशीनें या पुरजे भेजे जाते हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जहां तक यह सवाल है कि कहां जाता है तो वह तो आर्डर आने पर जाता है और दूसरे यह है कि अगर वह अपने कामों से खाली हों तो वहां भी जा सकता है।

बनारस जिले के महाइच परगने के कृषकों को सूखे के कारण मालगुजारी में छूट

*१४—**श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी** (जिला बनारस) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बनारस जिले के महाइच परगने के पूर्वी भाग में रबी की फसल सूखे के कारण एकदम नष्ट हो गई है ?

श्री चरणसिंह—बनारस जिले में महाइच परगने के पूर्वी भाग में कुल ५६ गांवों की रबी १३६२ फसली की फसल को सूखा से हानि पहुंची थी जिसमें से केवल २७ गांवों में हानि की मात्रा रुपये में ८ आना या उससे अधिक थी।

*१५—**श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी** (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार वहां रबी की लगान में छूट शीघ्र दिलाने पर विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह—उपर्युक्त क्षेत्र की मालगुजारी में ६८०१ रु० ४ आ० की छूट दी जा चुकी है।

*१६-१८—**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)—[१७ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

बकाया मोटर टैक्स की वसूली

*१९—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार को पता है कि रीजनल ट्रान्सपोर्ट अफसरों ने लोगों को इस आशय के नोटिस दिये हैं कि उन्होंने १५-१५, २०-२०

वर्षों से मोटर का टैक्स नहीं दिया है अतएव वह फौरन अदा करें अन्यथा वह मालगुजारी की भांति वसूल किया जायेगा और मुकदमा चलाया जायेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

*२०—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त प्रकार के कितने नोटिस दिये गये हैं और कितनी रकम बकाया पड़ी है तथा साल दर साल वसूली क्यों नहीं की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—६,४६६ नोटिसें दी गईं। लगभग ६० लाख रुपया बकाया है। यह बकाया रकम उस समय की है जब कि मोटर रजिस्ट्रेशन का कार्य जिले के कार्यालयों में हुआ करता था।

*२१—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त नोटिसों के अनुसार अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—नोटिस पाने पर जिन लोगों ने बकाया टैक्स जमा नहीं किया, उन्हें सूचना देते हुये संबन्धित जिलाधीश को यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ की धारा १४ के अन्तर्गत बकाया रकम मालगुजारी के रूप में वसूल करने के लिये लिख दिया गया और वे समुचित कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि बहुत से ऐसे लोगों को नोटिसेज जारी किये गये हैं जो अपनी गाड़ियों को मुद्दतों पहले बेच भी चुके हैं।

श्री चतुर्भुज शर्मा—कुछ ऐसे केसेज हो चुके हैं, लेकिन कारण यह है कि जिनके पास गाड़ियां हैं और अगर वे नोटिस न दें तो जब तक वे नोटिस नहीं देते हैं दफ्तरों में तब तक उनके नाम भी टैक्स का हिसाब रहता है। अगर ऐसा होता है तो पहले टैक्स बना कर दें बाद में रिफंड हो जाता है। अभी माननीय यातायात मंत्री ने यह निश्चय किया है कि इस रूल में परिवर्तन कर दिया जाय और आर० टी० ओज० को ३,००० रु० तक के लिये अधिकार दे दिये जायं कि वे ऐसे लोगों के एकाउंट (हिसाब) एडजस्ट कर दिया करें और ३ हजार के ऊपर वाले केसेज को ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर एडजस्ट कर दें जिनके ऊपर कि टैक्स वाजिब नहीं है और जिनको रिफंड करना है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या यह बात सही है कि इन मोटर वालों से जिनसे बकाया टैक्स मांगा जा रहा है, उनके पास ऐसी गाड़ियां हैं जो कभी सड़कों पर चली नहीं हैं और उनसे टैक्स मांगा जा रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार बतायेगी कि जिस तरह से तीन वर्ष तक मालगुजारी वसूल न होने पर मालगुजारी माफ कर दी जाती थी, उसी तरह से इसमें भी तीन वर्ष के बाद वालों का टैक्स माफ कर देगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसा कोई नियम नहीं है। न मालगुजारी के लिये है, न इसके लिये है। जो स्टेट के ड्यूज होते हैं वे वसूल ही होते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद—क्या सरकार बतायेगी कि इस प्रकार के नोटिसेज सब डिवीजन्स में दिये गये हैं या कुछ विशेष डिवीजन्स में ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सब रीजन्स में दिये गये हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या आर० टी० ओज० को इस प्रकार की हिदायतें दी गई हैं कि जिनके केसेज ऐसे जेनुइन हों, तो नोटिसेज इश्यु करने के पहले ही उनके केसेज की जांच भी कर ली जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—पहले यह मालूम नहीं हो सकता है कि कौन-सा केस जेनुइन है। नोटिस उन्हें खुद देना चाहिये कि हमारी गाड़ी नहीं चल रही है और हमने अपनी गाड़ी बेच दी है। ऐसे केसेज पर ही टैक्स का बकाया रह गया है जिन्होंने नोटिसेज नहीं दिये। नोटिस उन्हें स्वयं देना चाहिये।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर ने सरकार से अनुरोध किया था कि ऐसे मामलों में जिनमें चन्द वर्षों से यह पता नहीं चला कि मोटरें किसके पास हैं और उनका क्या हुआ, उनके टैक्सेज रद्द कर दिये जायं। यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मेरे ख्याल में ऐसा कोई नोटिस नहीं आया होगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अटेचमेंट जारी करने के पहले क्या माननीय मंत्री जी इस बात की कोशिश करेंगे कि उन सबकी छानबीन हो जाय कि उनकी गाड़ियां सड़क पर चलीं या नहीं चलीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—नोटिस के बाद जवाब आता है और उसमें मालूम हो जाता है कि वसूली होनी चाहिये या नहीं। इस छानबीन के बाद ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वसूली करता है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस वसूली का काम किस विभाग के जिम्मे था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सन् १९४७ के पहले डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज के जिम्मे था और १९४७ के बाद यातायात विभाग के जिम्मे यह काम आ गया।

श्री गेंदासिंह—बकाया की इतनी बड़ी रकम को देखते हुए जिन अफसरों के जमाने में इतनी बकाया बाकी है, क्या उनके विरुद्ध सरकार ने कोई कार्यवाही की ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अब इतने दिनों का मामला हो गया। फिर यह एक्स्ट्रा वर्क था जोकि डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज के पास था। उनके पास दूसरे काम थे। इस कारण यह नहीं कहा जा सकता कि इतनी बकाया इस कारण हुई कि उन्होंने कोई नेगलिजेंस (लापरवाही) की।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन बकायादारों में कुछ राजनीतिक-पीड़ितों के जिम्मे भी बकाया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—हो सकता है कि कुछ लोग हों। जिन्होंने न दिया होगा वे होंगे।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार को १९४७ के बाद हर वर्ष अपनी बकाया की फेहरिस्त देखने का मौका मिला या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—हर साल तो रिपोर्टें आती हैं, लेकिन क्योंकि हमारे यहां आर० टी० ओ० के दफ्तर में क्लर्कों की बड़ी कमी है और कुछ जरा ऐसा पुराना पेचीदा मामला है, इसलिये यह पड़ा रहा। अब हमने यह कोशिश की है और

एफ० डी० से मांग की है कि कुछ नये क्लर्क दे दिये जायं, क्योंकि बकाया की रकम बड़ी है और अगर उस रकम की वसूली के लिए नये क्लर्क रखेंगे, तो काम सुलझ जायगा और वसूली में सहूलियत होगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन रूल्स में चेंज होने की बात माननीय मंत्री जी ने अभी कही, वह रूल्स कब तक बदल जायेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा— यह तो जो प्रोसीडयोर है रूल्स बनाने का, उसके अनुसार होगा, फिर हाउस के अन्दर आयंगे और जितनी जल्दी आप कर देंगे, हो जायगा।

फरेंदा तहसील, जिला गोरखपुर के राजनीतिक पीड़ितों द्वारा तराई-भाबर में भूमि प्राप्त करने के हेतु प्रार्थना-पत्र

*२२—श्री गौरीराम (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि फरेंदा तहसील, जिला गोरखपुर के राजनीतिक-पीड़ितों ने तराई-भाबर में करीब दो साल हुये खेती करने को भूमि प्राप्त करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे जिनका अब तक उनको कोई उत्तर नहीं मिला ?

श्री चरणसिंह— ऐसा सम्भव नहीं है। परन्तु प्रश्न में प्रार्थियों के नाम, प्रार्थना-पत्र की तिथियां तथा उस ग्राम का नाम जहां भूमि चाही गई थी, आदि ब्योरा नहीं दिया गया है, अतः कोई निश्चित उत्तर देना संभव नहीं है।

काशीपुर, जिला नैनीताल में विद्युत घर का निर्माण

*२३—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि काशीपुर, जिला नैनीताल का विद्युत घर कालोनाइजेशन विभाग द्वारा तैयार हो गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शारदा से बिजली प्राप्त हो जाने पर भी काशीपुर में कालोनाइजेशन विभाग की ओर से कार्य होता रहेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो कालोनाइजेशन, उसी के अन्डर में है, शायद इसी से होता रहे।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कालोनाइजेशन का बिजली घर लाभ पर नहीं चल रहा है ? यदि हां, तो सरकार को कितना वार्षिक घाटा होता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

जालौन जिले के ग्राम लमसर व मैनूपुर के अग्निदुर्घटना-ग्रस्त परिवारों को सहायता

*२४—राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या सरकार को मालूम है कि ४ मई को ग्राम लमसर तथा २९ मई को ग्राम मैनूपुर, तहसील कालपी, जिला जालौन में भीषण आग लगने से पूरे ग्राम जल कर भस्म हो गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ग्राम लमसर में ४ मई को नहीं, बल्कि ४ जून को व ग्राम मैनूपुर में २९ मई, सन् १९५५ को भीषण आग लगी। ग्राम लमसर में २२ तथा ग्राम मैनूपुर में ४३ मकान जले।

*२५—राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार को मालूम है कि ग्राम लमसर में ४० परिवार तथा ग्राम मैनूपुर में ४३ परिवार इस आग दुर्घटना के शिकार हुये और उनके घर, अनाज, भूसा, कपड़ा सब कुछ जल कर राख हो गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ग्राम लमसर में केवल २२ परिवार तथा मैनूपुर में ४३ परिवार इन आग दुर्घटनाओं के शिकार हुये। यह सत्य है कि उनके घर, अनाज, भूसा, कपड़ा सब कुछ जल कर राख हो गये।

*२६—राजा वीरेन्द्रशाह—यदि यह सही है, तो सरकार इन परिवारों को क्या सहायता देने को सोच रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ग्राम लमसर में ग्रस्त परिवारों को १,६९० रुपया तकावी के रूप में दिया गया तथा ग्राम मैनूपुर में ३,६६५ रुपया तकावी के रूप में दिया गया। १,००० रु० मुख्य मंत्री के कोष से प्राप्त हुए, जो परगनाधीश को वितरण के लिये दे दिया गया है।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार ने अभी कोई जांच कराई है कि यह नुकसान कितने रुपयों का किसानों का हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अन्दाज ऐसा है कि लमसर में २७,४६१ रुपये और मैनूपुर में ७३,८६६ रुपये की हानि हुई है।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार को पता है कि वह जो तकावी का रुपया किसानों को दे रही है वह कम है और उनका नुकसान देखते हुये सरकार उसको बढ़ाने का विचार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी दुर्घटनाओं में नुकसान की पूर्ति तो नहीं हो सकती। तकावी तो इसलिये दी जाती है कि उनका काम चल पड़े और वे अपना-अपना काम कर सकने के लायक हो जायं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिस तरह बाढ़, अतिवृष्टि और सूखे से फसल और अनाज वग़ैरह नष्ट हो जाने पर सरकारी मालगुजारी में छूट सरकार देती है, उसी तरह आग से फसल और भूसा आदि नष्ट हो जाने पर भी वह छूट देती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—आग मकानों में लगती है जिससे मकानों का नुकसान होता है, फसल को नुकसान नहीं होता है। इसलिये मालगुजारी के सवाल में इसमें जरा फर्क पड़ जाता है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जिसका अनाज और भूसा सब मकान के अन्दर भस्म हो जाता है उसके बारे में सरकार छूट देती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उसमें यह नहीं पता लग सकता है कि जब आग लगी थी उसके पहले उन्होंने कितना गल्ला बेच लिया, कितना खर्च कर डाला और कितना जला। इसलिये इससे भी यह सवाल हल नहीं होगा।

श्री शिवनारायण—जिनका खलिहान जल गया है क्या सरकार उनकी मालगुजारी में छूट देगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—छूट के लिये नियम बने हुये हैं। उनमें जो केसेज आ जाते हैं उनको छूट मिल जाती है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार खलिहान के जल जाने पर छूट के सम्बन्ध में नियमों में परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी ऐसी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके जिले के अधिकारियों को नेचुरल कैलामिटी में आग से लगने वाली घटनाओं को भी शुमार करने के लिये आदेश देंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसे आदेश हैं।

*२७–२८—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—[३ नवम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या १–२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

प्रदेश में रोडवेज की ट्रकें तथा उनसे आय

*२९—**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने मील पर रोडवेज बस चल रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मार्च, १९५५ के अन्त में रोडवेज की बसें ६२९७ मील सड़क पर चलती थीं।

*३०—**श्री विश्रामराय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस समय कितनी रोडवेज विभागीय ट्रक उत्तर प्रदेश में चल रही हैं और १९५४–५५ में उनसे कितनी आमदनी विभाग को हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मार्च, १९५५ को अन्त में रोडवेज की १४९ ट्रकें चल रही थीं और उनसे १९५४–५५ में १०,२९,३५१ रु० ११ आ० २ पाई की आय हुई।

तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में चकबन्दी योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों में हरिजन तथा पिछड़ी जाति के कर्मचारी

*३१—**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में होने वाली चकबन्दी में कितना स्टाफ कार्य कर रहा है और उसमें हरिजन व पिछड़ी जातियों के कितने सज्जन लिये गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में कुल ६५५ कर्मचारी चकबन्दी योजना के अन्तर्गत नियुक्त किये गये हैं। जिनमें से १३ कर्मचारी परिगणित जाति के तथा ५५ कर्मचारी पिछड़ी जाति के हैं।

खाद्यान्नों की गिरती हुई कीमत के कारण जमीनों के सर्किल रेटों को कम करने की आवश्यकता

*३२—**श्री अनन्तस्वरूप सिंह** (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खाद्यान्नों की तेजी से गिरती हुई कीमतों को देखते हुये उनका विचार जमीनों के सर्किल रेटों (Circle rates) में कमी करने के प्रश्न पर विचार करने का है या नहीं ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं।

*३३—**श्री अनन्तस्वरूप सिंह** (अनुपस्थित)—अगर है, तो कब तक रेट कम करने का काम शुरू हो जायगा ?

श्री चरणसिंह—यह प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी बीज गोदामों के कामदारों की सालाना तरक्की

*३४—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी बीज गोदामों में जो कामदार रक्खे गये हैं उनकी सालाना तरक्की क्या रक्खी गई है और कितने जिलों में दी जाती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—कृषि विभाग के बीज गोदामों में जो कामदार रखे गये हैं उनकी सालाना तरक्की इनके वेतन क्रम ३०—१—३५ में एक रुपया है और प्रदेश के सब जिलों के कामदारों को सन्तोषजनक काम करने पर दी जाती है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कुछ जिलों के कामदारों की तरक्की बहुत दिनों से रोक ली गई है ? क्या वह इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जैसा कि बतलाया गया है हर जिले में उनकी तनख्वाह ३०—१—३५ है। कहीं काम संतोषजनक नहीं हुआ होगा तो उनकी तरक्की वहां रोकी गई होगी।

सदर तहसील गोरखपुर के विभिन्न ग्रामों में राप्ती नदी द्वारा क्षतिग्रस्त कृषकों की सहायता

*३५—श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सदर तहसील गोरखपुर के गांव घुनघुन कोठा, रघुनाथपुर राप्ती नदी से कट रहा है ? क्या इसकी पूरी खेती कट गई है और बस्ती भी कई बार कट चुकी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। खेती पूरी नहीं कटी। बस्ती दो बार कट चुकी है।

*३६—श्री केशव पांडेय—क्या सरकार इन गांवों के काश्तकारों को खेती तथा बस्ती के लिये कोई जमीन देने को सोच रही है ? यदि हां, तो वह कब तक दी जायेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और अभी निर्णय नहीं हो सका है।

*३७—श्री केशव पांडेय—क्या सरकार इसी तहसील के गांव गायघाट के टोला, पन्देली, बुढेली के काश्तकारों को किसी दूसरे स्थान पर बसाने के लिये व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो अब इस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह प्रश्न भी अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि घुनघुन कोठा गांव में कुल कितनी भूमि खेती की थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि घुनघुन कोठा और रघुनाथपुर की कितनी खेती बची है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—घुनघुन कोठा वग़ैरह में थोड़ी सी खेती बची है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जो बस्तियां कटी हैं उनका कटाव कब से प्रारम्भ हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो बतला दिया गया है कि पहले भी बाढ़ में कटा था और इस साल भी कटा है। शायद चार-पांच साल से यह सिलसिला जारी है।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह दोनों गांव कब कट चुके थे? दुबारा सरकार को इसकी सूचना कब मिली?

श्री चरणसिंह—घुनघुन कोठा एक बार पहले कट चुका है, तारीख और सन् मालूम नहीं। दुबारा इस साल कट रहा है। वहां के रहने वालों को बसाने की कोशिश हो रही है, स्टेशन के ऊपर की एक जमीन में, वह कहते हैं कि वहां भूत-प्रेत रहते हैं और वह इसलिए इन बस्तियों के दक्षिण में बसना चाहते हैं लेकिन वहां खेती हो रही है और इसलिये उनको समझाने की कोशिश हो रही है।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी को वहां के काश्तकारों ने कुछ ऐसी सूचना दी है कि उनके खेत जो कट कर उस पार चले गये हैं वह उन्हीं को दे दिये जायं, सरकारी खजाने से मुआवजा देकर?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसकी तो सूचना नहीं है, लेकिन वहां आम रिवाज यह है कि जो जमीन कट जाती है उसमें ऐसा माना जाता है कि जो जमीन धार के इधर रह ईश वह इधर की होती है और जो उधर चली गई वह उधर की हो जाती है। कोशिश यह की जा रही है और दूसरी तरफ वालों को समझाया जा रहा है कि वह जमीन उनको ही वापस दे दें जिनकी थी। अगर वह मान लें तो ऐसा इन्तजाम किया जा सकता है लेकिन जिन गांवों में वह जमीन चली गई है, वह इसके लिये तैयार नहीं हो रहे हैं

श्री रामकुमार शास्त्री—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि घुनघुन कोठा किस रेलवे स्टेशन के करीब है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—डामनगढ़ स्टेशन के उत्तर।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि घुनघुन कोठा के कितने गांव नदी में कट गये हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—२७ गांव कटे हैं।

*३८—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—[१७ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

माडल उद्योगशाला हायर सेकेंडरी स्कूल, गोविन्द नगर, कानपुर को रिफ्यूजियों नथा शिड्यूल्ड कास्ट के छात्रों के लिए सरकारी सहायता तथा उसका निरीक्षण

*३९—श्री वासुदेवप्रसाद मिश्र (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माडल उद्योगशाला हायर सेकेंडरी स्कूल, गोविन्दनगर, कानपुर को क्रमशः १९५२–५३ व १९५३–५४ तथा १९५४–५५ में रिफ्यूजियों तथा शिडयूल्ड कास्ट व अन्य सहायता किस प्रकार और कितनी दी गई है?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—माडल उद्योगशाला हायर सेकेंडरी स्कूल, गोविन्द-नगर, कानपुर को १९५२–५३ व १९५३–५४ तथा १९५४–५५ में रिफ्यूजियों के लिये निःशुल्क तथा पुस्तकों आदि के खरीदने के लिये नगद सहायता के रूप में क्रमशः ९,९६३) व १,३२४।।) तथा ३२०) दिये गये। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क करने के कारण घाटे की पूर्ति के लिये इस स्कूल को इन्हीं वर्षों में क्रमशः ३०६) व १,३८५) तथा १,२७५।=) दिये गये। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग ने भी इस स्कूल को १९५२–५३ में ५००) निर्वाह अनुदान के लिये दिये, पर १९५३–५४ व १९५४–५५ में कुछ नहीं दिया।

*४०—श्री वासुदेवप्रसाद मिश्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रिफ्यूजी हेतु विद्यालयों को दी जाने वाली सहायता का निरीक्षण भी होता है कि वह उचित और सही रूप में वितरण हो? यदि हां, तो कौन अधिकारी जिले में इसके लिये उत्तरदायी है?

श्री हुकुमसिंह—हां, जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक।

*४१—श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—[४ अक्तूबर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या २९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील में दी गई रबी के बीज की तकावी तथा उसकी वसूली

*४२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील में गत रबी के बीज की तकावी कितनी प्रदान की गई थी और उसमें से अब तक कितनी वसूल हो चुकी है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील में गत रबी में बीज की तकावी ६८,००० रु० बांटी गई थी जिसमें से २२,००० रु० अब तक वसूल हो चुकी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री जी बतायेंगे कि २२ हजार की जो वसूली है वह किस महीने तक की है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—महीना तो नहीं, लेकिन यह अभी स्थगित कर दी गई है और जब स्थगित हो गई तो उसके पहले की ही हुई होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि घोसी तहसील के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में तकावी की वसूली मई से ही स्थगित कर दी गई, फिर भी वसूली जारी रही?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जब से स्थगित होने का आर्डर गया है तब से कोई वसूली नहीं हुई होगी।

तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों को सहायता

*४३—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर में कितनी क्षति गोमती तथा पीली नदियों से हुई है और कितनी गुजरा तथा पुरई तालों से?

श्री चतुर्भुज शर्मा—तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर में जितनी क्षति गोमती तथा पीली नदियों से हुई है और जितनी गुजरा तथा पुरई तालों से हुई, वह इस प्रकार है :—

क्षति

	मकानों को	फसल को	कुल क्षति
	रु०	रु०	रु०
गोमती नदी ..	४,५८,६१०	१,६०,०००	६,१८,६१०
पीली नदी ..	२९,०८५	६०,०००	८९,०८५
गुजरा ताल ..	१८,६२०	८०,०००	९८,६२०
पुरई ताल ..	६,९४८	३२,८५०	३९,७९८

*४४—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में सरकार की तरफ से जनता को कौन कौन सुविधायें दी गईं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में सरकार की ओर से निम्नलिखित सुविधायें दी गईं।

		रु०
(१)	अहेतुक सहायता (अनुदान) ..	३,९००
(२)	गृह निर्माण के लिये अनुदान ..	१४,५००
(३)	विपत्तिकालीन तकावी	१५,०००
(४)	बीज, बैल तथा कृषि के लिये साधारण, ऐक्ट १२ के अधीन तकावी	३५,०००
(५)	गैर काश्तकारों को गृह निर्माण के लिये तकावी ..	१५,०००

इसके अतिरिक्त सस्ते गल्ले की दूकानें पिलकिच्छा, बदुलापुर तथा सिगरामऊ में खोली गई। मुफ्त दवा बांटने तथा टीके लगाने का प्रबन्ध किया गया। लगान को छोड़ कर सभी राज्य करों की वसूली रोक दी गई है। स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब विद्यार्थियों की ५ माह की फीस माफ कर दी गई है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मकानों की जो यह क्षति हुई है तो ऐसे मकानों को ऊंची जमींन पर बसाने के लिये कोई सरकार ने कदम उठाया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। इस पर विचार हो रहा है। एक योजना बनायी जा रही है जिसका कि समुचित प्रबन्ध सिर्फ इस इलाके में होगा जहां इस तरह की क्षति हुई है और मकानों को ऊंची जगह पर बसाने के लिये विचार हो रहा है और उस पर कार्यवाही होगी।

श्री बाबूनन्दन—क्या मालमंत्री जी बतायेंगे कि लगान को छोड़ कर सभी राज्य-करों की वसूली रोक दी गई है, वह बाद में वसूल की जायगी या रोक दी जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जो रोकी गई है तो अभी तो यह मानना चाहिये कि बाद में वसूल की जायगी।

श्री बाबूनन्दन—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के छात्रों की फीस सब की क्यों नहीं माफ की गई ?

श्री चरणसिंह—उन सबकी माफ़ की गई जो गरीब हैं और जो फीस नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा और लोगों की फीस माफ करने की जरूरत नहीं थी, इसलिये नहीं माफ हुई ?

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में किसी किस्म का टेस्ट वर्क भी चलाया जा रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी शायद नहीं शुरू हुआ है। कलेक्टरों को लिखा गया है। जहां से मांग आयेगी, वहां पर विचार किया जायगा कि टेस्ट वर्क चलाये जायं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि खेती की भूमि लेकर के ऊंची जमींन पर गांव वालों को बसाने में सरकार को कोई आपत्ति है और ऐसी नीति निर्धारित हुई है ?

श्री अध्यक्ष—यह उठता नहीं सवाल। वह तो कह चुके हैं कि वे बसायेंगे।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में अधिक नुकसान होने के कारण तकावी के रुपये की अधिक मांग सरकार से की जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी, अभी तक तो कोई विशेष नहीं है। लेकिन ऐसा तो होता ही है, ज्यादा मांग हर जगह से होती है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जहां पर मकान तथा फसल को अधिक क्षति हुई है उनके लिये कोई रोजी का जरियामास नहीं है, वहां पर सरकार कोई उद्योग-धन्धा खोलने पर विचार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोशिश की जा रही है कि चरखा वग़ैरह बांटे जायं और इसी तरह का कोई और जो छोटा-मोटा काम हो सकता है उसके ऊपर भी कार्यवाही की जायगी।

प्रतापगढ़ राजकीय कृषि-फार्म पर व्यय तथा आय

*४५—श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ में राजकीय कृषि फार्म कितने बीघे का है और उस पर प्रति वर्ष कितना व्यय होता है ?

श्री हुकुमसिंह—प्रतापगढ़ राजकीय कृषि फार्म ६५.५४ एकड़ का है। इस पर पिछले चार वर्षों में किये गये व्यय के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

सन्			रु०
१९५१–५२	..	..	३०,५८५
१९५२–५३	..	..	३१,१३९
१९५३–५४	..	..	२९,२९२
१९५४–५५	..	..	२१,७७५

*४६—श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (अनुपस्थित)—उक्त फार्म से प्रतिवर्ष कितनी प्राप्ति होती है ?

श्री हुकुमसिंह—प्रतापगढ़ राजकीय कृषि फार्म से उपरोक्त चार वर्षों में निम्नप्रकार आय (प्राप्ति) हुई थी :—

सन्			रु०
१९५१–५२	..	..	१८,८५८
१९५२–५३	..	..	२६,६८४
१९५३–५४	..	..	१७,०९८
१९५४–५५	..	..	१९,०८९

*४७—श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (अनुपस्थित)—क्या जिले के किसान उस फार्म से कोई लाभ उठाते हैं ? यदि हां, तो प्रति वर्ष कितने ?

श्री हुकुमसिंह—जी हां, परन्तु उक्त फार्म से लाभ उठाने वाले किसानों का कोई ब्योरा नहीं रखा जाता है।

प्रतापगढ़जिले के बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*४८—श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि जुलाई के तीसरे सप्ताह में प्रतापगढ़ में बहुत वर्षा हुई ?

श्री चरणसिंह—जी हां।

*४९—श्री रामनरेश शुक्ल (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि इस वर्षा से पट्टी तहसील, प्रतापगढ़ तहसील और बाघराय के आस-पास विशेष क्षति पहुंची है ?

श्री चरणसिंह—जी हां ।

*५०—श्री रामनरेश शुक्ल (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि उसने बाढ़-पीड़ितों को क्या सहायता दी ?

श्री चरणसिंह—बाढ़-पीडितों की सहायतार्थ राज्य सरकार की ओर से प्रतापगढ़ जिलें में निम्नलिखित धनराशियां स्वीकृति की गईं :—

	रु०
अहेतुक सहायता (अनुदान)	६०,०००
मकानों को फिर से बनवाने के लिये दी गई सहायता (अनुदान)	६०,०००
भूसा खरीदने के लिये दी गई सहायता (अनुदान)	१०,०००
ऐक्ट १२ के अधीन दी गई तकावी जिसमें विपत्तिकालीन तकावी और मकान बनाने के लिये दी गई तकावी शामिल है (बिना ब्याज की) ।	६,०६,७१०
गैर काश्तकारों के मकानों को फिर से बनाने के लिये दिये गये ऋण (बिना ब्याज के) ।	३०,०००

लगान को छोड़ कर सभी राज्य करों की वसूली स्थगित कर दी गई है तथा स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब विद्यार्थियों की ५ महीने की फीस माफ कर दी गई है ।

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सम्बन्धी सहायता भी दी गई । पशुओं के लिये चारे का प्रबन्ध किया गया तथा बीमारियों को रोकने के लिये अन्य सब कार्य उपयुक्त रूप से किये गये ।

इलाहाबाद में एक पार्क का नाम आजाद पार्क रखने का विचार

*५१—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार इलाहाबाद के उस पार्क का नाम जहां चन्द्रशेखर आजाद शहीद हुये थे, आजाद पार्क रखने पर विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

उन्नाव-लालगंज सड़क पर रोडवेज गाड़ियों को चालू करना

*५२—श्री देवदत्त मिश्र—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि उन्नाव से लालगंज रोडवेज की गाडियां कब तक चलेंगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उन्नाव-लालगंज मार्ग, उत्तर प्रदेश पथ परिवहन सेवा (विकास) अधिनियम, १९५५ की धारा ३ के अन्तर्गत विज्ञापित किया गया है । इस सम्बन्ध में अन्य उचित कार्यवाही के समाप्त होने पर इस मार्ग पर रोडवेज की बसें चालू की जा सकेंगी ।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगें कि यह उचित कार्यवाही कब तक समाप्त होगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जो कार्यवाही जाब्ते की है वह की जायगी और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी शायद तीन या चार महीने के अन्दर हो जाये ।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव से लालगंज मार्ग पर रोडवेज की गाड़ियाँ चल जाने के बाद प्राइवेट बसों की स्थिति क्या होगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--प्राइवेट गाडियाँ नहीं चलेंगी ।

*५३--**श्री मुश्ताक अली** (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)--[४ अक्तूबर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बाढ़-पीड़ित जिलों को सरकार द्वारा विभिन्न सहायताएं

*५४--**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)--क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष बाढ़ से पीड़ित जिलों की सहायता के लिये सरकार ने १० अगस्त, १९५५ तक पृथक-पृथक कितना धन दिया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सूची मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७३ पर ।)

*५५--**श्री रामनारायण त्रिपाठी**--क्या सरकार की ओर से आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, फैजाबाद, सुल्तानपुर जिलों में १५ अगस्त तक बाहर से सीमेन्ट, टिन की चद्दरें, भूसा या अन्य चारा भी भेजा गया ? यदि हां, तो प्रत्येक जिले में कितना-कितना ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां । इसका विवरण एक सूची में दे दिया गया है जो कि मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७४ पर ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी--यह जो पन्द्रह हजार रुपया गोरखपुर को भूसा खरीदने के लिए दिया गया था उसके बारे में सरकार के पास कोई सूचना है कि वह भूसा कहां से खरीदा गया या बंटा या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--सुल्तानपुर में कितना भूसा और कितना फूस भेजा गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सुल्तानपुर में नहीं भेजा गया था ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन बाढ़ पीड़ित जिलों में १० अगस्त, १९५५ तक कुल कितनी सहायता दी गयी ?

श्री अध्यक्ष--आप आंकड़ों का जोड़ सुना दीजिये ।

श्री चतुर्भुज शर्मा--टोटल है ७,६५,०००।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या यह मंत्री जी बतायेंगे कि यह भूसा वितरण करने की एजेंसी कौनसी है ? और क्या यह सही है कि केवल केन यूनियनों के जरिये से भूसा बटाया जा रहा है और जो क्षेत्र केन यूनियनों के अन्दर नहीं पड़ते हैं, उनमें भूसा नहीं पहुंच रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--हर जिले में जिलाधीश इंतजाम करते हैं और जो एजेंसी वहां ठीक मालूम पड़ती है उसी के जरिये से कराया जाता है । यह जरूरी नहीं है कि केवल केन यूनियनों के जरिये से ही बटवाया जाय ।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो इन जिलों में सीमेन्ट, टिन की चादरें और भूसा इत्यादि भेजा गया है वह लोगों में किस प्रकार वितरित किया जाता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—लोगों की आवश्यकतानुसार वितरित किया जाता है ।

*५६—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—[स्थगित किया गया ।]

मथुरा जिले के छाता गांव के बढ़े हुए सर्किल रेट की जांच कराने की आवश्यकता

*५७—श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या सरकार को ज्ञात है कि मथुरा जिले में छाता गांव का सर्किल रेट चारों तरफ के आस-पास के गांव से अधिक है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां ।

*५८—श्री रामहेत सिंह—यदि हां, तो क्या आस-पास की जमीन की जांच करा के सरकार उसे दुरुस्त करने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सर्किल रेट हर गांव की जांच कर के बनाये गये थे । ये रेट सम्बन्धित गांव की जमीन के उपजाऊपन, सिंचाई के साधन, आबादी, उपज आदि बातों को ध्यान में रख कर निश्चित किये गये थे और उचित हैं । फिर से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री रामहेत सिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि छाता के आस-पास जितने भी गांव हैं उन सब में एक-सी जमीन, एक-सी पैदावार और एक से सिंचाई के साधन हैं, तब भी कौन से कारण हैं कि वहां सर्किल रेट ज्यादा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—छाता कस्बा बहुत बड़ा है और जमीन ज्यादा उपजाऊ है, इसलिए जमीन की कीमत ज्यादा है । सिंचाई के भी वहां साधन ज्यादा हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार के विचार में इस प्रकार के प्रश्न हैं कि जिन गांवों का सर्किल रेट ज्यादा है और खेती की पैदावार कम है, उनके सर्किल रेट पर फिर से विचार किया जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं, सर्किल रेट तो १९०१ में बनाया गया, जबकि ज्यादातर जगह में सेटिलमेन्ट हुआ । उससे अभी दर गल्ले की कम नहीं है, इसलिये इस पर कोई विचार नहीं हो सकता ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री उन क्षेत्रों पर भी विचार करेंगे जहां कि मालगुजारी और स्थानों से ज्यादा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैंने जवाब दिया कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वह तो सब जगह जहां जैसी मालगुजारी होती है, वहां की स्थानीय परिस्थिति के अनुसार सर्किल रेट मुकर्रर किया गया था ।

श्री रामहेत सिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वहां की फसल की हालत पहले से बहुत गिरी होने के कारण आर्थिक अवस्था खराब होने की वजह से पुनः विचार करेंगे कि वहां का सर्किल रेट फिर से कायम किया जाय और उसकी जांच की जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—फसल खराब होने की तो कोई सूचना नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा सर्किल रेट बदलने का कोई सवाल नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

झांसी जिले के विलीन ग्रामों का अपेक्षाकृत अधिक लगान

१--**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में विलीन ग्रामों का लगान अन्य ग्रामों की अपेक्षा अधिक है ? यदि हां, तो क्यों और उसे कम करने का सरकार कब तक विचार करेगी ?

श्री चरणसिंह--सब विलीन ग्रामों का तो नहीं किन्तु कुछ का लगान अन्य ग्रामों की अपेक्षा अधिक है। अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

हरिजनों को मन्दिर में प्रवेश न करने देने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--श्री रामेश्वरलाल जी ने एक कामरोको प्रस्ताव मेरे पास भेजा है। उस सम्बन्ध में जो उन्होंने तार पाया है वह और एक अखबार जिसमें १७ सितम्बर को वह खबर छपी थी उसका उद्धरण मेरे पास भेजा है।

इसका सरकार से कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता है, न तो तार से और न उद्धरण से प्रतीत होता है। कुछ लोगों ने हरिजनों को मंदिर में जाने से रोक दिया और इसलिये उनका कहना यह है कि पुलिस को हस्तक्षेप करना चाहिये था। कुछ लोगों ने ताला लगा दिया और पुलिस ने कुछ नहीं किया, इसलिये इस पर विचार करने के लिये सदन का काम रोका जाय। सरकार का संबंध न होने के कारण मैं इस बात की इजाजत नहीं देता हूं कि यह प्रश्न इजाजत हासिल करने के लिये वह सदन के सामने रखें।

उत्तर प्रदेश मुलैसेज कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५५

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)--महोदय, मैं उत्तर प्रदेश मुलैसेज कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५५ पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७५-८० पर।)

प्रश्नों के उत्तर समय के बाद मिलने पर आपत्ति

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--मुझे यह अर्ज करना था कि आज हमें सवालों क जबाब ११ बजकर ४५ मिनट पर मिले, जब कि हमारे सवाल आज सबेरे थे। यदि सरकार से एक दिन पहले नहीं मिल सकते, तो सुबह मिल जायं जिससे हम तैयार हो जायं।

श्री अध्यक्ष--मुझे खेद है, भविष्य में जल्दी पहुंचाने का प्रयत्न किया जायगा।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष--माननीय स्वायत्त शासन मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था विधेयक, १९५४ पर विचार किया जाय, विवाद जारी होगा।

पूर्वी जिलों में वर्षा से क्षति के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी पिछले सप्ताह में राज्य के पूर्वी जिलों में बहुत ही जोर की वर्षा हुई है।

और इससे यह भी खबर लगी है कि कई शहरों में हजारों मकान गिरे हैं और कुछ जानें भी गई हैं और हजारों दरख्त गिरे हैं और फसल को भी बहुत बड़े पैमाने पर क्षति हुई है। मैं आपके जरिये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़ी चिन्ता की बात है और सरकार को अगर कोई सूचना प्राप्त हुई हो तो उससे जानकारी प्राप्त कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस प्रस्ताव पर कोई वक्तव्य आज या कल या कभी देना चाहेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मुझे इस वक्त जो सूचना प्राप्त है उसे मैं इसी वक्त पेश कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष--क्या सदन की राय है कि जो काम अभी प्रारम्भ हुआ ही है उसको रोक कर यह सूचना दी जाय। अगर किसी को आपत्ति न हो, तो मैं अनुमति दे दूंगा।

(किसी ने आपति नहीं की।)

तो मैं समझता हूं सदन इसकी अनुमति देता है।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इधर बड़े जोर की वर्षा हो गई, हम समझ रहे थे कि जब हम लोगों के लिये रिहैबिलिटेशन का काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। इस वक्त तक की सूचना यह है कि देवरिया की राप्ती और छोटी गंडक दोनों नदियों में बाढ़ आ गई है और अभी हालत वहां काफी चिन्ताजनक है। बस्ती में १५, १६ और १७ तारीख यानी इन तीन दिनों में जो वर्षा हुई वह १२ इंच के बराबर हुई है और वहां जितनी नदियां हैं उनमें फिर से बाढ़ आ गई है। शहर के कई मोहल्लों में मकान गिर गये हैं। बलिया से जो खबरें आई हैं उनसे मालूम होता है कि घाघरा में फिर से बाढ़ आ गई है। खासतौर से दुर्जनपुर नाम का एक गांव है, वह बड़े जोरों से कट रहा था और वहां २,३०० आदमी हैं जो वहां से हटाये जा रहे हैं और दूसरी जगह बसाये जा रहे हैं। आजमगढ़ में बहुत जोर की वर्षा हुई और ५ दिन तक लगातार होती रही और १८ तारीख तक जो खतरे का निशान है उससे ५ फुट से ऊपर टोंस नदी में पानी आ गया था। जौनपुर में इतना पानी बरसा कि हफ्ते भर में १० तारीख से १७ तारीख तक साढे पांच इंच वर्षा हो गई। नदियों में भी पानी बढ़ गया था लेकिन अब घट रहा है। गोरखपुर में १९ इंच पानी ४-५ दिनों के भीतर गिरा है।

इस वक्त तक तो सूचना यही है और इतना ही मैं बतला सकता हूं। जो आवश्यक रिलीफ की कार्यवाही है वह जहां तक सम्भव है उसका प्रबन्ध हो रहा है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या बस्ती के मकानों की गिरती हुई दशा को देखकर वहां गरीबों को कम से कम १०० रुपया प्रति व्यक्ति देकर वह सहायता करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न इस तरह का नहीं है जो स्टेटमेन्ट के सम्बन्ध में हो। मैं इसे पूछने की इजाजत नहीं देता हूं।

उत्तर प्रदेश मुलैसेज कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५५ की प्रति न मिलने पर आपत्ति

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--यह उत्तर प्रदेश मुलैसेज कन्ट्रोल विधेयक जो मेज पर रखा गया है उसकी कापी हम लोगों को मिली नहीं है।

श्री अध्यक्ष—यह सोमवार को बांट दिया गया था ।

†उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था विधेयक, १९५४ (क्रमागत)

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन निश्चित करता है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था विधेयक, १९५४ इस सदन द्वारा निर्मित एक प्रवर समिति के पास निर्दिष्ट किया जाय जो १५ दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में प्रस्तुत किये जायंगे ।

श्रीमन्, अगर प्रस्तुत विधेयक के नाम की अर्थता सार्थक हो, तो उस विधेयक को स्वीकार करने में किसी को कोई हिचक नहीं होगी । जहां तक इस विधेयक के नाम का सम्बन्ध है, इसका नाम उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था विधेयक, १९५४ है और अंग्रेजी में इसका नाम "उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल हाउसिंग बिल, १९५४" है। अगर हाउसिंग का अर्थ गृह-व्यवस्था लगाया गया है और औद्योगिक गृह-व्यवस्था के लिये यह विधेयक बनाया गया है तो इसके हिन्दी और अंग्रेजी के नाम में कुछ भेद हो जाता है । लेकिन दुख की बात यह है कि जहां हम इस विधेयक का पारित होना आवश्यक समझते हैं वहां हम यह भी मानते हैं कि इस विधेयक के अन्दर जो विषय निर्धारित किये गये हैं वे बिलकुल अधूरे हैं और जिस ढंग से वे रखे गये हैं वह ढंग अनिवार्य रूप से असफल होने वाला है । इस हाउसिंग बिल के जरिये से एक हाउसिंग कमिश्नर का पद निर्माण किया गया है जिसको कारपोरेशन सोल के रूप में अधिकार दिये जाने वाले हैं। उस हाउसिंग कमिश्नर के साथ डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर और असिस्टेंट हाउसिंग कमिश्नर इस प्रकार से अन्य अधिकारी भी रखे जाने वाले हैं । इस हाउसिंग कमिश्नर की सलाह के लिये एक एडवाइजरी कमेटी का भी निर्माण किया जाने वाला है लेकिन श्रीमन आप यह देखें कि यह मकान जो यू० पी० सरकार द्वारा या किसी भी लोकल अथारिटी द्वारा बनाये गये हैं, यह हाउसिंग कमिश्नर के पास वेस्ट नहीं हुये हैं । उनकी ओनरशिप उनके हाथ में नहीं है, जिसके लिये यह विधेयक बनाया जा रहा है । इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस हाउसिंग कमिश्नर का अधिकार केवल इन प्रश्नों से सम्बन्धित होगा। जो किराया वसूली के मामले होंगे, किरायेदारों की बेदखली के नाम मामले होंगे और जो अलाटमेन्ट के मामले होंगे, उनके सम्बन्ध में ही उनको अधिकार दिया गया है। यह मुझे एक बेमिसाल बात मालूम होती है कि एक कारपोरेशन जिसके हाथ में केवल अलाटमेन्ट का काम, केवल बेदखली का काम या किराया वसूली का काम हो, लेकिन मकान उसके हाथ में न हों । आखिर कारपोरेशन सोल के क्या अर्थ होते हैं ? कारपोरेशन सोल की परिभाषा जो हैल्सबरीज लाज आफ इंगलैन्ड के अनुसार है, मैं उसको आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं ।

"A corporation sole is a body politic having perpetual succession, constituted in a single person who, in right of some office or function, has a capacity to take, purchase, hold, and demise (and in some particular instances under qualifications and restrictions introduced by statute, power to alien) lands. tenements, and hereditaments, and now, it would seem, also to take and hold personal property, to him and his successors in such office forever, the succession being perpetual, but not always uninterruptedly continuous ;

---

†३ मई ,१९५४ की कार्यवाही में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसमें यह अधिकार दिये हुये हैं कि कारपोरेशन सोल के क्या अधिकार होंगे, उस को प्रापर्टी होल्ड करने का अधिकार है.....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर के फिर से पढ़े, लोगों को उस का इन्टरप्रिटेशन मालूम नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

"A corporation sole is a body politic having perpetual succession, constituted in a single person who, in right of some office or function, has a capacity to take, purchase, hold, and demise (and in some particular instances, under qualifications and restrictions introduced by statute, power to alien) lands, tenements, and hereditaments, and now, it would seem, also to take and hold personal property, to him and his successors in such office forever, the succession being perpetual, but not always uninterruptedly continuous;

मकान गवर्नमेन्ट के हों और वह कारपोरेशन सोल के नाम पर रहें, उसके पास उनको किराये पर देने, किराया मुकर्रर करने और बेदखली के अधिकार रहें, यह मेरे खयाल से बिल के अनुरूप नहीं है। वास्तव में जिन कामों को हम उसे देना चाहते हैं वह उनको विधि अनुसार कर नहीं सकता, यह हाउस उसमें वेस्ट न करें। इसी प्रकार इंगलैन्ड में भी हाउसिंग ऐक्ट बना था उस में वहां ऐसी व्यवस्था थी कि वहां कोई हाउसिंग कमिश्नर तो नहीं है, लेकिन वहां भी हाउसिंग मैनेजमेंट कमीशन को जो अधिकार दिए गए हैं वह उपधारा 'जी' इस प्रकार है कि—

"for determining what property is to be vested in the Commission, and for what estate or interest, and whether by way of transfer of the estate or interest of the local authority."

उन्होंने भी ये अधिकार उसे दिए तो पहले निश्चय किया कि यह प्रापर्टी किस तरह उसमें वेस्ट करेंगे और किस माने में की जायगी, लेकिन जिस तरह से हम करना चाहते हैं इस विधेयक में उस तरह से तो बिल का जो उद्देश्य है वह निरर्थक हो जाता है। अगर हम इसको कानूनी दृष्टि से भी देखते हैं तो जब हम हाउसिंग कमिश्नर के रूप में कारपोरेशन सोल बनाने जा रहे हैं तो क्या आप उसको कवल एक एलाटमेन्ट अथारिटी बनाने जा रहे हैं। जैसे कि आज कल डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर करता है कि बेदखली के लिए परमिशन दे दे, एलाटमेन्ट कर दें। इसमें मनटन्स के अधिकार जरूर दे दिए गए हैं लेकिन किस प्रकार मकान बनाये जायंगे, क्या सिद्धान्त होगा इन तमाम चीजों का निर्धारण नहीं हो सका है। यू० पी० की सरकार एक हाउसिंग बोर्ड की स्थापना क्यों नहीं करती ? कांग्रेस ने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई थी और पंडित जवाहरलाल जी उसके अध्यक्ष थे। उसकी सिफारिश थी कि कुछ राज्यों के रीजनल हाउसिंग बोर्ड्स बनाये जायं। इस तरह की सिफारिश प्लानिंग कमीशन की १९५१-५२ में हो चुकी है। हर राज्य में अवश्यमेव स्टेट हाउसिन्ग बोर्ड बने, जो वहां पर औद्योगिक गृह-व्यवस्था करे और उनके अतिरिक्त दूसरे प्रकार के गृहों की भी व्यवस्था करें और कमेटी का भी यही मत था। अगर इन तमाम चीजों पर माननीय मंत्री जी गौर करें तो निर्विवाद सिद्ध होगा कि उन रिपोर्टस् की क्या मंशा है, किस प्रकार मकान बनें, क्या नियंत्रण रहे, कैसे एलाटमेंट हो, किराया क्या रखा जाय और बोर्ड के हाथ में क्या-क्या अधिकार रहें ?

पिछले साल यू० पी० गवर्नमेन्ट ने भी एक कमेटी माननीय हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम की अध्यक्षता में बनाई थी। उसकी भी सिफारिश यही थी कि यू० पी० में भी एक हाउसिंग बोर्ड बनाया जाय। मैं नहीं जानता कि आज क्यों उस बोर्ड की व्यवस्था न करके हाउसिंग कमिश्नर की व्यवस्था यह राज्य सरकार कर रही है। आखिर आप भारत के और राज्यों में देखें कि क्या है ? बम्बई में बजाय हाउसिंग कमिश्नर के हाउसिंग

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

बोर्ड की व्यवस्था सन् १९४८ में कर दी गई और हाउसिंग कमिश्नर उस हाउसिंग बोर्ड के मातहत उसके सेक्रेटरी के रूप में काम करता है। जितनी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से सबसिडी आती है वह हाउसिंग बोर्ड के नाम से होती है। अभी थोड़े दिन हुये हैं बम्बई की गवर्नमेन्ट ने साढ़े ६ करोड़ रुपये इस हाउसिंग बोर्ड को दिये। इसमें चार सदस्य और एक चेयरमैन हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के जरिये से हाउसिंग बोर्ड की व्यवस्था बजाय हाउसिंग कमिश्नर के करें जो बाद में चलकर सारे प्रदेश में हाउसिंग की व्यवस्था करे और अगर हाउसिंग कमिश्नर बनाना ही है तो वह इस हाउसिंग बोर्ड का सेक्रेटरी हो और न कि एक स्वतंत्र संस्था के रूप में और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो कि पूर्णरूपेण सरकार के नियंत्रण में चले। इंडस्ट्रियल हाउसिंग के तीन तरीके इस देश में भी माने गये हैं और बाहर के देशों में भी माने गये हैं। पहला तरीका यह है कि मिल मालिक ही मकान बनायें और सरकार उनको सबसिडी दे और उन क्वार्टरों का इंतजाम मिलमालिकों के हाथ में हो, सरकार के हाथ में न हो।

दूसरा यह कि राज्य सरकार हाउसिंग बोर्ड को लोन्स सबसिडी के रूप में दे और उसको अपने भी तरीके से फंड इकट्ठा करने का अधिकार हो और उनके द्वारा ऐसे इंडस्ट्रियल हाउसेज का इंतजाम हो और तीसरा तरीका यह है कि मजदूरों को खुद अपनी कोआपरेटिव सोसाइटियां बनाने का मौका हो और मजदूर उन सोसाइटियों के जरिये से मकान बनवायें। सरकार अपने अधिकारी या हाउसिंग कमिश्नर नियुक्त करे और उनके द्वारा मजदूरों को भी इस बात का मौका दे कि वह अपने मकान स्वयं ओन कर सकें। मिसाल के लिये जैसे कि रुपया किराये के रूप में कटता जावे जो रुपया मजदूरों की कोआपरेटिव सोसाइटियों के जरिये से सबसिडी या लोन के रूप में गवर्नमेन्ट दे और जो किराया मजदूर दें, वह अन्तः एक प्रकार से उन मकानों की कीमत के रूप में कटती जावे तो एक मौका ऐसा आ सकता है तीस चालीस सालों में कि वह मकान मजदूर का हो सकता है। यह तीन तरीके हैं जो इस देश में भी और बाहर भी माने गये हैं। इन तीन में से किसी भी एक तरीके को इस विधेयक में स्थान नहीं दिया गया है। इंडस्ट्रियल मजदूरों को मौका दें कि वह कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये से, बिल्डर्स सोसाइटी के जरिये से कि वह अपने मकान स्वयं बना सकें, न हमने इसका मौका दिया, न हमने हाउसिंग बोर्ड के ही बनाने का तरीका रखा, जिससे उन मकानों का नियंत्रण ठीक तरीके से कर सकें, न मिलमालिकों को ही सबसीडी देकर कोई ऐसा तरीका उत्पन्न किया जिससे उन मकानों का अच्छी तरह से निरीक्षण हो सके। उन हाउसिंग कमिश्नर के द्वारा जिससे उन मजदूरों के हित में मकानों का संरक्षण हो। इन तीनों तरह की व्यवस्था में से एक भी तरह की व्यवस्था इस विधेयक में नहीं है। अगर सरकार को केवल मकानों के एलाटमेन्ट को ही निश्चित करना था तो पहले ही से एक विधेयक था। हमने इस सदन में एक विधेयक सन् १९५२ में पारित किया था, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश भूगृहादि किराये की वसूली और बेदखली अधिनियम, सन् १९५२ ई०।

इस विधेयक में सरकारी भूगृहादि की परिभाषा अगर आप देखें तो मालूम होगा कि यह विधेयक उन मकानों पर लागू होता है जो आज बने हुये हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज द्वारा बने हुये हैं उन पर यह लागू नहीं होता। सरकारी भूगृहादि की परिभाषा इसमें यह है "सरकारी भूगृहादि का तात्पर्य ऐसे भूगृहादि से है जो राज्य सरकार का हो या जिसे राज्य सरकार ने पट्टे पर लिया हो अथवा अधिगृहीत किया हो। यह ऐक्ट है जिसे आपने पास किया है उत्तर प्रदेश भूगृहादि "किराये की वसूली और बेदखली अधिनियम, १९५२ (ऐक्ट नम्बर ३९, १९५२)"। तो आप देखें कि वसूली और बेदखली के बारे में गवर्नमेन्ट क्वार्टर्स के लिये एक विधेयक पहले से मौजूद है। तो क्या आप डुप्लीकेशन आफ लेजिस्लेशन करना चाहते हैं और एक ही किराये की वसूली और बेदखली

के लिये दो प्रकार के कानून चलाना चाहते हैं। आपने रिपील भी नहीं किया, आपने यह भी नहीं किया है कि इंडस्ट्रियल हाउसिंग के लिये जो विधेयक ला रहे हैं वह उस विधेयक को सुपरसीड करता हो। आप देखें, इसमें जो परिभाषा धारा ३ में लिखी गई है वह इस प्रकार है—"यह अधिनियम केन्द्रीय सरकार से राज्य सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-व्यवस्था योजना अथवा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को अन्य किसी योजना के अधीन जो गजट में इस प्रयोजन से विज्ञापित की जाय, औद्योगिक श्रमिकों के अध्यासन के निमित्त राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्मित गृहों पर प्रवृत्त होगा।" यानी राज्य सरकार द्वारा निर्मित अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्मित—इस विधेयक में और जो पहले का विधेयक सन् ५२ का है इन दोनों में केवल इतना ही अन्तर है कि यह विधेयक एलाटिंग अथारिटीज को बदलता है, दूसरे यह लोकल अथारिटीज के लिये भी लागू होता है, तीसरे यह मेनटिनेन्स के लिये भी प्रबन्ध करता है। हाउसिंग कमिश्नर इन मकानों की मेनटिनेन्स के लिये भी प्रबन्ध करेंगे। इसका नाम उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था विधेयक आप मान लें, लेकिन दूसरी ओर हम यह भी देखें कि इसी प्रकार का बिल हमने पहले भी पास किया है, जिसमें इसी प्रकार के अधिकार दिये गये हैं बल्कि बढे हुए अधिकार दिये हैं। तो एक ही प्रकार के कानून को दोबारा बनाना यह किसी हालत में उपयुक्त नहीं है।

तीसरी बात जो ध्यान रखने लायक है वह यह कि सन् ५२ वाले विधेयक में इस बात की प्रस्तावना की थी कि अगर कोई व्यक्ति चाहे, यह समझे कि उस पर बेदखली के सम्बन्ध में या किराये की वसूली के सम्बन्ध में अन्याय हुआ है तो जिला जज के यहां अपील कर सकता है १५ दिन के अन्दर। सन् ५२ वाले विधेयक में लिखा है "कोई व्यक्ति जो धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन दी गई आज्ञा से असंतुष्ट हो उस संबन्ध में सूचना की प्राप्ति से १५ दिन के भीतर डिस्ट्रिक्ट जज के पास लिखित अपील कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट जज समर्थ अधिकारी से आज्ञा मांगने के बाद एवं आवश्यकता के अनुसार और अधिक जांच करने के बाद ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे। इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट जज की आज्ञा अन्तिम होगी।"

आप देखें कि सरकारी मकानों के लिये तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहां अपील हो सकती है, लेकिन मजदूरों के क्वार्टर्स का जहां तक सम्बन्ध है उनमें राज्य सरकार के पास अपील होगी। यह विधान जो आप इसमें रख रहे हैं यह किस सिद्धान्त पर है, किस प्रकार यह सिद्धान्त इस विधेयक में निर्धारित हुआ है। मैं चाहूंगा कि यह विधेयक सिलेक्ट कमेटी में जाय और जितने भी दोष विधेयक के अन्दर हम देखते हैं उनको हम वहां दूर करें। इस विधेयक की भाषा को परिमार्जित करें, इसकी भावना को परिमार्जित करें, इसके मंतव्य को परिमार्जित करें। एक उदाहरण आप लें, इसमें लिखा हुआ है कि किराया जो है वह गवर्नमेन्ट ट्रेजरी में जमा होगा और बनाया है हमने कार्पोरेशन। क्या यह ठीक है? मैं यह जानना चाहूंगा कि मकान बनाने का जहां तक सम्बन्ध है या तो उनको स्थानीय प्राधिकारियों ने बनाया है, डेवलपमेन्ट बोर्ड, कानपुर ने बनाया है, म्यूनिसिपल बोर्ड, लखनऊ ने बनाया है, फिर किराया किसको मिलना चाहिये? बड़ी तारीफ की बात है कि मेन्टेन करने की जिम्मेदारी है हाउसिंग कमिश्नर की, बनाने की जिम्मेदारी है म्युनिसिपल बोर्ड, कानपुर की और किराया वसूल करने की जिम्मेदारी है हमारे सरकार की। आखिर इसीलिए जो यह द्वैवृत्ति इसमें आ गयी है इसी को दूर करने के लिये इसमें आवश्यकता है कि हम हाउसिंग बोर्ड का इसमें जरूर प्राविधान करें। इसमें इस बात की गुंजायश हो सकती है। इस विधेयक के पर्याय के अन्दर तो नहीं है, मैं नहीं जानता कि आप मुझे इस बात की इजाजत देंगे या नहीं कि आज किस प्रकार से मकान बनाये जा रहे हैं, उनकी गति क्या है, उनकी स्थिति क्या है श्रीमन, क्या इस बारे में मैं कुछ कह सकता हूं?

श्री अध्यक्ष—अगर आप संक्षेप में कहें तो कह सकते हैं। लेकिन यदि ब्यौरे में आप चले जायं, तो अनुचित होगा। अगर आप एक उदाहरण के रूप में, संक्षेप में कहें तो कोई बात नहीं है। अपने तर्क की पुष्टि में आप कह सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं आपका आभारी हूं। श्रीमन्, आपकी इस रूलिंग के लिए।

तो आज इस योजना के अनुसार जो मकान बनाये जा रहे हैं आखिर यह स्कीम जिसके सम्बन्ध में यह सभी को विदित है कि जब माननीय जवाहरलाल कानपुर आये तो उन्होंने वहां स्लम्स की स्थिति को देखा और डेढ करोड़ का लोन हमारी सरकार को दे गये कि हम उस पर खर्च करें। वास्तव में उसी समय हाउसिंग बोर्ड की स्थापना होनी चाहिये थी और उसी के द्वारा यह रुपया खर्च होना चाहिये था। लेकिन जैसा भी हुआ कानपुर में और दूसरे शहरों में जहां पर कि मजदूर अधिक रहते थे, वहां पर इन मकानों के बनाने का फैसला किया गया और बहुत जगह मकान बने भी। लेकिन उनकी गति को देखते हुए जिस प्रकार से इनका आज अलॉटमेन्ट हो रहा है, और जो किराया निश्चित किया गया है उसको देखते हुए तो मैं कह सकता हूं कि अगर यह स्कीम वास्तव में मजदूरों को फायदा पहुंचाने की कही जाती है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं यह उनका विभाग नहीं है, लेकिन क्या वह बतला सकते हैं कि कानपुर में जितनी आज तक कालोनी बनी है उनमें वास्तविक मजदूर कितने रहते हैं? जैसा कि माननीय बहुगुणा जी ने अपनी परिभाषा के सम्बन्ध में उस दिन कहा था। उससे मैं सहमत हूं और जितने मजदूर वहां रह रहे हैं किराये की हालत क्या है? क्या वह किराया दे रहे हैं? क्या वह किराये से सतुष्ट हैं? वैसे एक कमेटी की रिपोर्ट इस सम्बन्ध में थी। लेबर हाउसिंग कमेटी ने कहा था कि प्रत्येक मजदूर की मजदूरी का १० प्रतिशत के रूप में किराया होना चाहिये, उससे ज्यादा किसी हालत में नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आपकी यह स्कीम है, उसकी मेरिट्स में न जाइये। आप अपनी बहस के लिये जितनी मिसाल देना आवश्यक हो, उतना ही हिस्सा कहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जैसे मिसाल के लिए हाउसिंग कमिश्नर को अधिकार दे दिया गया है कि वह किराया तय कर सकता है। अगर वह किराया हाउसिंग कमिश्नर तय करे जो कि आज कानपुर में है तो फिर क्या हो? आखिर कानपुर के लिये किराये के सम्बन्ध में जो हालत है, मैं समय बचाने के लिये केवल कानपुर ही की मिसाल दे रहा हूं। सरकार के लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा तीन इन्क्वायरीज हुईं, जिसमें लड़ाई के पेश्तर जूही एरिया में एक रुपया पन्द्रह आने जो किराया था वह बढ़ कर १९४८ में तीन रुपये तेरह आने हो गया, डिप्टी का पड़ाव एरिया में दो रुपये तीन आने से बढ़ कर तीन रुपये चार आने हो गया, ग्वालटोली एरिया में दो रुपये नौ आने से बढ़ कर चार रुपया आठ आने हो गया, चमनगंज एरिया में तीन रुपये छः आने से बढ़ कर चार रुपये पंद्रह आने हो गया।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप थोड़ा सा लाइन से हट गये। जो इस विधेयक की बहस के लिये आवश्यक है, उससे आप आगे बढ़ गये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं अभी नतीजा निकाल रहा हूं। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि कानपुर लेबर आफिस की इंक्वायरी रिपोर्ट के अनुसार भी यह किराया केबुल्स था। उसके शब्द हैं बहुत अधिक हो गया, मर्यादा से अधिक और आज जो ४८ के किराये के हिसाब से सरकारी क्वार्टर्स का किराया वसूल किया जा रहा है उसको आप मिलायें तो आपको मालूम होगा कि किराये के संबंध में जो नीति है वह बहुत अधूरी है। मैं मानता हूं कि सरकार मुफ्त मकान नहीं दे सकती, लेकिन इस संबंध में नीति क्या हो, यह हमें निश्चित करना है।

इसमें एडवाइजरी कमेटी का जो प्राविजन किया गया है यह केवल सलाह देने के लिये है। इसका केवल इतना ही ऐक्ट में प्राविजन किया गया है कि हम एक एडवाजरी कमेटी बनाते हैं। लेकिन इसके क्या अधिकार होंगे, उसकी सलाह मान्य होगी या नहीं, इन सब बातों पर कुछ नहीं है। यह स्पष्ट है कि यह केवल सलाह देने की अधिकारी है, निर्णय करने की नहीं। तो इस लिये मैं तो यह चाहता था कि इस एडवाइजरी कमेटी के फंक्शन्स को निश्चित कर दें, इस कमेटी को हम हाउसिंग बोर्ड का रूप दें दें और इस विधान में स्पष्ट कर दें कि किराये के संबंध में, एलाटमेंट के संबंध में, मेन्टेनेन्स के संबंध में, रख-रखाव के संबंध में, भविष्य में जो मकान बनायें जायेंगे उनके संबंध में, जो भी प्राविजन है वह सब इस हाउसिंग बोर्ड के द्वारा होंगे। इस कार्य को केवल सेलेक्ट कमेटी ही संपन्न कर सकती है, क्योंकि अगर हम इस सदन में इतना समय ले लें तो आप जानते हैं कि साढ़े तीन दिन इस विधेयक को पास होने के लिये निर्धारित किये गये हैं और इतने वसूल की बातों को एक ब्योरेवार सुन्दर रूप में इस विधेयक में स्थान देना यहां संभव नहीं है। यह केवल सेलेक्ट कमेटी के लिये संभव है। वांछा तो मेरी यह राय थी कि यह सरकार इस प्रकार का विधेयक इस सदन में प्रस्तुत करती है जैसा कि इंगलैंड में कंसालिडेटेड हाउसिंग ऐक्ट, १९३६ का है जिसमें सब प्रकार की व्यवस्थाओं का निरूपण किया गया है और जहां जहां भी आवश्यक है इस प्रकार का भी प्राविजन किया गया है कि जो इम्प्लायर या जो मकान मालिक अपने मकानों को ठीक दशा में नहीं रखते, उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा। इसकी एक धारा हमारे रेंट कंट्रोल इविक्शन ऐक्ट में भी है कि किराया काटा जा सकता है और जमा किया जा सकता है। इसी प्रकार से इस हाउसिंग ऐक्ट में भी इसकी व्यवस्था होनी चाहिये। आपको मालूम होगा कि बम्बई में एक बिल्डिंग इरेक्शन ऐक्ट बना है जिस के अनुसार मिल मालिक के लिये लाजिमी होगा, जो नई मिल बनाना चाहे या जो अपनी वर्तमान मिल को बढ़ाये, उसका एक्टेंशन्स करे, कि जो नई मिल बनने वाली है उसकी इजाजत उनको तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वह उस मिल में लगाये गये मजदूरों की ६० फीसदी के लिये क्वार्टर्स बनाने की जिम्मेदारी न ले लें। जब तक वह ६० फीसदी मजदूरों के क्वार्टर नहीं बनायेंगे तब तक उनको कारखाना बनाने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो अगर इस प्रकार का भी हम कोई विधान और प्राविजन इस हाउसिंग ऐक्ट में कर सकते हैं तो बड़ा उपयुक्त होता। क्योंकि आप देखेंगे कि इस हाउसिंग बिल का स्कोप बढ़ सकता है। जो आज इसमें केवल किराये की वसूली का स्कोप है, एलाटमेन्ट का स्कोप है इसको बढ़ाया भी जा सकता है, और मैं चाहता हूं कि इस स्कोप को बढ़ाकर इसके जरिये हम मकान के संबंध में, मकान प्राप्त करने के संबंध में जितने भी अधिकार हैं वह सब लें, क्योंकि आज बिना इसके, बिना इस प्रकार के अधिकार को प्राप्त किये काम नहीं चल सकता। आपको याद होगा कि चीनी मिल मजदूरों के लिये जब शीरे के फंड से रुपया लेने का सवाल आया था तो हमको दो साल पहले जो कानून बनाना चाहिये था वह कानून हमने सन् १९५३ में बनाया। वहां पर तो हाउसिंग कमेटी भी है, हाउसिंग बोर्ड भी बना हुआ है। अलग अलग कमेटीज चीनी मिल मजदूरों के लिये क्वार्टर बनाने के संबंध में बनी हुई हैं। अगर माननीय मंत्री जी उस विधान को देखेंगे तो यह पायेंगे कि जो अधिकार उस विधान के अनुसार दिये गये हैं उन अधिकारों को भी हम इस विधान के द्वारा नहीं दे रहे हैं।

इस बात का भी विश्लेषण होना आवश्यक है कि यह क्या कारण है कि हमारे विधेयकों में जो कि पहले हमने पारित किये, सरकारी क्वार्टरों के संबंध में पारित किये, उनमें और आज के इस विधेयक के ब्योरे में इतना फर्क क्यों है? बड़े दुख की बात है आज जिस कार्य को सरकार महसूस कर सकती है उसने कोआपरेटिव हाउसिंग ऐक्ट बना लिया है, इंडस्ट्रियल हाउसिंग कार्पोरेशन मैसूर में कायम हो गया, आज बम्बई में, बिहार में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में कायम हो गये, उसको हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार कायम करने में असमर्थ है जब कि भारतवर्ष में उद्योगों के मामले में उत्तर प्रदेश का पांचवां नम्बर है। मैसूर, बम्बई, बंगाल, मद्रास के बाद उत्तर प्रदेश का नम्बर है। लेकिन इंडस्ट्रियल हाउसिंग के मामले में मैसूर से पीछे है। विदेशी मुल्कों का तो कहना ही क्या

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जिनके पास ज्यादा साधन हैं। जिनके लड़ाई में सारे मकान समाप्त हो गये उन्होंने जो कुछ भी अपनी बिल्डिंग एक्टीविटीज के लिये किया है इसका ब्योरा देना तो अनावश्यक है, लेकिन केवल इशारे के लिये मैं कह देना चाहता हूं कि अगर हम केवल फिनलैन्ड जैसे छोटे देश का अनुकरण करें तो हम यह देखेंगे कि किस प्रकार उन्होंने अपने मजदूरों को सस्ते मकान देने के लिये और सुन्दर मकान देने के लिये उसके मैनेजमेंट की प्रणाली सुन्दर बनाई है, तो उससे हमें कुछ लाभ लेना चाहिये। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय से प्रार्थना करूं कि हमको इस बात का मौका दें कि हम उन सब विधानों की ओर सेलेक्ट कमेटी में उनका ध्यान आकर्षित कर सकें और सेलेक्ट कमेटी के अन्दर इस विधेयक को और सुन्दर कर सकें।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल इस सदन के सामने पेश है और जिसमें माननीय नारायणदत्त जी ने जो संशोधन पेश किया है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या बिल का विरोध करने के लिये खड़े हुए हैं?

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—जी नहीं। इसमें जो आपका संशोधन है उसका। और इसका विरोध केवल विरोध के लिये नहीं, बल्कि कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनके आधार पर इसके विरोध करने की आवश्यकता महसूस हुई। यह बिल बहुत ही सीधा सादा है। इस बिल में उन मकानों के लिये कि जिनके लिये केन्द्रीय सरकार ने धन दिया है, जिसमे से कुछ हिस्सा प्रान्तीय सरकार को सहायता के स्वरूप में दिया गया और कुछ हिस्सा उनसे वसूल किया जायगा। ये मकान कानपुर और कानपुर के बाहर कई शहरों में बनाये जा चुके हैं, बनाये जा रहे हैं और उनमें मजदूर भाई रह रहे हैं। उनका किराया वसूल करने का ही सवाल है, लेकिन साथ साथ अभी तक यह कार्य श्रम विभाग के द्वारा हुआ करता था और श्रम विभाग द्वारा होने के कारण श्रम कमिश्नर ने ही जिन्हें कि अब हाउसिंग कमिश्नर भी कहा गया या कोई दूसरा अधिकारी कहें, उसने इन मकानों को बनवाया और इन मकानों का किराया वसूल करने की व्यवस्था की। पर किन्हीं कारणों से भी सही आवश्यकता यह हुई कि इनका किराया ठीक ढंग से हर मास मिल सके और चूंकि इनका किराया वसूल करने के लिये यदि मिल मालिकों को कहा जाता, जैसा कि बम्बई या दूसरे प्रदेशों में है, तो उन मिल मालिकों को पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट के अनुसार किराया काटने का कोई अधिकार नहीं था और पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट यह तो इजाजत देता है कि अगर मिल मालिक मजदूरों को किराये पर मकान दे तो वह उनकी तनख्वाह से किराया काट सकता है या कोआपरेटिव सोसाइटी के मकान हों तो वह किराया काट सकता है, इसके अलावा नहीं। जरूरत तो इस बात की थी और जहां तक मुझे सूचना है, केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में कोई संशोधन जारी करने जा रही है, लेकिन पता नहीं वह कब हो और इस समय तो हमारे प्रदेश में और खास तौर से कानपुर और लखनऊ के बीच में लगभग ४हजार मकान किराये पर उठाये जा चुके हैं और इन चार हजार मकानों, किराये के मकानों का किराया वसूल करने का या उनके दूसरे प्रकार के प्रबन्ध करने का यही इस बिल में अधिकार दिया गया है और यही इस बिल की मंशा है। जहां तक मुझे उम्मीद थी और मैं यह आशा करता था कि मेरे मित्र इसकी उन चीजों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे जिनकी कानपुर और कानपुर के बाहर के मजदूरों की आवश्यकता है और वह सबसे बड़ा प्रश्न है किराये का। इस विधेयक में तो नहीं, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने जिन शर्तों पर यह रुपया दिया है, उनमें बहुत साफ शब्दों में यह कह दिया गया है कि इन मकानों का किराया दस रुपया और तेरह रुपया होगा। दस रुपया सिंगल का और १३ रुपया डबल का किराया होगा। यह एक तरीके से केन्द्रीय सरकार ने निश्चित कर दिया है कि दस रुपया मासिक किराया तो लिया ही जायगा। अब आवश्यकता यह थी कि हम सब लोग जोकि यह समझते हैं कि यह किराया अधिक है, हम सब लोग जो यह समझते हैं कि इस

किराये को देकर के हमारे देश के प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू जी की जो मंशा थी, उसकी पूर्ति नहीं होगी, उनको एक स्वर से इस पर जोर लगाना चाहिए था और इस पर जोर इस लिये लगाना चाहिये कि हमारे प्रांत की सरकार मजदूरों पर जो धन खर्च कर रही है उसे अगर आप बिस्तार से देखे तो उसकी पूरी संख्या है लगभग ३८ लाख, लेकिन केवल मजदूरों के वेलफेयर पर वह आठ लाख रुपया खर्च कर रही है, यदि हम सरकार से यह प्रार्थना करें कि आप उस धन में से कुछ बचा करके इसमें भी सब्सिडी के रूप में कुछ तो सहायता दें, तोरवास्तव में मजदूरों का हित हो सकता है। अभी अभी आपके सामने कानपुर के कुछ आंकड़े बताये गये। मैं उससे भी आगे जाना चाहता हूं। हमारे प्रान्त की सरकार ने मजदूरों की बेसिक पे, बेसिक वेतन उनका मय मंहगाई के २६ रुपया रक्खा है, यह हमारे प्रांत के लिये दुख की बात है। कई बार यह प्रश्न उठाया गया है। इस प्रान्त का जो वेज बोर्ड है, गवर्नमेंट ने तो एक दम कदम उठाया और उसने एक वेज बोर्ड मुकर्रर कर दिया, लेकिन वह वेज बोर्ड दो वर्ष से आराम से सो हो रहा है। उसे इस बात की आवश्यकता नहीं मालूम पड़ रही है और न सरकार को ही कि उस बोर्ड की एकाध मीटिंग बुला कर इस पर दुबारा विचार किया जाय। तो मैं यह कह रहा था कि २६ रुपया जिसका वेतन होगा, वह आदमी अगर इन मकानों का दस रुपया किराया और कम से कम दो रुपया या अधिक से अधिक ५ रुपया बिजली का देगा, १२ रुपया ही मान लीजिये तो १४ रुपये में उसकी बसर कैसे होगी। उत्तर में कहा जायगा और बड़े जोर से कहा जायगा कि मकान उठाये जा चुके हैं, मजदूर इनमें रह रहे हैं और उनका किराया भी आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? मैं इस सिलसिले की एक अन्तिम लिस्ट पेश करना चाहता हूं कि वास्तव में, अध्यक्ष महोदय, जिनके लिए यह मकान बनाये गये हैं वह व्यक्ति उनमें नहीं पहुंच पाये हैं, नहीं रह रहे हैं और नहीं रह सकते। अभी अन्तिम मीटिंग २८ तारीख को हुई थी। इसमें इन मकानों की लिस्ट है कि यह मकान किस तरीके के लोगों को एलाट किये गये हैं.....

श्री अध्यक्ष—यह काहे की मीटिंग है?

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—हाउसिंग एडवाइजरी कमेटी की।

इसमें यह है कि कानपुर की वह मिलें जो कि कारखाने की शक्ल में कही जा सकती हैं उनमें से किसी मिल से एक आदमी ने, किसी मिल से दो ने, किसी ने बीस और किसी से २५ ने इन मकानों को एलाट कराने के लिये कहा, लेकिन उस मुकाबिले में केन्द्रीय सरकार के जो लोग हैं, मसलन आर्डिनेंस फैक्टरी, जिनके लिये इन मकानों से कोई संबंध नहीं, जिनके लिये यह मकान नहीं बने हैं, उन लोगों ने ३४०; इस्माल आर्म फैक्टरी १८०, इसी तरह से टी० टी० ई० २०७, आर्डिनेंस फैक्टरी ४४५, यानी कहने का मंशा यह है कि उन लोगों ने जिसका वेतन सौ रुपये से अधिक है, उन्होंने इसको बड़ी से बड़ी संख्या में एलाट कराया और वह उन मकानों में रह रहे हैं और उनका किराया आप वसूल नहीं कर सकेंगे इस बिल से, हालांकि वह किराया देते हैं। तो खास तौर से अपने मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि किराये के बारे में वह दोबारा सोचें और गौर करें। प्रश्न उठता है कि तुम्हारा सुझाव क्या है, वह आना चाहिये। मैं उनके बारे में कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। इन मकानों को ४ कैटेगेरीज में, ४ श्रेणियों में विभाजित करना चाहिये। एक तो वह जिनका वेतन सौ रुपया से अधिक है और उनका किराया १२ रुपया या १५ रुपया आप रख दें। इसके बाद दूसरी श्रेणी वह है जिनका वेतन ८० रुपये से और....

श्री अध्यक्ष—क्या आप यह सब विधेयक में लाना चाहते हैं?

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—मैं इस लिये रख रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट इसे विधेयक में ले ले, तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—ये सुझाव विधेयक के वास्ते हैं या स्कीम के वास्ते?

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—जी नहीं, विधेयक के वास्ते।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, हाउस में कोरम नहीं है।

(घन्टी बजायी गयी तथा कोरम पूरा होने के उपरान्त कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष—मैं यह जानना चाहता था कि आप तो सिलेक्ट कमेटी में विधेयक को भेजने के संशोधन का विरोध कर रहे हैं और संशोधन के समर्थक तर्क उपस्थित कर रहे हैं। कुछ समझ में बात नहीं आ रही है, कुछ विरोधाभास सा लग रहा है।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—मैं सिर्फ यह कह रहा था कि आगे जो रूल्स बनेंगे उस समय मौका मिले या न मिले। किराया आप लेना शुरू करेंगे तो सिद्धान्त स्वरूप लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—तो क्या आप यह चीज विधेयक में लाना चाहते हैं, यह मैं जानना चाहता था, क्योंकि वह इसमें नहीं आता है। मैं इस बात की अनुमति नहीं दूंगा कि बहस इस बात की हो जाय कि किस तरह से किराया लिया जाय, क्योंकि इस समय केवल विधेयक के सिद्धान्तों पर विचार हो रहा है। उन्हीं तक इस बहस को सीमित रखिये। अगर उसके लिए तर्क करने में कुछ आंकड़े आप दे दें, तो उसमें कोई एतराज की बात नहीं है।

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा मान करके केवल एक ही बात कहना चाहूंगा इस सम्बन्ध में, किराये की वसूली में या किराये के संबंध में जो भी केन्द्रीय सरकार के साथ बात चीत हुई हो, परन्तु सरकार को उसमें मजदूरों की आर्थिक अवस्था देख करके सहानुभूति पूर्ण ढंग से विचार करना चाहिये।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं इस तजवीज का विरोध करते हुए एक दूसरी बात जो सदन के सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि इस बिल के आने से गृहयुक्त के जहां और अधिकार हैं किराया वसूल करने के, वहां इसी के साथ साथ उन्हें यह भी अधिकार दिये गये हैं कि वह उसकी रक्षा करें, उसका मेंटिनेंस करें, उसकी हिफाजत करें। इसके अलावा और कोई खास बात इस बिल में नहीं है। ऐसी दशा में मैं समझता हूं कि इस बिल को यों हीं पारित किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में और माननीय तिवारी जी ने जो संशोधन पेश किया है उसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक के पक्ष में और विरोध में जो भी भाषण हुये हैं उनको मैंने का ी ध्यान से सुनन की कोशिश की। सभी साथी इस बात को मानते हैं और सभी इस बात से सहमत हैं कि हमारे देश और प्रदेश में जो मजदूरों के घरों और बस्तियों की स्थिति है वह अत्यन्त शोचनीय है। यह भी मानते ही हैं कि आज से कुछ साल पहले तक जिन बस्तियों में हमारे मजदूर रहते थे वे बस्तियां इन्सानों के बसने के योग्य भी नहीं थी। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार दोनों के सहयोग से एक हा-सिंग स्कीम चालू हुई जिसके अन्तर्गत कई हजार मकान इस प्रदेश में बन चुके हैं, कई हजार बन रहे हैं और कई हजार भविष्य में बनेंगे। तो जहां तक इस सरकार ने यह कदम उठाया है, मैं समझता हूं और सब साथी भी इस बात से सहमत होंगे कि इसके लिये केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार दोनों बधाई के पात्र हैं। यह भी अपनी जगह पर सही है कि इन चन्द मकानों के बनने से मजदूरों के मकानों की समस्या पूर्ण रूप से हल होने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी जब एक कदम उठाया गया है तो यह आशा की जा सकती है कि निकट भविष्य में इस समस्या का पूर्ण रूप से समाधान हो जायगा। जब इतने हजार मकान बन गये तो यह भी आवश्यक है कि उनकी देख-भाल के लिये, उनका किस तरह से एलाटमेंट किया जाय और किराया वसूल किया जाय, इस सबके लिये कोई नियम बनने चाहिये और इसलिये इस बिल को पेश किया गया है। तो जहां तक इस बिल के आने की आवश्यकता का संबंध है इस पर भी सभी लोग सहमत हैं।

मुझे आश्चर्य यह हुआ कि माननीय तिवारी जी ने इसके विरोध में इस बात का तर्क पेश किया कि जब सन् १९५२ में एक विधेयक इस सदन में पास हो चुका है जिसमें इस तरह के नियम थे कि सरकारी इमारतों का किराया किस तरह वसूल किया जाय तब इस विधेयक की क्या आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि उस ऐक्ट में और इस बिल के आने में कोई आपस में विरोध नहीं है क्योंकि यह विधेयक जो आया है यह केवल उन्हीं घरों से संबंधित है जो कि सेन्ट्रल हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत बनाये गये हैं यह भविष्य में बनायें जायेंगे। जहां तक उस ऐक्ट का संबंध है, जहां तक मैंने उसको समझा उसका सम्बन्ध सरकारी आम इमारतों से है। तो यह विधेयक एक विशेष काम के वास्ते इस सदन में पेश किया गया है। तो मैं समझता हूं कि कोई विरोध की बात इसके आने में नहीं है।

इसके अलावा जो भाषण इस विधेयक के विरोध में हुये उनमें सबसे बड़ी बात यह कही गयी कि आपने इस विधेयक के अन्दर हाउसिंग कमिश्नर को बहुत अधिकार दे दिये हैं। यह भी शिकायत की गई कि देश की आजादी के बाद इस सरकार का यह तरीका रहा है कि वह अधिक से अधिक अधिकार स्वयं लेना चाहती है और उनको अपने सरकारी अफसरों को दे देती है। मान्यवर, इस संबंध में मेरा भी अपना यह मत है और मैं भी यह महसूस करता हूं कि पिछले चन्द सालों से यह देखने में आया है कि हमारे देश की नौकरशाही मजबूत होती जाती है और दिन प्रति दिन उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांग हो रही है ऐसा मेरा मत है। मैं यह भी जानता हूं कि हमारे सरकारी अफसरान में कुछ ऐसी संख्या भी है जिनका डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं है। यह भी हमारे सामने कठिनाई है कि हम ऐसे और दूसरे अफसरान के अन्दर कोई भेद-भाव नहीं कर पाते हैं, रोटीन के अन्दर सबको प्रोमोशन होता रहता है। तो ऐसी स्थिति में यह अशंका होना कि यदि हम कोई शक्ति उन्हें दे तो उसका इस्तेमाल गलत हो सकता है स्वाभाविक है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी कठिनाई भी है और वह यह कि कोई दूसरा आल्टर्नेटिव दिखलाई नहीं देता। जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं उस स्थिति में कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की या दूसरी, वह बिना गवर्नमेंट सर्विसेज के चल नहीं सकती और जिस स्तर पर हमारी सर्विसेज हैं हमको उन्हीं से काम लेना पड़ता है। फिर इस सम्बन्ध में यदि आप देखें तो सरकार ने थोड़ा सा चेक तो किया भी है। और वह यह कि हाउसिंग कमिश्नर को चाहे कितनी ही शक्ति क्यों न हो लेकिन वह सरकार के अधीन है और उसका जो काम होगा उसके खिलाफ अपील स्टेट गवर्नमेंट को हो सकती है। इस सम्बन्ध में भी माननीय तिवारी जी ने यह कहा कि १९५२ के विधेयक में अपील के अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को थे कि कोई आदमी एलाटमेंट के खिलाफ १५ दिन में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां अपील भेज सकता है लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। (एक आवाज- डिस्ट्रिक्ट जज) खैर, डिस्ट्रिक्ट जज कहा होगा लेकिन मेरी समझ में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आया था। इस संबंध में यह भी कहा गया कि जहां तक हाउसिंग कमिश्नर के (corporation sole) देने की बात है सो वह नहीं है। इस संबंध में एक कानूनी पुस्तक से तिवारी जी ने कार्पोरेशन सोल की डिफीनेशन पढ़ी और यह कहा कि यह जो हाउसेज हैं या बिल के अन्तर्गत उसमें वेस्ट नहीं होते हैं जो होने चाहिये थे।

श्रीमन ! यह दो किस्म के आर्गूमेंट मेरी समझ में नहीं आये कि एक तरफ तो कहा कि हाउसिंग कमिश्नर को सब कुछ बना रहे हैं और दूसरा यह कि आपने इन हाउसेज को उसमें वैस्ट नहीं किया है। जहां तक अपील का संबंध है मुझे कोई परेशानी नहीं है कि अपील स्टेट गवर्नमेंट में होगी। उनकी शिकायत शायद इसलिये है कि उनको स्टेट गवर्नमेंट में ज्यादा विश्वास नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट में अपील होने से मामला ज्यादा जल्दी और आसानी से तय हो जायगा बजाय इसके कि डिस्ट्रिक्ट जज के यहां से, क्योंकि वहां तो महीनों लग जाते हैं।

मैं यह कह रहा था कि हाउसिंग कमिश्नर के ऊपर एक चेक तो यह है कि इसकी अपील स्टेट गवर्नमेंट के पास आ सकती है। दूसरे यह कि मेरा अपना विचार है जो एडवाइजरी

[श्री नवल किशोर]

कमेटी बनेगी, यदि सरकार उसको कुछ ज्यादा शक्ति द द, और जैसा कि विधेयक में है, वह खाली एडवाइजरी बाडी न बनें बल्कि यदि इनको अधिक शक्ति दी जाय तो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर अधिक चेक हो सकता है । एडवाइजरी कमेटी के संबंध में जो बातें कही गयीं मैं उनसे सहमत हूं कि बजाय ७ के संख्या भले ही अधिक कर दी जाय, लेकिन इसके अंदर अधिक मजदूरों के अधिक नुमायदें हों और इस सम्बन्ध में जैसा कि माननीय बहुगुणा जी ने कहा कि जो मजदूर उन मकानों में रहते हैं उनके नुमायदों की संख्या इनमें ज्यादा हो ताकि वह अपनी कठिनाइयों को कमेटी के सामने पेश कर सकें। मैं चाहता हूं कि एडवाइजरी कमेटी के जो सुझाव हों, उनके ऊपर अमल किया जाय। यह न हो कि एडवाइस के तौर पर उनको मान कर नजर अन्दाज कर दिया जाय ।

दूसरी शिकायत जो इस संबंध में की गई थी वह यह थी कि इन मकानों के किराये क्या हों। अवस्थी जी ने इस संबंध में कुछ आंकड़े पेश किये हैं और उन्होंने बतलाया कि इन मकानों का किराया १० रुपये से लेकर १३ रुपया तक है । श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह बहुत अधिक है । हमने अभी यह तय किया है और सोशलिस्ट पैटर्न की बात कही है और हम चाहते हैं कि समाजवादी व्यवस्था हो। हमारा नियम है कि सरकारी जो बड़े-बड़े अफसर हैं उनका वेतन का १० प्रतिशत किराया कटता है। चाहे उनकी कितनी ही बड़ी तनख्वाह हो, दो हजार हो, तीन हजार हो। मैं समझता हूं कि इसी तरह के किसी उसूल को सरकार को मानना चाहिये कि मकानों का किराया और चार्जेज सब मिला कर मजदूर की आमदनी से दस प्रतिशत से अधिक न हो यदि हम इस उसूल को नहीं मानते हैं तो जिस अभिप्राय से यह स्कीम बनाई गई है वह फ्रस्टेट जायगा और पूरा नहीं हो सकेगा और जैसा कि अवस्थी जी ने बतलाया कि जिन गरीब मजदूरों के लिये यह मकान बने थे तो उनकी बहुत कम संख्या इन मकानों में आई है बल्कि आर्डिनेंस फैक्टरीज वगैरह के मजदूर आये हैं जिनकी आमदनी १०० रुपये से अधिक है यानी वह खर्चा उठा सकते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार इधर अवश्य ध्यान देगी और इस सिद्धान्त को मान लेगी ।

यह भी कुछ लोगों को शिकायत हुई है कि इसमें कोर्ट्स को आउट्स कर दिया गया है । इसमें सैक्शन १३ है उसमें यह है कि हाउसिंग कमिश्नर जो करेगा उसकी अपील किसी अदालत में न होगी सकेगी। मैं अपने विचार से यह समझता हूं कि यह एक अच्छा प्राविजन है। मैं अपने यहां की अदालतों की हालत, आपसे निवेदन करता हूं कि जो मामले वहां पर भेजे जाते हैं उनमें महीनों और सालों लग जाते हैं। जल्दी न्याय नहीं हो पाता है । मैं यह समझता हूं कि ऐसा करने से यह बहुत ही सुन्दर चीज हुई है। इसके साथ साथ कुछ थोड़ी सी यह भी आपत्ति हमारे कुछ साथियों को थी कि इसके अन्दर जो यह चीज रखी गयी है कि अगर मजदूर चाहे तो वह अपने किराये को कटाने का मिल मालिक से कंट्रैक्ट कर सकता है और उसका किराया वेतन से काटा जा सकता है, यह उचित नहीं है और यह वेजेज ऐक्ट के विपरीत पड़ता है। मैं समझता हूं कि अगर वह बिना उसके कहे हुये इत्तफाक से काट ले तब तो आपत्ति हो सकती है लेकिन जब दोनों का म्युचुअल एग्रीमेंट है तो इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिये। अगर ऐक्ट के अन्दर कोई आपत्ति है तो सरकार की तरफ से, केन्द्रीय सरकार को सिफारिश की जाय कि वेजेज ऐक्ट के अन्दर इस प्रकार की तरमीम की जाय ताकि उन दोनों में जो कन्ट्रैक्ट हो, वह लिगल माना जाय।

एक चीज इसमें और है कि जो मजदूर अपना किराया नहीं देता है उसको उस मकान से हटाने के कई तरीके इसके अन्दर हैं। एक महीने के अन्दर अगर नोटिस देने पर किराया नहीं अदा करेगा तो उसके खिलाफ बल का प्रयोग भी किया जा सकता है। डैमेज का दावा भी किया जा सकता है और उसको जेल भी भेजा जा सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। इसको देख कर मुझे थोड़ी सी परेशानी मालूम होती है। जो प्राइवेट ओनर्स हैं उनके जो मकानात हैं और उनमें जो टेनेन्स रहते हैं, उनके खिलाफ भी सरकार ने इतने बन्धन नहीं लगाये हैं लेकिन उस मजदूर के खिलाफ जिसके पास जीवनयापन के बहुत कम साधन

हैं उनके लिये इतनी सख्ती करना ठीक नहीं है। बहुत से सरकारी कर्मचारी जिनकी तनख्वाह २ हजार और तीन हजार होती है और जिनका ट्रांसफर दूसरी स्टेट को कर दिया जाता है फिर भी वे एक एक और दो दो साल तक अपनी कोठी यहां पर नहीं छोड़ते हैं और मैं नहीं जानता कि सरकार उनके खिलाफ शक्ति का प्रयोग करती है या उनको जेल भेजती है या उनके ऊपर जुर्माना किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार हो वह जब नियम बनाये तो इस बात का ख्याल रखें कि उनमें सामान्यता हो।

इसके अतिरिक्त तिवारी जी ने बहुत सी बातें कही हैं जो मैं समझता हूं कि इस बिल के बाहर की हैं। उनका जवाब देना होगा, तो माननीय मंत्री जी देंगे। मेरा तो उनसे यह कहना है कि यह जो २, ४ बातें उनके सामने पेश की गयी हैं, मुझे आशा है कि वह इसको स्वीकार करेंगे। एक बात मैं अन्त में जरूर कहूंगा कि जो मजदूर अपना किराया न दे सकें और उसको हटाना हो, उसके संबंध में जैसा कि हमारे और साथियों ने भी कहा है कि जब तक उसका फैसला आर० सी० ए० से या tribunal से न हो जाय तब तक उसको वहां से हटाना नहीं चाहिये।

†श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, मैं माननीय नारायणदत्त तिवारी जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक में जो सबसे दोषपूर्ण और कलंकयुक्त खंड है वह यह है कि हाउसिंग एडवाइजरी कमेटी नियुक्त होगी और सारा अधिकार जो है वह हाउसिंग कमिश्नर को दिया जाता है। अब एडवाइजरी कमेटी का क्या फंक्शन होगा, उसके क्या अधिकार होंगे, वह सब स्पष्ट है। इसके सम्बन्ध में दो रायें नहीं हो सकती हैं। वह केवल इतना है कि वह सलाह दे दें लेकिन उसको मानना या न मानना हाउसिंग कमिश्नर की मर्जी पर निर्भर है। यदि वह सुझाव उनकी समझ में वांछनीय है तो वह स्वीकार कर सकते हैं वर्ना वह उसे अस्वीकार भी कर सकते हैं यह अधिकार उनके पास सुरक्षित है। जब यह देखा जा रहा है कि देश के दूसरे प्रदेशों में यह अधिकार हाउसिंग कमिश्नर को न देकर हाउसिंग बोर्ड्स को दिया गया है तो इस तरह से नाम मात्र को किसी एडवाइजरी कमेटी के सुपुर्द किया जा रहा है और इस तरह से तमाम अधिकार केवल हाउसिंग कमिश्नर को ही दिये जा रहे हैं।

श्री नवलकिशोर जी की शिकायत थी कि सरकार डेमोक्रेसी के नाम पर ऐसा क्यों कर रही है। बल्कि मैं यह कहूं कि उनको सन्देह है, आशंका है कि यह रास्ता वह अपना सकते हैं। मान्यवर, नारायणदत्त जी ने बहुत सी बातें कहीं और उसका जवाब भी सदस्यों की ओर से आया और सम्भवतः कुछ भ्रम सा उत्पन्न हो रहा है। जो बातें श्री नारायण दत्त जी ने कही हैं, हो सकता है कसूर उनका हो कि वह न समझा पाये हों या दूसरे पक्ष की गलती हो सकती है, उन्होंने समझने की कोशिश न की हो। इस बिल में यह जाहिर है कि आप हाउसिंग कमिश्नर को खंड ४ के उपखंड (२) में कार्पोरेशन सोल बना रहे हैं और इसका मतलब यह है कि अगर उनके खिलाफ किसी को दावा करना हो तो वह हाउसिंग कमिश्नर के नाम पर हो और अगर वह कानूनी कार्यवाही करना चाहे तो कर सकता है। श्री नारायणदत्त जी का यह कहना था कि यह कोई भी लोकल बोर्ड, म्युनिसिपिल बोर्ड या ट्रस्ट हो सकता है और अगर उसने कुछ मकान इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए बनवाये हैं तो वहां का रुपया जो आयेगा, वह कहां जमा होगा। बिल के अनुसार वह या तो गवर्नमेंट ट्रेजरी में या इम्पीरियल बैंक में या अब स्टेट बैंक में कहिए, जब इसका ड्राफ्टिंग हुआ होगा उस वक्त इम्पीरियल बैंक था, अब स्टेट बैंक हो जायगा। जो जब आप इस धारा के अनुसार हाउसिंग कमिश्नर को कार्पोरेशन सोल बना रहे हैं तो वह है क्या? वह केवल एक एजिक्यूटर है या जो तमाम आप की आज्ञायें हैं उनको एजिक्यूट करने के लिए है और वह सम्पत्ति किसकी होगी, किसी बोर्ड की होगी? यह सब उससे जाहिर नहीं होता। अतः यह कानूनी दिक्कत है जो आज न मानी जाय, लेकिन वह

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

किसी वक्त भी पैदा हो सकती है। सवाल यह है कि वह किस की सम्पत्ति होगी? उन की क्या कानूनी मजाज होगा कि वह जिसको चाहे सम्पत्ति ट्रांसफर कर सके? य तमाम झगड़े की चीजें ह। कि के हाथ में यह सब अधिकार होंगे यह सवाल है। अगर वह समझते हैं कि कार्पोरेशन सोल बना कर सम्पत्ति सरकार की है तो जो मंशा है वह साफ किया जाय, वह जिसको चाहें, अधिकार दें, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सिद्धान्ततः यह गलत है कि आप एक एडवाइजरी कमेटी बनायें, यद्यपि आप स्वयं समझते हैं कि उस कमेटी का कितना महत्व है। उनके विचारों को कितना महत्व दिया जाता है, वह तो केवल एक नाम मात्र का बिल सुशोभित करने के लिए है और वास्तविकता में तो इसमें कोई सार नहीं है। मान्यवर, माननीय नवल किशोर जी ने कहा कि वह अधिनियम जो सन् १९५२ में बना था और इस विधेयक में कोई विरोधाभास नहीं है। श्री नारायण दत्त जी भी तो कहते हैं कि विरोधाभास नहीं है। तब श्री नवल किशोर जी का कहना उनके पक्ष में गलत हो गया और उनका तर्क उनके लिये ही अहितकारी रहा।

श्रीमन्, दुनियां के किसी भी हिस्से में यह डुप्लीकेशन आफ लेजिस्लेशन सराहनीय नहीं है। कोई भी इसका पोषक नहीं है। इस विधेयक में उस अधिनियम से केवल इतना अन्तर है कि आप इसमें हाउसिंग कमिश्नर को एलाटमेंट का एक विशेषाधिकार देना चाहते हैं। किराये की वसूली और बेदखली के लिये विधेयक इस सदन से १९५२ पारित हो चुका है और वह अधिनियम के रूप में आज भी विद्यमान है। तब सरकार को या तो बेदखली करने में या किराये की वसूली करने में, कोई परेशानी, हो नहीं सकती। इसके अतिरिक्त किराये की दरें भी इसमें हैं। छोटे मकानों के लिये १० रुपया और बड़े मकानों के लिये १३ रुपया है। अब किसी इंडस्ट्रियल वर्कर के लिये यह दे सकना संभव है या नहीं, इस पर किसी की दो राय नहीं है कि वह इसके अयोग्य है। इसके अलावा उन मकानों की क्या हालत है इससे भी सम्मानित सदन पूर्णतया परिचित है। इन सब चीजों को देखते हुये मेरी समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता कि इसमें सरकार को कौन सी कठिनाई उपस्थित हो रही है कि वह इस विधेयक को प्रवर समिति के पास कुछ दिनों के लिये भेजने को तैयार नहीं है और जब कि केवल १५ दिन का समय भी इसमें है और १५ दिन तो अभी बैठेंगे, वह इसी सेशन में आ भी सकता है। इसमें जो बहुत सी कमियां हैं, जो गलत कदम उठाये जा रहे हैं हाउसिंग बोर्ड को न कायम करके वह ठीक हो जायगा। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि हमारे प्रदेश और प्रदेशों से पीछे क्यों? यह मैं मानता हूं कि इस मामले में हमारा चौथा नम्बर है। और भी प्रदेश हैं जहां वर्कर्स की संख्या बहुत अधिक है, परन्तु यह प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो बहुत से कांटिनेंट्स से भी बड़ा है। तो इस प्रदेश का किसी भी लाइन में किसी से पीछे रहना यह शोभा की बात प्रतीत नहीं होती। श्रीमन, देखना यह है कि जिनके लिये कार्य किया जा रहा है, जिनको हित पहुंचाना है, जो कदम उठाया जा रहा है वह सचमुच हितकारी है या नहीं और उससे वास्तव में कुछ लाभ पहुंच सकता है या नहीं। श्रीमन्, यह तो एक ऐसी मोटी बात है जिसके बारे में इस सम्मानित सदन में कोई दो रायें नहीं है कि जो किराया केन्द्रीय सरकार ने मुकर्रर किया है उसको वे नहीं दे सकते। इससे कहीं अच्छा होता अगर यह कह दिया जाता कि यह सहायता हमें कबूल नहीं है। स्थिति पर आवरण डाल कर, परदा डाल कर आप इस प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकते हैं। यह ऐसी गंभीर चीज है जिसको माननीय मंत्री जी समझें कि सिलेक्ट कमेटी एक ऐसा स्थान है जहां पर इस बात का मौका मिल सकता है। इसी से मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---अधिष्ठाता महोदय, आज जो विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत है उसमें उसको प्रवर समिति के सिपुर्द किये जाने का जो प्रस्ताव आया है उसका मैं विरोध करता हूं और साथ में इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ सुझाव मैं माननीय मंत्री जी को आपके द्वारा देना चाहता हूं। इसमें कहीं भी यह नहीं दिया गया है कि जो श्रमिकों को मकान दिये जायंगे उनका किराया क्या होगा। अगर वह किराया अधिक हो जाता है तो जिनकी थोड़ी सी आमदनी है, थोड़ी सी आय है उनके लिए वही किराया बड़ा भारी भार हो जाता है।

अधिष्ठाता---श्री रतनलाल जैन, मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय नारायणदत्त तिवारी ने जो संशोधन पेश किया है उसके आप विरोध में बोल रहे हैं या समर्थन में।

श्री रतनलाल जैन---विरोध में।

अधिष्ठाता---तो कह दीजिये कि आप विरोध में बोल रहे हैं।

श्री रतनलाल जैन---मैंने अर्ज किया कि जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव आया है मैं उसका विरोध करता हूं। और साथ में कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी को आपके द्वारा देना चाहता हूं। उन सुझावों का सारांश इन अधिनियम में या इसके बाद जो रूल्स बनायें, उनमें समावेश कर दें। इसलिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। प्रवर समिति के सुपुर्द करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसी कोई इसमें बात नहीं है जिसके लिये प्रवर समिति में भेजा जाय। जो भी इसमें कमियां हैं वह यही सदन इसी समय ठीक कर सकता है या नियमों में उनको ठीक किया जा सकता है। इसलिये मैं प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को ठीक नहीं समझता। परन्तु जो सुझाव मैं आवश्यक समझता हूं उनकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

साधारण नियम किराये के सम्बन्ध में बड़े-बड़े अफसरों का यही है कि उनके वेतन का दशांश ले लिया जाता है। यही नियम इन श्रमिकों के सम्बन्ध में भी होना चाहिए। चाहिए तो यह है कि एक दशमांश से भी कम किराया हो, १५ वां हिस्सा हो। अगर १५वां हिस्सा नहीं रखा जाता है तो दसवें हिस्से से किसी तरह से भी अधिक नहीं होना चाहिए। इसलिये जब इस बात का इस विधेयक में कहीं जिक्र नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि इस अधिनियम के मातहत जो नियम बनायें उन नियमों में इस बात को विशेष कर रख दें। दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहूंगा वह यह है कि एक परामर्श देने वाली समिति का जिक्र इस विधेयक के अन्दर आया है। परन्तु उसमें यह नहीं दिया गया है कि उस परामर्श समिति को क्या अधिकार होंगे, क्या क्या मामलात उनके सुपुर्द होंगे। इसलिए एक तो यह आवश्यक है कि परामर्श समिति को काफी अधिकार दिये जायं काफी मामलात में वह अपनी राय दे सकें। कितना किराया हो, उनके मकान की मरम्मत, मकानों की सफाई, किन किन को बेदखल करना चाहिए, कहां रियायत करनी चाहिए, कहां नहीं करनी चाहिए, इन सब के सम्बन्ध में यह अपनी राय दे सकें। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे जब नियम बनावें तो इस परामर्श देने वाली समिति को काफी अधिकार दे दें जिससे वे उस मामले में जो श्रमिकों से सम्बन्ध रखते हैं उनमें काफी मशविरा दे सकें। साथ में परामर्शदात्री समिति के लिये यह भी कहूंगा कि यह समिति उन श्रमिकों की सहायता के लिये है और गृह आयुक्त के लिये भी है। इस समिति के सात सदस्य होंगे और एक उसका सभापति होगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि श्रमिकों के प्रतिनिधि कम से कम तीन होने चाहिये। आधा उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिये ताकि उन श्रमिकों की जो कठिनाइयां हैं, जो असुविधायें हैं, जो उनकी दिक्कतें हैं, जो उनकी परेशानियां हैं वह गृह आयुक्त के सामने रखी

[श्री रतनलाल जैन]

जा सकें, उनके सामने लाई जा सकें ताकि उनकी परेशानियों का हल निकल सके। यह जो मकानात बनाये जा रहे हैं वे श्रमिकों के लाभ के लिये बनाये जा रहे हैं। जब यह श्रमिकों के लाभ के लिये हैं तो उनकी बात को रखने वाले उनके दृष्टिकोण को रखने वाले सदस्य ज्यादा होने चाहिये। इसलिये आप जो नियम बनावें उसमें ऐसा रखें कि कम से कम आधे श्रमिकों के प्रतिनिधि उसमें हों।

इसके अतिरिक्त मैं यह अर्ज करूंगा कि इस विधेयक में यह रखा गया है कि जहां कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे दोनों सजायें हो सकती हैं। उसे मकान से भी निकाला जा सकता है, उसको दण्ड भी दिया जा सकता है और दंड में ६ मास की सजा और १,००० रुपया जुर्माना हो सकता है। बाज-बाज हालत में यह दोनों सजायें भी हो सकती हैं। मान लीजिये कोई श्रमिक शैतानी कर रहा है और गड़बड़ी कर रहा है तो उसको अगर आप दोनों सजायें दे दें तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी सदस्य उसमें आक्षेप नहीं करेगा, लेकिन ऐसी भी हालत हो सकती है कि गृह आयुक्त किसी श्रमिक से नाराज हो जाय और किसी मामूली बात पर उसे सजा दे दें। मान लीजिये कि वह किराया नहीं दे रहा है और किराया न देने की कई दशायें होती हैं। कोई तो जानबूझ कर किराया नहीं देना चाहता वह तो पूरी तरह से अपराधी है परन्तु जिसकी आर्थिक अवस्था खराब है, जिसके जिम्मे कई व्यक्तियों का भार है, मां है, बाप है, कई बच्चे हैं, घर में बीमारी है जिसके कारण वह किराया नहीं दे पा रहा है तो ऐसी सूरत में वह श्रमिक रियायत का मुस्तहक़ है और उसके साथ जितना भी सहानुभूति पूर्वक बर्ताव किया जाय, अच्छा है। दो महीने किराया न अदा करने पर बेदखली की जा सकती है उसने प्रार्थना-पत्र दिया कि मोहलत दी जाय, एक मोहलत दे सकता है दो मोहलतें दे सकता है यह ठीक है लेकिन उस दशा में जब कि वह श्रमिक शैतानी नहीं कर रहा है और विवश है और विवशता के कारण किराया नहीं दे पा रहा है तो उसको मकान से निकाल देना एक अत्याचार है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जब वह नियम बनायें तो उसमें ऐसी बातें रख दें कि कोई गृह आयुक्त किसी दशा में भी एक निर्दोष श्रमिक को परेशान नहीं कर सके। जहां यह रखा है कि मकान से बेदखल कर दें उसमें यह भी है कि दूसरे खंड, दंड, जेलखाना या जुर्माने की सजा भी दी जा सकती है। इन दोनों सजाओं के समान बेदखल होना भी एक सजा है और उसके साथ ही सजा और जुर्माना मिल कर बहुत अधिक हो जाता है। इसलिये ऐसे नियम होने चाहिये कि जिनसे कहीं एक निर्दोष या कम दोषी पर ज्यादा सजा न हो जाय। इस बात के लिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान खास तौर से आकर्षित करूंगा कि यह जो विधेयक और नियम श्रमिकों की सहायता के लिये बनाये जा रहे हैं वह कहीं उनके लिये एक अत्याचार का शस्त्र साबित न हों, इसका वह नियम बनाते समय काफी एहतियात रखें। इस सम्बन्ध में मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं।

साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि उनको बेदखली के अधिकार बहुत सी हालतों में हैं। अगर कोई आदमी अपनी विवशता के कारण किराया न दे सकें या और कोई आपत्ति उसको हो तो उसको यह जो गृह आयुक्त मुकर्रर किये जाते हैं वह काफी मोहलत दें और काफी सहूलियत दें कि जिससे वह किराया अदा आसानी के साथ कर सके और उसकी बेदखली न हो। यह सब कानून उनके लिये इस्तेमाल होना चाहिये कि जो जानबूझ कर, जिसकी अच्छी दशा हो और फिर किराया न देना चाहता हो, उसके लिये जो भी सख्ती करें, वह ठीक है। परन्तु जो इस तरह से निर्दोष है जिसके ऊपर आपत्ति आयी हो उसके साथ में जबर्दस्ती करना या उसको सजा देना किसी तरह भी उपयुक्त नहीं है। इसलिये नियमों में ऐसी बात कर दें कि जो गृह-आयुक्त है वह भी किसी तरह सजा न दे सके और इसके साथ मैं यह भी कहता हूं कि यह भी मुमकिन हो सकता है कि यह जो परामर्शदात्री समिति है और उसमें श्रमिकों के

प्रतिनिधि आयेंगे, हमेशा हर जगह पर पार्टी बन्दी होती है, दलबन्दी होती है कहीं इसका भी गृह-आयुक्त ध्यान रखे कि यह प्रतिनिधि तो किसी बेचारे मजदूर पर अत्याचार तो नहीं कर रहा है। इसलिये इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिये। तो यह जो चीज श्रमिकों की सहायता के लिये है ऐसा न हो कि वह श्रमिकों ही के लिये एक अत्याचार के रूप में बन कर रह जाय, इसका भी ध्यान रखना चाहिये यह बातें मैं मंत्री जी के सामने प्रस्तुत करता हूं। अन्त में मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वह ऐसा एक विधेयक जो श्रमिकों के लिये सहायक है वह इस सदन में उन्होंने प्रस्तुत किया और मैं इन शब्दों के साथ प्रवर समिति में इस विधेयक के जाने की आवश्यकता नहीं समझता। जितने मैंने सुझाव दिये हैं यह सब नियमावली जो बाद को बनेगी उसमें आ सकते हैं और उसमें इनका पूरा ध्यान रखा जा सकता है। इसलिये उसको प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं।

श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला टेहरी गढ़वाल)—अधिष्ठाता महोदय, मैं नारायण दत्त जी के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन् आज जितने सदस्यों के भाषण मैंने सुने, इधर से और उधर से, उन सब भाषणों का लुब्बे लुबाब यही है कि यह विधेयक अवश्य प्रवर समिति को जाना चाहिये। अभी माननीय रतनलाल जी ने अपने भाषण में जो इस अधिनियम में खामियां हैं जो कमियां हैं उनको उन्होंने प्रकट किया। किन्तु इसी बात में गुप्त हो गये कि यह सब बातें जो कि अधिनियम में आनी चाहिये थीं वह रूल्स में बना दी जाय। श्रीमन् सबसे पहले मैं हाउसिंग कमिश्नर के सिलसिले में जो इस अधिनियम में रक्खा गया है, विचार रखना चाहता हूं। हाउसिंग कमिश्नर इस अधिनियम में एक कार्पोरेशन सोल माना गया है, एक लीगल पर्सन माना गया है। किन्तु कारपोरेशन हाउसिंग कमिश्नर के अधीन कोई भी सम्पत्ति, कोई भी आमदनी नहीं रखी गई है। जाहिर है कि हम ऐसे लीगल पर्सन या ऐसे कारपोरेशन सोल की कल्पना कर रहे हैं जिसके पास कोई सम्पत्ति नहीं है। हालांकि इसमें यह व्यवस्था की गई है कि हाउसिंग कमिश्नर को अधिकार होगा कि वह अपने नाम में वाद प्रस्तुत कर सके अथवा कोई भी व्यक्ति हाउसिंग कमिश्नर के खिलाफ कोई वाद प्रस्तुत कर सके। हमें देखना यह है कि वास्तविक स्थिति क्या है? यद्यपि हम हाउसिंग कमिश्नर को कारपोरेशन सोल मानते हैं किन्तु इसी अधिनियम के जरिये से हाउसिंग कमिश्नर के खिलाफ कोई भी मुकदमा, कोई भी वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अदालत का जूरिस्डिक्शन धारा ८ जो इस अधिनियम में दी गई है और धारा ८ और १३ के मातहत में हम हाउसिंग कमिश्नर के खिलाफ किसी भी कार्य के वास्ते किसी समय में कोई वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं कोई ऐक्शन ला कोर्ट स में ल नहीं सकते हैं। तो यह तो बात यह रही कि हाउसिंग कमिश्नर के खिलाफ जिसको कि कारपोरेशन सोल माना गया है, उसके खिलाफ कोई वाद प्रस्तुत कर सकते हैं या नहीं, कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ वह कोई अन्याय करता है, जिसके खिलाफ वह कोई अनुचित कार्यवाही करता है, वह उसके खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकता है या नहीं। तो कोई भी व्यक्ति उसके कार्य के खिलाफ उसके कृत्यों के विरुद्ध कोई भी वाद किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकता। अब देखना यह है कि क्या कारपोरेशन सोल जिसको यह अधिकार दिया गया है वह खुद वाद प्रस्तुत कर सकता है या नहीं। अधिष्ठाता महोदय, मैंने इस विधेयक को पढ़ कर देखा, कोई भी ऐसी समस्या या कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आ सकती है जिसमें कि हाउसिंग कमिश्नर को वाद प्रस्तुत करने का अवसर या आवश्यकता पड़ेगी। हाउसिंग कमिश्नर को जो इतने बड़े अधिकार दिये गये हैं, उसको हाउस को एलाट करने का, रेंट तय करने का ऐग्रीमेंट करने का एलाटमेंट को कैंसिल करने का, सब अधिकार उसको दे रखा है और अगर कोई रेंट बकाया है, कोई रेंट नहीं देता है, उस पर भी उसको एजेक्ट करने का अधिकार दे रखा है और बेदखल करने के लिए वह स्वयं बल का प्रयोग, शक्ति

[श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट]

का प्रयोग भी कर सकता है। ऐसी स्थिति में इस विधेयक के सेक्शन २५ और २७ जिनमें कि अधिकार दिये गये हैं किसी व्यक्ति के खिलाफ छः महीने के कारावास का दण्ड या एक हजार के जुर्माने का दण्ड दिया जा सकता है, उसकी क्या आवश्यकता पड़ती है? अभी माननीय रतनलाल जी जैन कह रहे थे कि यह डबुल पनिशमेंट हुआ कि किसी को आप उसक ....

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

अधिष्ठाता—अब तो कोरम हो गया।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट—रेंट जो बकाया है, उसको आप लैंड रेवेन्यू की तरह से वसूल करें और कास्ट सहित, उसको वसूल करें ऐज एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू और उसके वसूल करने के बाद भी उस आकुपावर को इंडस्ट्रियल वर्कर को जो कि मकान को लिए हुए है उसको एजेक्ट हाउसिंग कमिश्नर कर सकता है और एजेक्टमेंट करने में बल का प्रयोग भी कर सकता है, तो इसलिए फिर क्या आवश्यकता पड़ी कि अर्थ दण्ड की व्यवस्था या कारावास की व्यवस्था की गई। ऐसी कोई परिस्थिति इस विधेयक में देखने में नहीं आती है जिसमें कि इसकी व्यवस्था कहीं की आवश्यकता प्रतीत होती हो। इसलिये मैं समझता हूं कि इस विधेयक में अवश्य कुछ खामियां हैं जिससे कि उसे प्रवर समिति में जाना चाहिए। इसमें ऐडवाइजरी कमेटी जो बनाई गई है जो इसमें रखा गया है उसका कोई मतलब नहीं है। अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं कि इस ऐडवाइजरी कमेटी की संख्या भी बढ़ाई जाय और इसको कुछ अधिकार भी दिये जायं। यह जो सुझाव दें इनके सम्बन्ध में कम से कम उनकी कुछ वायस हो ताकि वह इस सम्बन्ध में अधिक सुझाव और उचित सुझाव दे सकें। इन वजूहात से मैं माननीय नारायण दत्त तिवारी का जो संशोधन है उसका समर्थन करता हूं और प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार उसको मान ले।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—मैंने माननीय सदस्यों के भाषण को बड़े गौर से सुना और प्रस्तुत विधेयक की जो धारायें हैं उसके एम और आब्जेक्ट का अच्छी तरह से विश्लेषण किया।

मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि प्रस्तुत विधेयक त्रुटियों से भरा पड़ा है, जिसके कारण मैं अपने को मजबूर पाता हूं यह प्रार्थना करने के लिये माननीय मंत्री जी से कि वह जो कोई भी रास्ता इन त्रुटियों को दूर करने के लिए उचित समझें उसको अवश्य अख्तियार करें, ताकि यह विधेयक, जिसके अन्दर बड़ी बड़ी खामियां हैं, जोकि पास होने के बाद अदालतों में नजर आयेंगी, मैं दरख्वास्त करता हूं वह खामियां जो कल रोशनी में आयेंगी, आज ही उनको क्यों न दूर किया जाय और उसका अभी प्रयास क्यों न किया जाय।

सबसे पहली जो कमी मुझे इस विधेयक के अन्दर दिखाई देती है, जो कि प्राइमाफेसी है, वह करसरी व्यू से जो नजर आती है, यह है कि केवल सरकार के ही अधिकारों का इस विधेयक के अन्दर जिक्र किया गया है और जो गरीब मजदूर के मकानों को किराये पर लेंगे उनके अधिकारों का कोई भी जिक्र इस विधेयक के अन्दर नहीं किया गया है। यह कानून की व्यवस्था, जो कि सदन में पास करने के लिये प्रस्तुत की गयी है वह एक-तरफा कार्यवाही है और मैं समझता हूं कि इस बड़ी भारी कमी को मद्दे नजर रखते हुए इस विधेयक को फिर से देखा जाना चाहिये और फिर से ड्राफ्ट होना चाहिये। सबसे बेसिक प्रिंसिपिल कानून का यह है कि अगर कोई कानून किसी व्यक्ति या संस्था के राइट्स पैदा करता है तो उसके साथ साथ लायबिलिटीज भी कानून बनाता है। "देयर इज नो राइट बिदाउट लायबिलिटीज एन्ड देयर आर नो लायबिलिटीज विदाउट राइट्स।" इसमें जब हम देखते हैं तो केवल राइट्स ही राइट्स नजर आते हैं और सरकार की क्या लायबिलिटीज और क्या जिम्मे-

दारियां होंगी, वह इस ऐक्ट के अन्दर नहीं बतायी गयी हैं। यह तो एक यूनिलेटरल कंसीडरेशन है, जब कि हमारे बिल को हर एक कंसीडरेशन पर आधारित होना चाहिये था। अभी तो तस्वीर की एक ही साइड इसमें पेश हुई है और वह भी कतई नाकाफी है तो सदन उस पर कैसे पूरा-पूरा विचार कर सकेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस बिल के द्वारा कामन ला कोर्ट्स का जो अधिकार है उसको भी ले सकेंगे, जो कि पहले से ही हमारे भारतवर्ष के कानून में कामन ला कोर्ट्स में इन्वेस्ट कर रखा है। वह रेमेडी, जो कि हर गरीब और हर संस्था को, हर व्यक्ति को कामन ला कोर्ट से मिल सकती थी उसकी जगह समरी रेमेडी की इस बिल के अन्दर व्यवस्था रखी गयी है, जोकि कानूनन हमें कतई नाकाफी और अपूर्ण मालूम होती है। क्योंकि उसके साथ ही साथ यह भी एक दफा रखी गयी है कि किसी भी कानून की अदालत से उस कमीशन के फैसले के खिलाफ कोई भी रेमेडी नहीं मिल सकेगी। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था से, जो अधिकार हमारे नागरिकों को पहले से मिला हुआ है उसको छीन लेना, ऐसा मंशा इस बिल में रखना मैं समझता हूं यह हमारे अधिकारों के ऊपर एक बड़ा भारी आघात है और आज के जमाने में, जब कि हमारा देश हमारे नागरिकों को अधिक से अधिक फ्रीडम देने जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने जा रहा है, वह राइट्स जोकि अंग्रेजों के जमाने में सुरक्षित थे, वह रेमेडी जो कामन ला कोर्टस् वगैरह की मिल सकती थी, आज उस सबका दरवाजा हम इस छोटे से विधेयक के जरिये बन्द कर देना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह हमारी कोई बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। तीसरी बात जो कि स्पष्ट इस बिल में दिखाई देती है वह यह है कि जो कमिश्नर और दूसरे अधिकारी सरकार नियुक्त करना चाहती है, जिसकी व्यवस्था इस बिल के अन्दर की गयी है, मैं समझता हूं यह भी उचित नहीं है। जो व्यवस्था अभी तक किराया उगाहने के लिये है क्या सरकार यह समझती है कि वह नाकाफी है, उसके अन्दर कमियां हैं। अगर ऐसा है तो वे कौन सी कमियां हैं, इसके लिये क्या जस्टीफिकेशन है, हम इसके कारण जानना चाहते हैं। जब तक कि इस सदन के माननीय सदस्यों को वे कारण नहीं बतलाये जाते, जिनकी वजह से हमारे मंत्री महोदय प्रेरित हुये हैं कि एक नयी व्यवस्था इस विधेयक के अन्दर इस प्रकार की रख दी जाय कि एक स्पेशल मशीनरी उन श्रमिकों से डील करने के लिये बनाई जाय जो कि निहत्थे हैं और जो जस्टिस के लिये हर दम प्यासे होते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की एक नई मशीनरी खड़ी कर देना और उनके अधिकारों को जो कि सदियों से दबते चले जा रहे हैं छीन लेना और उनके इंसाफ का सच्चा और सही दर्वाजा जो कि कामन ला कोर्ट्स हैं उसको इस मशीनरी के जरिये बन्द कर देना किसी तरीके से भी उचित नहीं है। इस मशीनरी को ऐक्ट की धारा में परिणत नहीं करना चाहिये। मैं बताना चाहता हूं कि आज के जमाने में जब कि रुपये पैसे का बोलबाला है क्या उन सरकारी अफसरान के इंसाफ और जजमेंट को वे मिल मालिक खरीद नहीं सकते? एग्जीक्यूटिव आर्डर्स जो कि एग्जीक्यूटिव अथारिटीज के होते हैं उनमें जुडिशियल कंसीडरेशन्स इतने ऊंचे नहीं होते। एग्जीक्यूटिव आर्डर्स तो आसानी से रुपये पैसे के बल पर हासिल किये जा सकते हैं और करोड़ों आदमियों को कुचला जा सकता है।

चौथी बात जो कि मुझे स्पष्ट इस विधेयक की धाराओं को पढ़ने से नजर आती है वह यह है कि जब कि मैं उस व्यवस्था को विजुअलाइज करता हूं जो कि इस विधेयक के द्वारा की जा रही है तो उसकी तस्वीर इतनी धुधंली मेरे दिमाग में खिंचती है कि उसको मैं एक व्यवस्था कहने के लिये कतई तैयार नहीं हूं। बताया गया है कि गरीब श्रमिकों के लिये मकान बनाये जायगें। परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे देश के भविष्य को सुन्दर बनाना चाहते हैं और उसको एक प्लान के मुताबिक बनाना चाहते हैं तो स्वयं इस विधेयक से पता चलता है कि कोई भी प्लान सरकार के पास उन बस्तियों को बसाने के लिये नहीं है जो कि बसाई जा रही हैं। इस विधेयक के अन्दर उन श्रमिकों के अधिकार होने चाहिये, जिनसे मकान का किराया लिया जायगा। उनको सैनिटेशन के क्या अधिकार होंगे, प्लेग्राउण्ड की व्यवस्था होगी या नहीं, रीडिंग रूम्स और प्राइमरी स्कूल्स की क्या व्यवस्था

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

होगी, उनके क्या क्या अधिकार होंगे उस कालोनी में इसकी कोई भी पिक्चर इस बिल के अन्दर नहीं है। यही कारण है कि जिनकी वजह से मैं बताना चाहता हूं कि यह विधेयक बिलकुल इन्कम्प्लीट है। क्या सरकार को आज इतना डर हो गया है। उस जमाने में जब कि विदेशी सरकार थी तब भी तो किरायेदारों से सरकार किराया उगाहा करती थी। तब भी सरकार के मकान हुआ करते थे जो कि लोगों के पास होते थे। आज अपनी सरकार है तो उसको कौन सा इतना भय हो गया कि उन लोगों से किराया वसूल करने में इतनी दिक्कतें होंगी, जो कि विदेशियों के जमाने में भी नहीं हुआ करती थीं। अगर बाहरी हुकूमत उन मुसीबतों को सहन कर सकती थी और लोगों के दुख और दर्द को महसूस कर सकती थी तो मैं कहता हूं कि हमें और भी कारण हैं और वह यह है कि हमारी सरकार को उससे भी आगे सहूलियत देनी चाहिये थी, समय देना चाहिये था और दुख और दर्दों के सुनने का बराबर मौका देना चाहिये था, लेकिन हम इस बिल के जरिये एक रिट्रोग्रासिव स्टेप ले रहे हैं, जिसको हम प्रगति शील नहीं कह सकते हैं। यह एक ऐसा स्टेप है जो रिवर्स डायरेक्शन की तरफ, पीछे की तरफ हमारे कदम को हटाता है। जब कि हमें अपने अधिकारों को आगे बढ़ाना चाहिये था, उनको केवल उतने ही तक महदूद न रख कर उनको पीछे ढकेला जाता है बल्कि उनके मूलशः जड़ को उखाड़ना चाहते हैं तो यह गलत तरीका है और हमें इस पर बड़े ध्यान पूर्वक गौर करना है। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि. . . .

अधिष्ठाता—मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूं कि जो संशोधन इस समय सदन के सामने माननीय नारायणदत्त जी का है, उसी विषय पर आप अपने को सीमित रखें और बाहर न जांय।

श्री चन्द्रसिंह रावत—अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं कि यह मेरा अधिकार है अगर मैं यह समझता हूं कि यह विधेयक इन्कम्प्लीट है तो मैं दरख्वास्त माननीय मंत्री महोदय तथा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से कर सकता हूं कि यह बिल इतना नाकाफी है और सरकार को इसकी कमजोरियों को और कमियों को दूर करने के लिये अगर वह कोई कदम उठा सकती है तो उठाये। इसी प्रकार की गलती मैं सदन को बतलाना चाहता हूं और सदन में हम इसीलिये अपना समय जाया करते हैं।

अधिष्ठाता—आपके उस अधिकार को कोई सदस्य छीन नहीं सकता है, मगर मैं जानना चाहता हूं कि माननीय नारायणदत्त जी के संशोधन के पक्ष में या विपक्ष में बोल रहे हैं।

श्री चन्द्रसिंह रावत—मैं इस प्रस्ताव से भी कुछ आगे हूं और मैं कहता हूं कि इस बिल को वापस लिया जाकर.....

अधिष्ठाता—मैं यह जानना चाहता हूं कि आप संशोधन के पक्ष में या विपक्ष में बोल रहे हैं।

श्री चन्द्रसिंह रावत—मैं विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मैं जा रहा हूं इससे भी आगे। अगर सेलेक्ट कमेटी में यह विधेयक जाता है तो इसमें इतनी कमजोरी और कमियां हैं कि मैं सदन को आगाह कर देना चाहता हूं कि वह सेलेक्ट कमटी में भी दूर नहीं की जा सकेंगी।

इसलिये मैं यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आज जब कि हमारी स्टट को एक सोशलिस्टिक स्टेट, हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने, हमारे पथ प्रदर्शकों ने घोषित कर दिया है तो मैं समझता हूं कि जब इस जमाने में यह मकानों की जो व्यवस्था की जा रही है तो फिर इस प्रकार के मकानों की व्यवस्था नहीं होनी चाहिये कि उन मकानों को हमारे श्रमिक न ले सकें और उनका उपभोग न कर सकें।

इस स्कीम से जो हमारा मकसद है वह गरीबों की इमदाद करने का है अगर इन मकानों का किराया इतना अधिक है कि गरीब लोग उससे महरूम रह जायं तो हमारे राष्ट्र का यह फर्ज है, हमारी सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह इस प्रकार का रास्ता निकाले, जिससे वह लोग मकानों को किराये पर ले सकें, जिनके लिये कि यह मकान बनाये गये हैं और जिन व्यक्तियों के लिये यह मकान बनाये गये हैं वही व्यक्ति उन मकानों का उपभोग करें। अगर इस प्रकार के किराये की व्यवस्था इसमें नहीं रखी जाती है तो मैं इस सेट अप के अधीन जो हमारी सरकार चल रही है जो नये उसूल और विश्वास पर हमने अपनी नई हुकूमत खड़ी की है, उसके सामने मैं यह साफ करना चाहता हूं कि अगर कोई शख्स किसी मकान में तीन साल तक रह चुका है और एक खास पीरियड तक जब उस मकान की कीमत अदा हो चुकी है तो वह मकान उस श्रमिक के अधिकार में क्यों न चला जाय। मैं समझता हूं कि इंसाफ के दृढ़ उसूल और विश्वास, जिन पर हमारी सारी जुडिशियरी खड़ी है, हमें यह आज्ञा देती है, यह पथप्रदर्शन करती है कि जब किसी मकान की कीमत अदा हो चुकी है उसके बाद उस प्रापर्टी से नाजायज फायदा उठाना वैसा ही है जैसा कि हम गुजिश्ता जमाने में कहा करते थे कि शोषण हो रहा है। वही शोषण आज हमारे इस इन्कम्पलीट कानून के जरिये से होता है तो क्या हमें उस शोषण को सहन करना चाहिये? मैं इस प्रश्न को सदन के विचार के लिये उपस्थित करता हूं और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था अवश्य इस बिल के अन्दर रखनी चाहिये कि जब उनके मकान की पूरी कीमत सरकार वापस ले लें तो उनका पूरा अधिकार उन श्रमिकों के हाथ में पूरी तरह से चला जाना चाहिये।

आखिरी बात जिसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि सबसे पहले जब कि हम कोई कालोनी बसाते हैं तो हमारे लिये यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि अगर हम अपने राज्य के भविष्य का नक्शा स्वस्थ और सुन्दर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक प्लान होना चाहिये। उसके अन्दर ड्रेनेज स्कीम हो, सड़कें हो, स्कूल कालेज हों दवाखाने हों और पार्क हों,। जितनी भी कलचरल डेवलेपमेंट के लिये, शारीरिक बल बढ़ाने के लिये, जितनी भी जरूरी चीजें हैं वह सब उस नक्शे के अन्दर अंकित होना चाहिये। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि सरकार के पास अगर उस नक्शे को पूरा करने के लिये रुपया नहीं है तो फिर भी उसको पूरा करे। मैं नहीं चाहता कि उस स्कीम को और उस प्लान को आप ५ साल के अन्दर ही पूरा करें। मैं यह चाहता हूं कि एक सुन्दर भविष्य का नक्शा जिसका आप निर्माण करना चाहते हैं उसकी कोई भी कड़ी जो आज जोड़ी जाती है वह उस नक्शे को पूरा करने के लिए और उस नक्शे की सुन्दरता बढ़ाने के लिये हो वह उसके अन्दर कुरूपता न लाने के लिये और उस नक्शे को खड़ा करने के लिये हमें कोई वैसा कार्य नहीं करना चाहिये। उस नक्शे को सामने रखते हुये जो भी हम मकान बनावें वहां पर ड्रेनेज होना चाहिये। हमको भी बुद्धिजीवी लोगों की तरह से आगे बढ़ना है। आने वाले ५० साल का नक्शा हमारी सरकार के पास होना चाहिये और उस पर बड़ी बड़ी डिबेट करके फैसला होना चाहिये। जो बात हमको उस प्लान के मुताबिक ५० साल में करनी है उसको पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिये और ५० वर्ष में आने वाली जरूरतों को वह नक्शा पूरा करता हो। इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें हमें कुछ प्लानिंग की इमदाद अवश्य लेनी होगी। कोई भी कालोनी जब हम बसाते हैं उसको टाउन प्लानर से अप्रूव होना चाहिये और उसी के मुताबिक वह बस्ती बसनी चाहिये। जहां पर आप बस्ती बसाना चाहते हैं और लोगों के लिये मकान बनाना चाहते हैं वहां पर सैनीटेशन डिपार्टमेंट के स्टाफ का प्रबन्ध होना चाहिये ताकि वहां पर लोग रोगग्रस्त न हों। जिस बस्ती को आप लोगों के जीवनयापन के लिये बसाना चाहते हैं वहां पर यह सब प्रबन्ध होने चाहिये, जिससे लोगों की जिन्दगी रोगग्रस्त होकर खत्म न हो जाय। इसलिये मैं समझता हूं कि वह इमदाद जो आप करना चाहते हैं वह हमारे उन श्रमिकों के लिये वरदान साबित होगी, नहीं तो वह अभिशाप ही साबित होगी। इन सब बातों को सामने रखते हुए जो कदम सरकार उठाना चाहती है उसके लिये मैं सरकार से निहायत अदब के साथ निवेदन करूंगा कि इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है और कोई अन्याय

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

की बात भी नहीं है। अगर आपने कोई गलत कदम उठाया है तो उसको आप पीछे हटा सकते हैं इसमें कोई हानि की बात नहीं है। चर्चिल को आपने देखा कि उसने अपनी गलती को कबूल किया और अपनी फौजों को रिट्रीट किया और अपने राष्ट्र को कायम रखा। उसने गलतियों से अपने को शुद्ध किया। अपनी हुकूमत को लोगों के विश्वास पर आगे बढ़ाया और अपने राष्ट्र को और दृढ़ बनाने के लिये निरन्तर प्रयत्न किया। मैं समझता हूं कि अगर हमारे माननीय मंत्री जी भी एक नतीजे पर पहुंचते हैं और अगर वह हमारी दलीलों से प्रभावित हो जाते हैं तो मुझे आशा है कि वह हमारे रीजन को समझेंगे और अगर वह समझते हैं कि हमें अपने भविष्य की झांकी को दूर अन्देशी से नहीं देखना चाहिये तो वह जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं और हम लोगों में यहां बड़े-बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत से यूनिवर्सिटीज की खाक छान चुके हैं और जिन्होंने दुनिया के इतिहास को दीमक की तरह चाटा है और बहुतों को तो उसके पन्ने के पन्ने याद हैं तो हमें उस शिक्षा का लाभ उठाना चाहिये और दुनियां के उस तजुर्बे से हमें कुछ सीखना चाहिये और अगर हमारे में कोई कमियां हैं तो उनको रेक्टिफाई करने में हमें कदम पीछे न उठाना चाहिये क्योंकि बुद्धि किसी की मानोपली नहीं है और दुनियां में कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि "I am all intelligence and all wisdom" और अक्ल दुनियां में किसी के हिस्से में नहीं आयी है, ऐसी बात नहीं है। हम अपनी बुद्धि से बहुत सी बातें सीख सकते हैं और दूसरों के तजुर्बे से अपने को ठीक कर सकते हैं, अपनी गलती सुधार सकते हैं और दूसरों को भी सही तरीके से समझा सकते हैं। इसलिए जब हम अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं और एक ऐसा कदम उठा रहे हैं जिसमें राष्ट्र के रुपये के व्यय का एक बहुत बड़े पैमाने पर प्रश्न है तो उसको अगर हम गलत तरीके से इस्तेमाल कर जाते हैं कि जिससे राष्ट्र की प्रगति नहीं होती, बल्कि हम पीछे ही हटते हैं तो मेरा विश्वास है कि हमारा भविष्य नीचे और धरती की तरफ ही जायगा, उस हालत में हम अपने को पंगु ही पाते हैं और देश भी डूबता नजर आता है। इसलिए मैं एक बार मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को वापस लीलिए, सही सलामती से, वैसे तो डेमोक्रेसी है, एक पंचायत है, अगर आप लुढ़केंगे तो शायद मैं भी चट्टान से नीचे लुढ़क जाऊं, लेकिन मैं तो विश्वास रखता हूं और उसके कारण मैं तो बच जाऊंगा वैसे मौत सबकी होगी, मुमकिन है मेरी न हो। इसलिए अन्त में मैं कहूंगा मंत्री जी इस पर गौर करें।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक के लिए साढ़े ३ दिन का समय था, इस वक्त करीब डेढ़ दिन हो चुके हैं, जनरल बहस कब तक चलेगी ?

अधिष्ठाता—जनरल बहस आज शाम के पांच बजे तक चलेगी।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—अधिष्ठाता महोदय, मैंने इस विधेयक को बड़े गौर से पढ़ा है और इस पर जो वादविवाद हो रहा है उसे भी मैंने बड़े ध्यान से सुना है। माननीय उपाध्याय जी का संकेत सही है। मैंने श्री रावत जी का भी व्याख्यान बहुत ही ध्यान से सुना है। मैं नहीं समझता कि एक वकील, जो वकालत करने का दावा करता है यहां ऐसी इर्रेलेवेन्ट बात कर सकता है जैसी उन्होंने की है। मुझे तो उनकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हमें यह जानना चाहिए कि यह बिल किस कारण से पेश किया गया है। माननीय रावत जी ने अभी कहा है कि उन्होंने बड़े गौर से इस बिल को पढ़ा है। यदि वे इस बिल को गौर से पढ़े होते और इसके उद्देश्य और कारणों को गौर से देखे होते तो सम्भवतः जो शंकायें उन्होंने प्रस्तुत की हैं वह उनको प्रस्तुत नहीं करते ऐसा मेरा अनुमान है। यह बिल क्यों पेश किया गया है ? इसके लाने का उद्देश्य और कारण बिल के अन्त में दिया हुआ है वह यह है कि "भारत सरकार की राजसहायता प्राप्त इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के अधीन राज्य में औद्योगिक श्रमिकों के लिए गृहों के निर्माण में प्रगति हो रही है। बहुत से गृह बन भी चुके हैं और इस सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था होने तक उनके प्रशासन, प्रदेशन, नियंत्रण इत्यादि के लिए अन्तर्कालीन

प्रबन्ध कर दिया गया है। किन्तु उनके प्रशासन, नियंत्रण, प्रदेशना, मरम्मत, किराया वसूली और अन्य सम्बद्ध मामलों के लिए अधिनियम बनाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। इस विधेयक के द्वारा इन्हीं विषयों की व्यवस्था की गई है।

रावत जी ने कहा कि इसमें जो सरकार के अधिकार हैं उनका ही वर्णन है लेकिन मजदूरों के क्या अधिकार रहेंगे उसका वर्णन नहीं है। इस उद्देश्य से यह विधेयक लाया ही नहीं गया है। इसके द्वारा तो जो श्रमिकों के लिये मकान बनाये जा रहे हैं उनकी क्या व्यवस्था होगी, क्या कायदे कानून उनके लिये होंगे इसकी व्यवस्था की गई है। इसमें श्रमिकों को क्या अधिकार रहेंगे इससे इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है और इसलिये मैं समझता हूं कि उनकी जो शंका इस सम्बन्ध में है वह निर्मूल है। अगर माननीय रावत जी पुनः गौर करेंगे तो वे मेरी राय से सहमत होंगे। कई अन्य शंकायें माननीय सदस्यों की ओर से प्रकट की गई हैं। माननीय मल्ल जी को उस दिन शिकायत थी कि खंड १८ में अधिकारियों को गृहों में प्रवेश करने का अधिकार दिया गया है। खंड २१ में किन कारणों से जो श्रमिक उसमें रहते हैं उस मकान से अलग किये जा सकते हैं इसका वर्णन है उस पर भी आपत्ति की गई है। इस के अतिरिक्त खंड २७ में जो दंड का विधान है कि किन किन कारणों के उपस्थित होने पर ६ महीने की सजा और १ हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है इस पर भी कुछ लोगों को आपत्ति है। मैं समझता हूं कि खंड १८ में जो शर्तें दी हुई हैं उनका होना जरूरी है। खंड २१ में जो बातें वर्णन की गयी हैं उसमें वे सब बातें स्पष्ट कर दी गई हैं और उनके लिये खंड २२ में अपील का अधिकार दे दिया गया है यही नहीं उसमें आगे यह भी लिखा है कि १५ दिन का जो मौका इसमें दिया गया है उसके अतिरिक्त भी विशेष कारणों में प्रान्तीय सरकार को अपील की अवधि बढ़ा देने का तथा अपील सुनने का अधिकार है। इतने पर भी अगर किसी को कोई शिकायत बाकी रहेगी तो उसकी अपील दाखिल करके वह निर्णय करा सकता है। इस सम्बन्ध में मेरे कुछ सुझाव हैं आशा है माननीय मंत्री जी उन पर गौर करेंगे।

इस बात पर मैं सहमत नहीं हूं कि जो परामर्शदात्री समिति बनाई जाने वाली है उसकी संख्या ७ रखी जावे। मेरा सुझाव है कि इसकी संख्या ७ से कुछ और अधिक बढ़ा देनी चाहिये। माननीय सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया है कि इस समिति में श्रमिकों की अधिक से अधिक संख्या रहनी चाहिये। मैं भी समझता हूं कि श्रमिकों को उसमें अधिक संख्या में रहना चाहिये, क्योंकि इन गृहों में श्रमिक ही रहेंगे, उनकी क्या क्या तकलीफें होंगी, उनको क्या क्या आराम चाहिये, इन सब बातों को ज्यादातर श्रमिक ही समझ सकते हैं। इसकी व्यवस्था में उनको अधिकार होना चाहिये और उनकी पर्याप्त संख्या समिति में होनी चाहिये। इस लिये इस ७ की संख्या को बढ़ा दिया जाना आवश्यक है ताकि श्रमिकों की पर्याप्त संख्या उस समिति में रह सके।

एक और महत्वपूर्ण बात है जिसकी ओर मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह है किराये के संबंध में। इस अधिनियम में यह नहीं दिया हुआ है कि इन गृहों का किराया क्या होगा लेकिन माननीय अवस्थी जी ने अपने भाषण में हवाला देते हुए बतलाया है कि किराया १० रुपया से लेकर १३ रुपये तक होगा। अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं कि वेतन के अनुपात से ही मकानों का किराया निश्चित होना चाहिये। सरकार का एक नियम है जो बड़े बड़े अधिकारी उनके लिए है--फर्ज कीजिये किसी का वेतन ३०० रुपया है तो सरकारी नियमानुसार जिस आवास में वह रहता है उससे १० प्रतिशत के हिसाब से ३० रुपया मासिक किराया लिया जायगा। वही अनुपात श्रमिकों के लिये भी होना चाहिये। किराया ज्यादा लिया जायगा तो उनके सामर्थ्य के बाहर हो जायगा। माननीय अवस्थी जी ने बतलाया कि जो आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिन लोगों को ये आवास दिये जा रहे हैं उनमें से अधिकांश श्रमिक इन्हें नहीं पा रहे हैं। श्रमिकों की अवस्था जिन्होंने देखी है कानपुर या बड़े बड़े शहरों में जाकर वे उससे अच्छी प्रकार परिचित हैं मुझे भी उनकी दशा देखने का अवसर प्राप्त हुआ है--उसे देख कर मालूम हो जाता है कि उनकी दशा कितनी खराब है। वे हमारे समाज के विशेष अंग हैं- यह

[श्री व्रजविहारी मिश्र]

समाज उनको भुला नहीं सकता। सरकार उनके लिये आवास बनवा रही है। अच्छी बात है इसके लिये प्रांतीय सरकार, राज्य सरकार दोनों धन्यवाद के पात्र हैं। परन्तु इसके साथ साथ यह आवश्यक है कि हम इस तरफ भी ध्यान दें। उनकी क्षमता कितना किराया देने की है। अगर आप इतना अधिक किराया रख देंगे तो नतीजा यह होगा कि वह स्वयं इन मकानों में रह नहीं सकेंगे और "लूपहोल" की गुंजाइश रह जायेगी, उसमें करप्शन होने का अन्देशा रहेगा। वे किसी और आदमी को अपने साथ रख लेंगे क्योंकि वे ज्यादा किराया नहीं दे सकते हैं।

आपने खंड २१ में रख भी दिया है कि अगर शिकमी पर वह गृह दिया गया तो वह श्रमिक मकान से निकाला जा सकता है, वह आवास उनको खाली कर देना होगा, इसलिये अगर किराया आपने अधिक रख दिया तो जो आशा की जाती है कि श्रमिकों का स्टैन्डर्ड अच्छा होगा, उन्हें अच्छे मकान में रहने का अवसर मिलेगा, यह उद्देश्य जो हमारा है उसकी पूर्ति नहीं होगी। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और माननीय मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे किराये के प्रश्न पर जहां तक हो सके, उसको कम करें और अगर कम न कर सकें तो कम से कम इतना अवश्य करें कि उनसे उतना ही किराया लिया जाय जिस अनुपात से उनका वेतन हो यानी १० प्रतिशत से अधिक उनसे किसी सूरत में किराया नहीं लिया जाना चाहिये।

दूसरी बात जिसकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह खंड २७ है। जिसमें दंड का प्राविजन किया गया है इसमें लिखा है कि जो इसका उल्लंघन करेंगे उनको ६ महीने की सजा और १ हजार रुपये तक का जुरमाना किया जा सकता है। मेरी समझ में यह ज्यादा है। मेरी समझ में यह ६ महीने की सजा नहीं रहनी चाहिये और ६ महीने के बजाय ३ मास की सजा और १ हजार रुपया जुर्माना जो रखा गया है उसके स्थान पर ५०० रुपये का जुर्माना रखना उचित होगा। इन सुझावों के साथ अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं और प्रवर समिति में भेजने का जो संशोधन दिया गया है, उसका विरोध करता हूं।

*श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, सदन के सामने प्रस्तुत विधेयक का मैं हृदय से समर्थन करता हूं। इस विधेयक पर सदन में जिन सदस्यों के भाषण सुनने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, उसमें कतिपय सदस्यों के दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि रेंट कंट्रोल एंड एविक्शन आर्डर्स जो हैं उसके साथ तुलनात्मक दृष्टिकोण रख कर वे इस विधेयक पर अपनी सम्मति स्थिर करते हैं। ऐसा होने से उद्देश्य आप से आप लुप्त हो जायगा, क्योंकि यह विधेयक किसी खास उद्देश्य, किसी खास परपज को सर्व करने के लिये, किसी खास मतलब को पूरा करने के लिये लाया गया है। उदाहरण के लिये हम विधान सभा के सदस्य दारुलशफा काउंसिलर्स रेजीडेंसमें रहते हैं और एक सेशनके बाद जब हम न चुने जायं, अगर उसरेंट कंट्रोल ऐण्ड इविक्शन आर्डर के अनुसार हम उस वक्त खाली न करें और चूंकि उसमें मौलिक अधिकार यह है किराये-दार को, यदि उसका किराया अपटुडेट चुकता है और जितनी शर्तें हैं उनका वह पालन करता है तो उसको नैतिक और वैधानिक दोनों ही दृष्टियों से मकान मालिक उसे खाली नहीं करा सकता है। किन्तु यह सिद्धान्त यदि यहां पर भी लागू हो तो एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जायगी। जो दूसरे सदस्य चुन कर आयें, उनके लिये कहीं रहने की जगह नहीं और जिनको उनमें रहने का अधिकार नहीं है वह उस पर अधिकार किए हुए बैठे हैं। उसी प्रकार से इस उदा-हरण से जो यह इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम हमारे सामने प्रस्तुत है और उस उद्देश्य से वह मकानात बनायेगी, वह एक खास वर्ग के लिए, खास वर्ग के कुछ ऐसे सदस्यों के लिए जो उस दफा के अन्तर्गत आते हैं उन्हीं लोगों के लिए इस व्यवस्था का प्रणयन किया जा रहा है। इस दृष्टि से जिसको हमने प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी कहा, उसे कुछ रेंट कंट्रोल, जैसा कि कुछ सदस्यों ने यह कहा कि कंट्रोल मैजिस्ट्रेट को जो पावर्स दी गयी है उससे कहीं ज्यादा पावर्स प्रेस्क्राइब्ड

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अथारिटी को इसमें दी गयी है। परिस्थितियों की भिन्नता इस बात को डिमांड करती है कि यहां पर जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी है उसको इस प्रकार के कुछ विशिष्ट अधिकार दिये जायं जिसमें अगर जैसा कि आजकल होता है राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित हो कर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जाय, तो उसका सामना करने के लिए यह विशिष्ट अधिकार प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के पास न हों तो उस स्थिति का सामना नहीं किया जा सकता। अब इस दृष्टि से जिन अधिकारों के ऊपर अधिकांश सदस्यों ने आपत्ति की उन अधिकारों की आवश्यकता है।

अधिष्ठाता महोदय, आप जानते हैं, आज हर एक दृष्टि से, हर एक प्रश्न को राजनीतिक दृष्टि दे दी जाती है। इंडस्ट्रियल क्वार्टर्स जो बनेंगे वे जिन विशिष्ट वर्ग के लिये बनाये गये हैं, वह किसी कारण कल वहां पर रहने के अधिकारी न हों, तो इस प्रकार की एक परिस्थिति उत्पन्न कर दी जाती है कि इस प्रकार की भावना पैदा कर दी जाय, कि वह उसको खाली करने के लिये तैयार न हों, ऐसी हालत में अगर उस उद्देश्य को हमें सिद्ध करना है तो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी जो है उसको यहां विशिष्ट अधिकार न दिये जायं, तो हमारी जो यह इंडस्ट्रियल हाउसिंग योजना है वह फेल हो जाती है। यों हम जानते हैं कि जो घरों और आवासों की समस्या है, उसके लिए सरकार ने मध्य वित्त श्रेणी के लिए एक हाउसिंग योजना बनायी है, उससे हम लाभ उठाएं। किन्तु दूसरे उद्देश्य से बनाई गई योजना से हम नाजायज लाभ उठावें यह न होने देना सरकार का उद्देश्य है और इस उद्देश्य का हर एक आदमी जो इन उद्देश्यों से सहमत है, समर्थन ही करेगा। हां, एक चीज में मैं अवस्थी जी का समर्थन करूंगा और उसी दृष्टि से नारायण दत्त जी ने भी कहा था कि ऐसा न हो कि इन क्वार्टर्स का किराया इतना अधिक रख दिया जाय कि जिस वर्ग के लिये इनका निर्माण किया जा रहा है वह वर्ग उससे लाभ न उठा सके। अवस्थी जी ने हार्नेस फैक्टरी और सी० ओ० डी० आदि का उदाहरण देकर कि कितनी दरख्वास्तें आई, जो बतलाया उससे मालूम होता है कि उसका किराया जो है वह उनकी शक्ति के बाहर है और यही कारण है कि क्वार्टर्स की सुविधा होते हुए भी श्रमिक उस ओर आगे नहीं आ रहे हैं। तो मेरा ऐसा ख्याल है, मैं आपके द्वारा माननीय अधिष्ठाता महोदय, अपनी सरकार से निवेदन करूंगा कि या तो वह १० परसेंट वाली स्कीम को मंजूर करें या एक एडहाक तौर पर उसका किराया स्थिर कर दिया जाय और वह एडहाक किराया इस प्रकार का हो कि जिसमें हर वर्ग का श्रमिक उससे लाभ उठा सके।

एक बात मेरे माननीय मित्र रावत जी ने कही और वह यह कि ड्रेनेज की स्कीम और अन्य चीजें इसमें नहीं हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि मेरे माननीय मित्र ने शायद उसको अच्छी तरह से देखा नहीं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह एक बार उसको पढ़ने की कृपा करें। उसमें उनको मालूम होगा कि इसमें जो योजना बनाने की कमेटी थी, उसमें हमारे यहां के टाउन प्लैनर थे और इसलिये उसका नक्शा उन लोगों की राय के अनुसार ही तैयार कराया गया है, और उसमें आधुनिक जितने भी साधन हैं, आधुनिक जितनी भी सुविधायें हैं, जो मुहैय्या की जा सकती थीं, उनको मुहैय्या करने की कोशिश की गई है और उनकी उसमें व्यवस्था की गई है। वैसे हमारे माननीय मित्र रावत जी ने बुद्धि की बात कही और यह कहा कि यह न समझ लीजिये कि बुद्धि का ठेका कुछ खास आदमियों के पास है। वही तर्क ठीक उसी प्रकार से उनके ऊपर भी उतना ही लागू होता है जितना कि उन्होंने दूसरों के लिये वह बात कही है। तो इसलिये मैं अधिक न कह कर इतना ही कहूंगा कि मैं इस सुन्दर और उपयोगी विधेयक के लिये सरकार को बधाई देता हूं और माननीय मंत्री जी से किराये के मामले में यह खास तौर से अनुरोध करूंगा कि वह इसके किराये को एडहाक किराया स्थिर करके इस योजना को इस प्रकार कर दें कि जिस उद्देश्य के लिये यह प्रस्तुत हुआ है, उसकी सिद्धि हो सके।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो बिल सदन में विचार के लिये प्रस्तुत हुआ है उसपर उसे प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय यह जो माननीय नारायण दत्त जी तिवारी का संशोधन है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

श्रीमन्, यह जो बिल सदन में प्रस्तुत है, यह मैं चाहता हूं, इसलिये प्रवर समिति में जाय कि इसमें जो बहुत से सैद्धान्तिक प्रजातांत्रिक मानवोचित विचार और समाजवादी राज्य कायम करने की कल्पना करने की बात जो इसमें छूट गई है, वह सब इसमें प्रतिष्ठित की जाय । इसीलिये मैं चाहता हूं कि यह बिल प्रवर समिति में भेजा जाय । हमने अपना लक्ष्य समाजवाद बनाया है और हमने संकल्प किया है कि हम अपने देश को, अपने राज्य को समाजवादी ढांचे में स्थिर करेंगे, समाजवादी ढांचे में ढालेंगे । यह हमने प्रतिज्ञा की है और समाजवादी ढांचे में समाजवादी स्टेट में जो काम करने वाले लोग हैं जो किसान हैं, मजदूर हैं या जो उत्पादक हैं उनका बड़ा विशिष्ट स्थान होता है । हमें देखना है कि यह बिल जो इस सदन में विचार के लिये प्रस्तुत किया गया है माननीय मंत्री जी द्वारा, उसमें समाजवादी पुट है या नहीं । श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा यह दावा है,कि यह बिल जो सदन में विचार के लिये प्रस्तुत किया गया है इसमें समाजवादी पुट नहीं में अगर उत्पादक का एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान समाजवादी ढांचे के राज्य ह । कल्पना में हुआ करता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें कुछ भी स्थान एक उत्पादक को, मजदूर को मेहनतकश को नहीं दिया गया है ? श्रीमन्, आप अगर गौर से इस बिल को देखेंगे तो देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमारी केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को एक बहुत बड़ा धन, बहुत बड़ी सम्पत्ति मजदूरों के निवास के हेतु घर बनाने को देती है, जिसमें आधा माफ करती है और आधे पैसे की वसूली साढ़े चार प्रतिशत सूद के हिसाब से २५ वर्षों में चाहती है । हमारी सरकार ने बताया कि एक मकान बनाने में २,७०० रुपया की लागत लगी है, जो अब तक मकान बने हैं । आधा रुपया हमारी केन्द्रीय सरकार छूट में देगी, १,३५० रुपया हमारी केन्द्रीय सरकार को इस राज्य सरकार को देना है २५ वर्ष में, साढ़े चार प्रतिशत के हिसाब से । यह पुस्तिका जो हमको मिली है उसमें जो आज किराया लिया जा रहा है वह १० रुपया है, लाइटिंग का और पानी वगैरह की व्यवस्था को छोड़कर । अगर हम १० रुपये के हिसाब से १,३५० रुपये का भुगतान देखेंगे तो साढ़े ११ वर्ष में १० रुपया प्रति मास के हिसाब से १,३५० रुपये पड़ जाते हैं । तो हम देखते हैं कि इस तरह की केन्द्रीय सरकार से मुफ्त मिली हुई सम्पत्ति के बाद जो धन हमें केन्द्रीय सरकार को स्टेट सरकार की तरफ से वापस करना है साढ़े ११ वर्ष में, जो मजदूर से किराया वसूल होगा अगर वह किराया केन्द्रीय सरकार को दिया जाय तो सारा पट जायगा, उसके बाद हम उससे मुनाफा कमाना चाहेंगे । किसी भी समाजवादी स्टेट में, वेलफेयर स्टेट में जनता की भलाई के काम को प्रमुख स्थान दिया जाता है, बिजनेश को नहीं दिया जाता । लेकिन हमारे इस बिल में यदि आप अप्रत्यक्ष तरीके से देखेंगे तो साढ़े ११ वर्ष के बाद जो सम्पत्ति केन्द्रीय सरकार से मिलेगी, उस पर सरकार व्यापार चलायेगी, तो इसलिये मेरा पहला कहना यह है कि इसमें समाजवादी पुट नहीं है । हमारे प्रान्त के मजदूर जो आज तनख्वाह पाते हैं वह २८ रु०, ३० रु० और चीनी के मिल में काम करने वाले मजदूर ५५ रु० पाते हैं । ऐसे मजदूरों के लिये १० रु० घर के लिये देने में और उसके बाद बकिया सम्पति, जो बकिया पारिश्रमिक उसको मिलता है उसमें अपनी जिन्दगी को आसानी से बिता देने में असमर्थता को देखते हुए, मैं दावे के साथ कह सकता हूंकि इसमें समाजवादी पुट नहीं है और हमारा कर्त्तव्य है, हमारा कोई भी कदम समाजवादी ढांचा मानने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिये, जो समाजवाद के किसी भी तर्क की कसौटी पर खरा न उतरे । तो इसलिये मैं चाहता हूं कि यह बिल प्रवर समिति में भेजा जाय, जिससे समाजवादी पुट हम इस बिल में दे सकें ।

दूसरी बात प्रजातंत्र की दुहाई हम देते हैं, हमारा विधान या यह सभा प्रजातन्त्र के आधारों पर बनी हुई है और हमारा कर्त्तव्य होता है कि हम जहां समाजवादी ढांचे की कल्पना करते हैं वहां प्रजातांत्रिक हितों की रक्षा का भी भार हमें उठाना है और हम चाहते हैं कि कोई भी काम ऐसा न हो हमारा जो अप्रजातान्त्रिक हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें प्रजातन्त्र या मानवोचित अधिकार जो मनुष्य को प्रजातन्त्र में मिलते हैं, उनके छीनने की चेष्टा की गई है ।

श्रीमन्, अगर आप देखेंगे तो इस बिल में एक व्यक्ति की या उसमें जो आयुक्त है, विधेयक द्वारा जिसकी कल्पना की गई है उसे अधिकार है कि वह किसी पर जुर्माना कर दे या उस पर जो किराया न दे या किराये वसूली में बाधा उपस्थित करें, उस आदमी के खिलाफ किसी तरह का जुर्माना हो जाय और वह यदि निश्चित अवधि के अन्दर उस जुर्माने को नहीं देता है तो उसके सामान और माल को कुर्क करा सकता है । यह भी है कि छः महीने की सजा और १ हजार रुपये का जुर्माना भी उसके ऊपर हो सकता है । उसे यह अधिकार भी नहीं है कि वह किसी अदालत में जाकर अपील कर सकें और न्याय मांग सके । जुर्माने की वसूली के बाद जरूर इसमें है कि जुर्माना पहले वसूल हो जाय उसके बाद वह चाहे तो अदालत में जा सकता है, लेकिन जुर्माने को पहले जमा कर देना पड़ेगा आयुक्त से पास, तब वह जाकर अदालत में न्याय की मांग कर सकता है। श्रीमन्, यह मानव के अधिकारों को छीनना है । मैं यह समझता हूं कि इसमें प्रजातांत्रिक पुट होना चाहिये । लेकिन इस विधेयक में मानवोचित अधिकारों का भी ह्रास हुआ है और ऐसा विधेयक यदि इस सदन में लाया जाता है तो मैं सदन से आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि ऐसे विधेयक को हमें कतई कबूल नहीं करना चाहिए। श्रीमन्, सबसे अनोखी व्यवस्था जो इस विधेयक में है वह यह है कि मजदूरों पर किराया न देने पर एक हजार रुपया जुर्माना और छः महीने की सजा हो सकती है । हमने बहुत से विधेयकों को जो इस राज्य सरकार द्वारा बनाये गये पढ़ा । सेल्स टैक्स का विधेयक भी इस सदन में पारित हुआ है, श्रीमन्, उसमें सिर्फ एक हजार रुपया जुर्माना है । इस सदन द्वारा नहर का एक विधेयक पास हुआ है । ड्रेनेज और कैनाल्स ऐक्ट, उसमें भी दो सौ रुपया जुर्माना और १५ दिन की सजा है, गैम्बलिंग का एक विधेयक इस सदन से पास हुआ है उसमें भी दो सौ रुपया जुर्माना और १५ दिन की सजा है , पचासों ऐसे ऐक्ट की चर्चा मैं कर सकता हूं कि जिनमें ऐसी व्यवस्था है कि कहीं एक हजार रुपया जुर्माना है, कहीं दो सौ रुपया जुर्माना है, कहीं पन्द्रह दिन की सजा है । गैम्बलिंग जो सबसे खतरनाक चीज अपने देश में साबित हुई है और मनुष्य को एक पतन के रास्ते में गिराने में सिद्धहस्त साबित हुई है उसमें भी इस सरकार ने १५ दिन की सजा या दो सौ रुपये के जुर्माने की सजा रखी है । लेकिन एक मजदूर पर छः महीने की सजा और एक हजार रुपये की जुर्माने की सजा रखने को सरकार कहती है । श्रीमन्, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि सरकार इस तरह से समाजवादी राज्य की कल्पना करती है । समाजवादी राज्य में मजदूर को एक उत्पादक की विशिष्ट श्रेणी में रखा जाता है और एक उत्पादक के साथ आपकी यह जुर्रत, आपकी यह हिम्मत देखकर मुझे आश्चर्य होता है । मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि यदि आपकी कल्पना है कि हम समाजवादी ढांचे की स्थापना करेंगे तो आपको, उत्पादकों को, मजदूरों को एक विशिष्ट स्थान देना पड़ेगा । उन मजदूरों को जो कि २८ रुपये की तनख्वाह पर जिन्दगी बसर करते हैं, आप सब मानते हैं कि वह गन्दी बस्तियों में रहते हैं, हैजा, चेचक और भुखमरी के शिकार होते हैं, अधिक से अधिक मेहनत करने के बाद भी वह खाने भर को भी नहीं पैदा कर पाते, जब आप यह देखते हैं, तो यह देखने के बावजूद भी आप एक ऐसा विधेयक लाना चाहते हैं कि जिसमें आप उन पर मनमाना किराया लाद सकें और आयुक्त को यह अधिकार देना चाहते हैं कि वह जितना चाहे किराया मांग सके, आर्डर दे सके और अगर उस आर्डर की अवज्ञा हुई, अल्प वेतन भोगी होने के कारण मजदूर किसी कारण किराया न दे सके तो उसको छः महीने की सजा और १ हजार रुपये के जुर्माने की सजा वह दे सके । श्रीमन्, एक मजदूर जो २८ रुपये की नौकरी करता

[श्री रामेश्वरलाल]

है, मान लीजिए उसे छः महीने की सजा हुई या एक हजार रुपये जुर्माने हुआ तो उसने अपनी सारी जिन्दगी में जितनी कुछ सम्पत्ति इकट्ठी की होगी, जांत, तवा, कड़ाही, बटली के रूप में जो कुछ भी उसके पास होगा वह सब सरकार इस विधेयक द्वारा अपने कब्जे में करना चाहती है। एक मजदूर जेल जा सकता है, लेकिन १ हजार रुपया जुर्माने के लिए पैसा कहां से वह लायेगा। नतीजा यह होगा कि कुर्की होगी। कुर्की में खजाना तो मिलेगा नहीं, मिलेगा क्या ? उसके घर का सारा सामान, जिससे उसके जीवन के दैनिक कार्य किसी तरह चलते हैं। वह सारा सामान हमारी सरकार कुर्क कराना चाहती है। मैं कहता हूं कि ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत कर जो मंशा आपने चाहा है, जो आप चाहते हैं वह यह सदन, मैं समझता हूं, यह अधिकार आपको देने का नहीं है।

श्रीमन्, एक बात मैं और आपसे कहूंगा।

अधिष्ठाता--माननीय रामेश्वरलाल कहते हैं कि सरकार सामान कुर्क कर लेगी, मेरे ख्याल से वह सामान कुर्क नहीं कर सकती, इसलिए उनका शक इसके बारे में नहीं होना चाहिये।

श्री रामेश्वरलाल--इसमें जो जुर्माना होता है और जुर्माने की वसूली की जो विधि है उस विधि में निश्चित है.....

अधिष्ठाता--इसके लिये दीवानी में दिया हुआ है कि क्या-क्या सामान कुर्क नहीं हो सकता।

श्री रामेश्वरलाल--आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। श्रीमन्, मैं सिर्फ यह कहता हूं कि यह व्यवस्था जो इसमें है वह सबसे बड़ा समाजवादी समाज की कल्पना पर एक काला धब्बा है या कलंक है, यह मैं कह सकता हूं। मैं ज्यादा समय सदन का नहीं लेना चाहता। मैं आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने अंग्रेजी का विधेयक और हिन्दी का विधेयक दोनों पढ़े, बड़े गौर से और पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह विधेयक जो हिन्दी का प्रस्तुत किया गया है, जिन लोगों ने इसका उल्था किया है, मैं समझता हूं कि या तो भाषा की कमी में या अंग्रेजी का विशद् ज्ञान होने और भाषा का अल्पज्ञान होने से इसका उल्था गलत ढंग से किया गया। मैं अधिक नहीं एक खंड २३ (२) की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। अंग्रेजी में है--

"If any person refuses or fails to pay the damages within the time specified in the notice, the damages may be recovered as arrears of land revenue."

हिन्दी में इसका उल्था जरा देखिये, आश्चर्य होगा।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--हिन्दी का असली है।

श्री रामेश्वरलाल--मैं आपके सामने रखता हूं, देख लीजिये। हिन्दी में है--

"यदि कोई व्यक्ति नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर हर्जा देने से इन्कार करे अथवा देने में असमर्थ रहे तो हर्जा मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल किया जा सकेगा"। तो हिन्दी में है कि "देने में कोई असमर्थ रहे", अंग्रेजी में है, "if any person refuses or fails to pay" तो उस "फ़ेल्स टु पे" का उल्था, उल्थाकारों ने हिन्दी में लगाया "असमर्थता"। श्रीमन्, यदि शास्त्री जी के अनुसार हम इसे मान लें...

अधिष्ठाता--शास्त्री जी के कहने में मत आइये आप।

श्री रामेश्वरलाल---अगर हम मान लें कि जो आदमी देने में असमर्थ है, जिसको अंग्रेजी में 'अनेबिल' कहते हैं, अगर वह असमर्थ रहे तो उसकी असमर्थता के कारण यदि वह किराया मालगुजारी की भांति उससे वसूल किया जाय, तो जो मजदूर कम पैसे पर काम करता है, जैसी कि हमारे राज्य की व्यवस्था है, तो वह तो हमेशा असमर्थ ही रहेगा और यदि उसकी असमर्थता में लगान की भांति वसूली हो और उस वसूली में जो-जो धांधलियां होती हैं इस सरकार की तरफ से, जो कि हम देहातों में देखते हैं, वह प्रतिपादित हों, तो ज्यादा अच्छा इससे यह है कि यह विधेयक फिर से ले जाना चाहिये प्रवर समिति में और फिर से नये सिरे से बनाना चाहिये और नये ढंग से इसको लाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ यह कहते हुए कि इस विधेयक को अवश्य प्रवर समिति में ले जाने के लिए माननीय मंत्री जी एक बार और तैयार होंगे, इसके समर्थन में यह सदन माननीय मंत्री जी को अनुमति देगा या राय देगा, मैं अपने विचार इसके समर्थन में प्रस्तुत करता हूं।

श्री दीनदयालु शास्त्री---मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हिन्दी पार्ट ठीक माना जायगा इस विधेयक का या अंग्रेजी पार्ट ?

अधिष्ठाता---हिन्दी पार्ट ठीक माना जायगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय अवस्थी जी, माननीय नवल किशोर जी, माननीय चन्द्रसिंह रावत और अन्य सज्जनों ने जो इस विधेयक के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये, उन्हीं विचारों को देखते हुए मैं समझता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द जाना चाहिये और मैं नारायणदत्त जी के उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जो दलीलें दी गयीं और जो-जो खामियां बतलाई गयी हैं माननीय सदस्यों की तरफ से, यह मेरी समझ में नहीं आता कि उन सबको बतलाते हुए यह कहा गया कि प्रवर समिति में जाने के मैं विरोध में हूं।

अधिष्ठाता---मगर ये खामियां तो संशोधन के जरिये भी पूरी हो सकती हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---तो इसलिये जो जो खामियां बताई गई हैं वे प्रवर समिति के जरिये से ही सुधारी जा सकती हैं, संशोधन के जरिये से उन पर इतना विचार विनिमय यहां नहीं हो सकता। मैं तो अधिष्ठाता महोदय, आपका और आपके जरिये सदन के सम्मानित सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि शासन की यह मनोवृत्ति कहां तक उचित है कि दिनोंदिन जितने किसान, मजदूर या जनता है उसे कानून के शिकंजे में कस कर बांधा जाय और शासन के अधिकारियों को अधिक से अधिक अधिकार दिये जायं। जनता के ऊपर शासन को अधिक कठोर करने और उसे कुचलने की मनोवृत्ति का मैं जनतंत्र में हामी नहीं हूं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आज तक मैंने बहुत से कानून देखे, सन् १९२६ से मैंने वकालत शुरू की थी, लेकिन इस विधेयक के जरिये से जिस प्रकार अधिकारियों को अधिकार दिया जा रहा है ऐसा विधेयक मैंने आज तक नहीं देखा। यह बिल्कुल जनतंत्र के लिये शोभाजनक नहीं है। यह ठीक है कि मकान बना दिये गये, बड़ी उदारता का परिचय दिया गया, इसके लिये केन्द्रीय सरकार धन्यवाद की पात्र है, माननीय जवाहरलाल जी जिन्होंने इस स्कीम को कानपुर की गन्दी बस्ती को देखकर चालू किया, वे हमारे हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मैं पूछता हूं कि वे रहें, उनसे किराया वसूल किया जाय यह ठीक है, नोटिस देने के बाद वे न खाली करें तो वे अनधिकृत हैं, ट्रेसपासर हुये, यह भी ठीक है, उनसे हर्जा वसूल किया जाय यह भी ठीक है, मालगुजारी की तरह वसूल किया जाय यह भी ठीक है, लेकिन किराया निर्धारित करने के बारे में गृह-आयुक्त को पूरी स्वतन्त्रता है, जो भी किराया वह नियत कर दे, चाहे वह कम हो चाहे ज्यादा, वह ठीक है, कोई

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

रोक-टोक नहीं है। इसके अलावा उनके घर में प्रवेश करने के बारे में धारा १८ में यह है कि उचित बेला में, गृह-आयुक्त, उपगृह-आयुक्त या कोई भी नियुक्त अधिकारी किसी भी उचित बेला में प्रवेश करे और जो भी आदेश हो उसका पालन करे, यानी उनको निकाल कर बाहर करे, लेकिन 'उचित बेला' की कोई परिभाषा नहीं है। १२ बजे रात या १२ बजे दिन। उसको निकाल देने का अधिकार, मालगुजारी की तरह किराया वसूल करने का अधिकार और जो मजदूरी उसे मिलेगी उसमें से काट लेने का अधिकार, इन सब अधिकारों के बाद भी इस बात की क्या आवश्यकता रह जाती है कि अगर वह अनधिकृत रूप से काबिज है या किसी आदेश का पालन नहीं करता है तो ६ महीने की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना हो सकता है और अगर कोई अधिकारी घर में प्रवेश कर रहा है और वह रुकावट डालता है तो ६ महीने की सजा और १ हजार रुपये जुर्माना। इस तरह का कोई भी कानून आज तक मैंने नहीं देखा। सरकारी मकानों में अफसर लोग भी तो रहते हैं। क्यों नहीं उनके लिये यह कानून बनाया गया कि जब उनका टर्म खत्म हो जाय, तो वे अनधिकृत घोषित कर दिये जायं और उनके लिये भी ६ महीने की सजा और १ हजार रुपये जुर्माना हो? वह कानून भी इसी सदन ने पास किया था, लेकिन उनके लिये यह बन्धन नहीं लगाये गये। बेचारे श्रमिक जो कि इतना कम पैसा पाते हैं उनके लिये इतनी कड़ी बातें लिखी गई हैं। हां, माननीय देवदत्त जी की बात अगर मान ली जाय तो शायद यह जो ६ महीने की सजा और १ हजार रुपये जुर्माना की बात है वह सही साबित हो जाय। उन्होंने कहा कि राजनीतिक बातें होती हैं और मजदूर हड़ताल करते रहते हैं तो यह बात तो समझ में आती है कि अगर मजदूर ने हड़ताल की तो उसे मकान खाली कराने का आर्डर दिया जायगा और इस सिलसिले में छै महीने की सजा और एक हजार रुपया जुर्माना किया जायगा, तो वह बेचारा दब जायगा। उसकी हड़ताल करने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि वह सोचेगा कि वह सरकारी मकान में रहता है और उसके हड़ताल करने पर उसको निकाला जायगा और घर में घुसकर मकान खाली कराने के आदेश का पालन किया जायगा और अगर वह आदेश पालन न कर सका तो उसको छै महीने की सजा और एक हजार रुपया जुर्माना होगा। अगर हड़ताल रोकने के लिये यह कानून है तो उसका उद्देश्य साफ होना चाहिए। देवदत्त जी ने जो भाषण दिया उससे यह आभास मिला कि मजदूरों पर अंकुश होना चाहिए, वरना वह हड़ताल करेंगे। यह बहुत ही नामुनासिब दलील है और कायदे के प्रतिकूल है।

मैं समझता हूं कि जिस दया के साथ यह स्कीम लाई गई है, तो ऐसा विधेयक होना चाहिये कि जो मजदूर मकानों में रहते हैं उनसे किराया वसूल हो जाय, यह मंशा होना चाहिये उस बिल का। खाली कराना हो तो करा लिया जाय, यह बिल का मंशा होना चाहिये। लेकिन मजदूरों पर इतना दबाव उचित नहीं है और सरकारी कर्मचारियों को इतने अधिकार दिये जायं जो इस विधेयक या अन्य दूसरे विधेयकों में दिये गये हैं, मैंने उनका भी विरोध किया था। इस तरह से अधिकार सरकारी कर्मचारियों को देकर जनता को आतंकित करना नामुनासिब है।

आज और तरह के एलीमेंट हैं जो व्यवस्था भंग करने में लगे रहते हैं उनके लिये तो अवश्य अधिक से अधिक कड़े कानून होने चाहिये। लेकिन उनके लिये न बनाकर जो सीधी-सादी सामान्य जनता है उसके लिये इस प्रकार के कानून बनाकर, अंकुश लेकर अधिकारियों को जनतंत्र के जमाने में जनता को कस कर कानून में बांधना अनुचित है। इसलिये मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि यह प्रवर समिति में जाय और वहां इसकी खामियां साफ हो जायं और ऐसा विधेयक आये कि सामान्य जनता उसका स्वागत करे। यह विधेयक शासन की मर्यादा के प्रतिकूल है। इसलिये मैं चाहता हूं कि संशोधन स्वीकार किया जाय।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बिल जो आज हाउस में उपस्थित है, यह उन गरीबों के लिये है जो आज सारे समाज के ढांचे पर डिपेंड करते हैं। आज सारे संसार के विद्वान् लोगों का विचार है कि मजदूरों को खाना, कपड़ा और रहने को मकान अवश्य मिलना चाहिए। मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि चाणक्य से लेकर आज तक जितने बड़े-बड़े अर्थशास्त्री हुये हैं वे सब इस बात को मानते हैं कि उनको हलुआ-पूड़ी न मिले तो कम से कम इतना तो अवश्य मिलना चाहिये। सिंपिल लिविंग और हाई थिंकिंग वाली चीज हमारे देश में रही है। इस चीज को देखते हुये हमें उन मजदूरों को जो मिल में काम करते हैं, वही नहीं, बल्कि जो रेल की पटरी पर सोते हैं और दिन में रिक्शा चलाते हैं, ध्यान में रखना चाहिये। हमारे ४-५ सौ चपरासी हैं जो इसी हाउस में काम करते हैं, बड़े-बड़े अफसरान के यहां हाजिरी देनी होती है और उनको रात के दस-दस बज जाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि दारुलशफा के नौकरों को भी बुला लिया जाता है घरों पर और उनसे काम लिया जाता है और नाजायज काम लिया जाता है। लेकिन उनके रहने तक का कोई भी ठिकाना नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गरीबों के लिये यह होना चाहिये, मजदूरों के लिये, लेबरर्स के लिये और जितने लोग सरकारी काम कर रहे हैं वह सब लेबरर्स हैं। बड़े-बड़े अफसरान के लिये तो आपने यह कर दिया है कि दस प्रतिशत लिया जाता है। लेकिन जब आप २८ रुपये पाने वाले आदमी से १० रुपये काटते हैं तो कितना लेते हैं ३६ प्रतिशत होता है, ३० रुपये वाले से १० रुपये लेते हैं तो ३३ प्रतिशत होता है। यह कहां का न्याय है? मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। हम कोई ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं चला रहे हैं, बल्कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चला रहे हैं। अगर हम सही माने में इसको प्रैक्टीकल रूप देना चाहते हैं और जब हम सोशलिस्टिक पैटर्न का नमूना पेश कर चुके हैं, यदि उसको अमल में लाना चाहते हैं तो यह मुनासिब है कि उसको सही माने में, प्रैक्टिकल रूप दिया जाय और वह सुविधा हर मजदूर के लिये और हर गरीब के लिये दी जाय।

श्रम एरिया, कानपुर का ही यह हाल नहीं है, बल्कि और स्थानों में भी मजदूरों को बहुत मुसीबत है और यही हालत है। अभी लखनऊ में जैसा कि बहुगुणा जी ने उस दिन बतलाया था कि बूचड़खाने के पास उनके मकान बना दिये गये हैं। मनुष्य को कुत्ते से भी बदतर समझा जाता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज बहुत से मजदूर यहां पर आज हाउस के सदस्य हैं। आज यह गवर्नमेंट भी उन मजदूरों की बदौलत ही बनी हुई है। उन मजदूरों ने ही इनको वोट दिया है। मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि अगर आपने उन मजदूरों की परवाह नहीं की, तो वह भी आपकी परवाह नहीं करेंगे। आपको भविष्य में सचेत रहने की जरूरत है। जितना पैसा भी खर्च करना हो, वह ईमानदारी से खर्च कीजिये। यह हमारे प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू की देन है। उन्होंने स्वयं जाकर उन श्रमिक एरियाज को देखा। मैं हर मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आप भी जाकर देखिये कि वहां पर क्या गति है.....

श्री जगन्नाथ मल्ल—आप इस संशोधन का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं?

श्री शिवनारायण—आप ध्यान से सुनते रहिये, आपको मालूम हो जायगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल का जो साहित्य छपा है, वह बहुत ही डिफिकल्ट भाषा में लिखा गया है। वह हिन्दी इतनी कठिन है कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं। वह सरल हिन्दी में होना चाहिये जिसको हर नागरिक समझ सके। चौथे दरजे पास भी आदमी समझ सकें। इसकी भाषा की तरफ भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता था।

[श्री शिवनारायण]

इसमें अफसर को इतना अधिकार दिया जा रहा है कि जिसकी वजह से यह चल नहीं सकता और इस डेमोक्रेसी के जमाने में यह फल-फूल नहीं सकता। आज नौकरशाही के जमाने में गरीब की कोई आवाज नहीं सुनी गयी तो इसका परिणाम सरकार के लिये सन्तोषजनक नहीं हो सकता। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को अगर डेमोक्रेसी को चलाना है तो उसको मिल मालिक से रुपया लेकर और बोर्ड से रुपया लेकर मजदूरों के लिये मकान बनवाना चाहिये। इसी वजह से धन-धरती का बटवारा होना चाहिये, हम इस आवाज को बुलन्द करते हैं। उन मजदूरों के लिये और उन गरीबों के लिये मकान का प्रबन्ध होना चाहिये, उन लोगों के लिये तो मकान और कोठियां बनी हुई हैं और वह मजा उड़ाते हैं, लेकिन मजदूर के लिये कोई स्थान नहीं है। इसलिये मैं निहायत अदब के साथ यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें जो यह सख्ती है इसको दूर किया जाय और इस बिल को और मुलायम किया जाय। जैसे हमारे और बिल बने हैं उसी तरह से यह बिल भी होना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि उसके ऊपर एक हजार रुपया जुर्माना किया जायगा। इसके बाद जो बक़ाया होगा उसके लिये पुलिस आयेगी और कचहरी में जाना पड़े तो फिर उसका खर्चा भी उस मजदूर को देना पड़ेगा। वह बेचारा कहां से यह सब खर्चा लायगा। आज आप देखिये दूसरे देशों में मजदूरों के लिये मकान बने हुये हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट रहने के लिये मकान देती है, लेकिन उनसे एक पैसा भी वह वसूल नहीं करती है। तो कम से कम मजदूरों के लिये छोटा-मोटा मकान रहने के लिये बनाना जरूरी है जिसमें कम से कम एक इन्सान तो रह सके। कम से कम ४० वर्ग फुट हवा उसको मिलनी चाहिये जिसमें वह १० बजे रात को लौट कर आराम से रह सके और रात व्यतीत कर सके। इसलिये मैं किसी माननीय सदस्य को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसको ठंडे दिल से सोचे और जिस चीज की इसमें कमी है उसको पूरा किया जाय। इस प्रकार का यह बिल बनाया जाय, जिससे हर मजदूर का लाभ हो सके और कल्याण हो सके और गरीब लोग इससे लाभ उठा सकें। तब देश का भी कल्याण है, हमारा और आपका कल्याण है और दिल्ली सरकार ने जो रुपया दिया है वह भी सफल होगा। वह समझेंगे कि जो रुपया दिया गया वह उचित रीति से खर्च किया गया है। उससे हमारे प्रधान मंत्री की आत्मा को सन्तोष मिलेगा कि उत्तर प्रदेश को जो पैसा दिया गया, वह मुनासिब दिया गया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको प्रवर समिति में अवश्य भेजा जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय नारायणदत्त जी तिवारी के संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मजदूर जिन बस्तियों में और जिन मकानों में रहते हैं उनका बन्दोबस्त कैसे हो? केवल इसीलिये यह बिल आया है। मजदूरों की मकानों की आवश्यकता को देखते हुये तो पहले ही उनके लिये भवन बन जाने चाहिये थे, लेकिन केन्द्रीय सरकार और प्रादेशिक सरकार के सहयोग से हमारे प्रदेश में बहुत नाकाफी भवन बने। मैं आपके द्वारा सरकार से जानना चाहूंगा कि प्रदेश में अब तक जो भवन बने हैं उनके निर्माण करने में पूंजीपतियों ने कितना पैसा दिया है? केन्द्रीय सरकार और प्रादेशिक सरकार की ओर से तो पैसा लगा, लेकिन सरमायेदार, जिनको इस बिल में स्थान दिया गया है, कई स्थान पर, कई धाराओं में, तो उनसे सरकार ने श्रमिकों के भवन-निर्माण के लिए क्या लिया है? हम और आप जानते हैं कि ज्यादा मुनाफा जो मिल मालिकों को होता है वह श्रमिकों की वजह से ही होता है।

इस बिल पर जो लगातार इतनी देर से बहस हो रही है उसको सुनने के बाद अब यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम विरोधी दल के सदस्यों का भार तो कुछ हल्का सा हो जाता है, चूंकि स्पष्ट रूप से सभी दलों के माननीय सदस्यों ने इसका

विरोध किया है। शायद ही कोई सदस्य ऐसे हों जो इस बिल के पक्ष में बोले हों वर्ना सभी माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया है और बहुतों ने समर्थन करते हुये भी विरोध ही किया है। मुझे माननीय जैन साहब, रावत जी और माननीय मिश्र जी के भाषण सुनने को मिले। केवल मिश्र जी ही एक ऐसे व्यक्ति मिले, जिन्होंने बहुत जोरदार समर्थन इसका किया, लेकिन साथ ही उनको इसमें दोष भी दिखाई दिये और उन्होंने उन दोषों का परिहार करने की सरकार को सलाह भी दी। जिस बिल में उनको दोष दिखलाई दें और उसके बाद भी सदन में उसका जोरदार समर्थन हो और सरकार को बधाई दी जाय, तो यह कहने में कोई अत्युक्ति न होगी कि वह धन्यवाद या बधाई केवल सरकार को प्रसन्न करने के लिए देते हैं और असल में तो वह भी बिल की धाराओं का विरोध ही करते हैं। मैंने बिल की धाराओं को गौर से देखा और माननीय सदस्यों के भाषण भी गौर से सुने। इस पूरे बिल में २८ धारायें हैं, उनमें से अब तक जो भाषण हुए हैं उनमें २० धाराओं का विरोध किया गया है। इस बिल में आप देखें कि ७३ संशोधन आये हैं। इसी से प्रमाणित होता है कि इसमें खामियां हैं और जिस कानून में इतनी बड़ी खामियां हों उस बिल को संशोधन द्वारा यहां ठीक नहीं किया जा सकता। हमारा और माननीय सदस्यों का साढ़े ३ साल का अनुभव हो रहा है वह यह कि सदन में जो संशोधन आते हैं वह बहुत कम स्वीकार होते हैं, लेकिन प्रवर समिति में शायद सरकार को अपनी इज्जत का इतना ख्याल नहीं रहता है और वहां सरकार बहुत कुछ स्वीकार कर लिया करती है। ऐसे-ऐसे संशोधनों और माननीय सदस्यों के भाषणों के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस विधेयक को प्रवर समिति में अवश्य भेजेंगे। मैं मौर्य जी की बात का तहेदिल से समर्थन करता हूं कि सरकार ने यह विधेयक जो सदन में प्रस्तुत किया है वह लोकतंत्र का उपहास है, उसका एक प्रदर्शन है। यह विधेयक जो जिम्मेदारियां जनता की हैं, अधिकार जनता के हैं उनसे उनको हटा कर सरकार उसको अपने कुछ उच्च कर्मचारियों के हाथों में सुपुर्द करना चाहती है। श्रीमन्, जब जनता से अधिकार छीने जाते हैं और उच्चाधिकारियों के हाथों में अधिकार जाते हैं, तब ऐसी-ऐसी पार्टियां मजबूत होती हैं जो ऐसी सरकार को जो जनता के हकों को छीनती हो, उसको हिंसात्मक तरीकों से खत्म करने की बातें करती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक की धारा ७ और ८ को देखें, उसमें गृह-आयुक्त यदि परामर्शदात्री समिति की बात को न मानेगा, तो क्या होगा, इसकी कोई चर्चा इस विधेयक में नहीं है। यह परामर्शदात्री समिति भी क्या होगी ? आपको याद होगा श्रीमन्, जब सन् १९३७ में प्रांतीय सरकारें बनी थीं और इस प्रदेश के गवर्नर और कांग्रेस के मंत्रियों में मतभेद हो गया था, अनबन हो गयी थी, उस वक्त गांधी जी ने कहा था कि जो सरकारें बन गई हैं वे गुड़िया सरकारें हैं और उन्होंने उन सरकारों को इस्तीफा देने के लिये मजबूर किया था और सारी सरकारों ने उस समय इस्तीफा दिया था। मैं पूछना चाहता हूं कि यह परामर्शदात्री समितियां क्या होंगी ? क्या गुड़िया समिति होंगी ? इस विधेयक में जिसके जरिये से लाखों मजदूरों को रहने की जगह दी जायगी उसके अन्दर जिस परामर्शदात्री समिति का वर्णन है उसमें ७ सदस्य हैं। उनको नामजद करेगी सरकार, मजदूरों के प्रतिनिधि को नामजद करेगी सरकार, मिल मालिकों के प्रतिनिधि को नामजद करेगी सरकार और सभापति नामजद करेगी सरकार। तो मैं आपके जरिये से पूछना चाहता हूं कि फिर इस परामर्शदात्री समिति की आवश्यकता क्या है ? जब सरकार नामजद करेगी तो किस व्यक्ति को सरकार नामजद करेगी ?

(इस अवसर पर ४ बज कर ३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

अब तक जो परिपाटी सरकार की है ऐसे लोगों को नामजद करती है जो सरकार की हां में हां मिलाने वाले होते हैं। सरकार के काले कानूनों के खिलाफ यह जो उसके फैसले होंगे, उनके खिलाफ राय देने वाले हरगिज उस समिति में नहीं आ पायेंगे। इसलिये मैं बहुत जोरदार शब्दों में इस धारा का विरोध करता हूं और समझता हूं कि बिना प्रवर समिति में गये इसमें तब्दीली होने वाली नहीं है। इसी तरह से धारा ९ और

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

धारा १३ में बहुत सी बातें की गई हैं जिसमें जो फैसला आयुक्त कर देगा उस पर अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया। अब श्रीमन्, जिसके खिलाफ फैसला हो, उसको अपील करने का अधिकार न मिल और सरकार अपील करने का अधिकार न दे तो उस सरकार को श्रीमन्, बतलायें क्या कहा जायगा? जिसको सजा दी जाय, सजा भोगने वाले को अपनी उज्रदारी तक करने का अधिकार न दिया जाय और अदालत के सामने वह अपनी बात न रख सके और सरकार ऐसे हक को छीने तो उस सरकार को क्या कहा जायगा? वह सरकार अपने को जनता का प्रतिनिधि बतलाती है और कहती है कि वह तो गांधी जी के रास्ते पर चलने वाली है.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि सरकार कोई विधेयक नहीं है। कृपया विधेयक पर जरा बोलिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, जो सरकार ऐसा विधेयक लाती है उसको प्रतिक्रियावादी सरकार कहा जाय तो उचित होगा। किराये के संबंध में व्रजविहारी मिश्र जी ने जोर दिया है। मैं ज्यादा इस संबंध में नहीं कहूंगा। लेखा समिति की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी और सदन के माननीय सदस्यों ने भी पढ़ी होगी। सन् १९४८ में जो सिंचाई मंत्री रहे शायद उनका किराया अब तक बाकी रहा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह कोई बजट का डिस्कशन नहीं है। इस विधेयक का किराये से क्या मतलब?

श्री रामसुन्दर पांडेय—किराया कैसे वसूल हो, इस संबंध में मैं बतलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप इसी विधेयक के सिद्धांतों पर बहस करें और उसी तक अपने भाषण को सीमित रखें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, इसमें कहा गया है कि किराया कैसे वसूल होगा?

श्री अध्यक्ष—इस तरह से असंगत तौर पर किराये का प्रश्न आप निकालेंगे तो अन्य असंगत व्यक्तियों के किराये का भी प्रश्न उठ सकता है। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, इस विधेयक में कोई धारा इस प्रकार की नहीं है कि श्रमिकों स कैसे किराया वसूल किया जायगा और किस आधार पर वसूल किया जायगा? माननीय सदस्यों ने कहा कि वेतन का जो दसवां हिस्सा हो वह किराये के रूप में वसूल होना चाहिये। तो इस विधेयक में इसकी चर्चा नहीं। नियम में शायद कुछ रक्खा जावे, लेकिन इसमें चर्चा नहीं है। श्रीमन्, जब हमसे किराया वसूल किया जाता है दारुलशफा के कमरों का तो दसवां हिस्सा ही वसूल किया जाता है। हमसे, माननीय मंत्रियों से और सभी सरकारी कर्मचारियों से जो ५,५ हजार तक तनख्वाह पाने वाले हैं ऐसे लोगों से जो किराया वसूल किया जाता है उनसे किराया वसूल करने का एक ही तरीका है। लिहाजा वही तरीका मजदूरों के साथ भी अपनाना चाहिये। आप यह भी देखेंगे कि किराये की वसूली में जो व्यय होगा, उसको भी सरकार मजदूरों से वसूल करेगी और किराये की वसूली में क्या खर्च होगा उसकी इस बिल के अन्दर कोई चर्चा नहीं है। श्रीमन्, आगे आप देखेंगे कि उसमें गृह के दाखिले के विषय में जो अधिकार दिये गये हैं इस संबंध में धारा १८ जो है, वह बहुत खराब है। श्रीमन्, आप देखेंगे कि पुराने कई विधेयक हैं उत्तर प्रदेश में, जिनमें नोटिस जारी होता है लेकिन इसमें नोटिस जारी करने का कोई प्राविजन नहीं है। कैसे दाखिल होगा, कब दाखिल होगा? किराये की वसूली वेतन से कटौती इस संबंध में श्रीमन्, आप देखेंगे कि धारा २१ (३) में लिखा हुआ है "स्पष्ट और अस्पष्ट शर्त का उल्लंघन किया है" तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि स्पष्ट शर्त का उल्लंघन करता है तब भी वह घर से निकाला जायगा और अस्पष्ट शर्त का उल्लंघन करता है तब भी वह घर से निकाला जायगा, तो "स्पष्ट शर्त" का मतलब तो समझ में

आ सकता है लेकिन "अस्पष्ट शर्त" जो है, सरकार अपने विधेयक में "अस्पष्ट शर्त" का प्रयोग करे यह बड़े आश्चर्य की बात है। "अस्पष्ट शर्त" का क्या अर्थ है ? यह किसी की भी समझ में आने वाले शब्द नहीं हैं। मजदूर "स्पष्ट" को तो समझ सकता है लेकिन "अस्पष्ट" को क्या जानेगा ? उसने उल्लंघन किया उसके लिये सजा दी हुई है और सजा भी ६ महीने की और जुरमाना हजार रुपया है।

श्रीमन्, विधेयक में शर्त बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिये। कानून बरतने वाला जो अफसर है वह कानून का ठीक मतलब नहीं निकाल सके और जिन्हें कानून का पालन करना है, वे ठीक रास्ते पर चल सकें। यह अस्पष्ट शब्द सब को अंधकार में डालेगा। इस धारा से पूरा अधिकार अधिकारी को मिल जाता है कि जिस को चाहे जो सजा दे दे। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से पुरजोश शब्दों में निवेदन करूंगा कि इस शब्द को निकालें। यह अस्पष्ट शब्द बिलकुल निरर्थक है। इससे गरीब मजदूर पिस जायगा। हर्जे की वसूली धारा २३ में बतायी गयी है और धारा २७ में दंड की व्यवस्था की गयी है। मैं ज्यादा न कह कर अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये इस सदन से और माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक इसका जो उद्देश्य और कारण है उसके बहुत अंश तक विपरीत जाता है और जो आपने समाजवादी ढांचा बनाने का इस देश में संकल्प किया है उस संकल्प के विपरीत जाता है यह विधेयक। इसलिये यह आवश्यक है कि यह विधेयक प्रवर समिति में भेजा जाय। श्रीमन्, यह कहा जा सकता है कि देरी होगी। देरी की कोई बात नहीं है। दो, चार, दस दिन का मौका दे कर, प्रवर समिति में भेज कर इस विधेयक को ठीक किया जा सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति में जरूर भेजें जिससे इस विधेयक को मजदूरों के लायक बनाया जा सके।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह दुख है कि मैं उस वक्त के भाषण को नहीं सुन सका। लेकिन इस वक्त के मैंने कुछ भाषण सुने। हम लोगों की यह मनोवृत्ति ऐसी हो रही है कि हम चीप पापुलैरिटी जिसे कहते हैं उसकी ओर हम बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और उसकी ओर हम बहुत जाते हैं। जहां तक इस विधेयक को मैंने पढ़ा, मैंने ध्यान से देखा तो इसमें बहुत सी बातें तो ऐसी मिलीं जिनमें हमारी सरकार पाबन्द है। रुपया यह ऊपर से आया है और उसकी कुछ शर्तें वहां से आयी हैं। उन शर्तों को बदलना हमारी अधिकार-सीमा में नहीं है। जैसे कि यहां किराये पर बहुत बहस की गयी। किराये की शर्त स्वयं सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा कर भेजी है। एक प्रकार के कमरे हैं, जो सिंगिल सीटेड हैं उनका दस रुपया और डबुल का इससे कुछ ज्यादा। इसलिये इस पर जो बहस की जा रही है मेरी समझ में नहीं आया। यह बहस तो निरर्थक है। क्योंकि जिन शर्तों पर हम रुपया ले रहे हैं उन शर्तों को तोड़ना-मरोड़ना यह हम लोगों के अधिकार के बाहर है। जब हमें अधिकार ही नहीं है तो उस पर बहस करना या उस पर सेंटीमेंट जाहिर करना व्यर्थ है। या फिर सीधे कहिये कि इस रुपये को इनकार कर दिया जाय और केंद्रीय सरकार को लिख दिया जाय कि किराया इतना ज्यादा रखा है कि हम रुपया नहीं लेते, मकान नहीं बनाते, और जो मकान बन रहे हैं, उनको खत्म कर दिया जाय। सीधी सी बात है कि यदि आप उन शर्तों पर रुपया लेते हैं तो उनका परिपालन करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि आज जो ऊंचे अफसर हैं उनको केवल दस प्रतिशत देना पड़ता है और मजदूरों की तनख्वाह से ३०, ३३ प्रतिशत काटा जाता है। जाहिरा ऐसी बात मालूम होती है। लेकिन जिस चीज में हम स्वतंत्र नहीं हैं और हम पर ऊपर से शर्त लगा कर भेजी गयी तो उसमें बहस करना बिलकुल फिजूल की बात है। कहा गया कि इसमें मजदूर के हाथ-पैर कस कर बांधे गये हैं, बड़ी कड़ी शर्तें लगायी गयी हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा किया जाय जिस प्रकार की टेंडेंसी हमारे समाज में चल रही है और जैसी अराजकता समय-समय पर देखने में आती है उसमें कभी-कभी हमें कठोर कदम उठाना पड़ता है। मैं क्षमा किया जाऊं यदि कहूं कि मैं किसी मजदूर के प्रति जितने हमारे भाई यहां बैठे हुये हैं उनसे कम सहानुभूति नहीं रखता हूं, लेकिन यदि शासन चलाना है तो जिस तरह की

[श्री व्रजभूषण मिश्र]

उच्छृंखलता बढ़ रही है उसको देखते हुये हमें कठोर कदम उठाना पड़ेगा। मैं मिर्जापुर की एक बात बतलाता हूं जो पटने के प्रसंग के बारे में है। वह इस प्रसंग में दृष्टांत रूप में कह रहा हूं। वहां पर गवर्नमेंट इन्टर कालेज के ऊपर लड़के पटना गोलीकांड के विरोध में निकले। वहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मौजूद थे, कप्तान पुलिस मौजूद थे, सारे जिले के अधिकारी थे, उन-लड़कों ने, उनके पीछे-पीछे लाल टोपियां भी थीं, उन्होंने आ कर, एकाएक उक्त सरकारी स्कूल भवन पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया और शीशे तोड़ डाले। हजारों रुपये का नुकसान कर डाला। मैं तो जिलाधीश को धन्यवाद दूंगा कि उसने इस पर कहा कि यदि शीशे टूट जायेंगे तो वह बन जायेंगे लेकिन अगर किसी बिधवा का बच्चा मर जायगा तो वह उसको वापस नहीं मिलेगा। उसने सहनशीलता से काम लिया और वहां कोई दुर्घटना नहीं होने पाई। लेकिन सवाल यह है कि यह चीजें जिस तरह से हो रही हैं उनको हम क्या रोकथाम करें? विधेयक में यह तो निगाह जरूर रखी गई है कि सरकार मुकदमे बाजी में न फंसे। इसमें अगर आप सरकार को प्राइवेट हाउस ओनर की तरह रखना चाहते हैं कि जैसे मकान खाली कराने के लिये बड़ी मुकदमेबाजी होती है कि पहले कलेक्टर के यहां दावा दायर हुआ, फिर मुकदमा सिविल कोर्ट में गया और इस तरह से हर केस में तीन, चार बरस लग रहे हैं तो उसके लिये चाहे सरकार को कोई सख्त कहे लेकिन अगर उसको ठीक ढंग पर चलाना है तो सरकार को वह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जो सरल हो और उसके अपने बस की बात हो। उसमें ऐसी गुंजाइश रखना कि जिसमें मुकदमेबाजी हो, पैतरेबाजी हो, तो इससे मैं समझता हूं कि शासन नहीं चल सकता। यह मैंने ध्यान से देखा और पाया कि इसमें कड़ाई रखी गई है। वसूली के संबंध में भी अगर कोई किराया नहीं देता है तो इसके संबंध में भी कड़ी कार्यवाही करने की बात रखी गई है। यह मंजूर करना पड़ेगा कि विधेयक में कड़ी बात रखी गई है, ढीली नहीं रखी गई है। कुछ लोगों को डेमोक्रेसी की मेनिया हो गई है, डेमोक्रेसी का अजीर्ण सा उनको इतना हो गया है कि अगर उनकी बात मान कर उसके अनुसार शासन चलता है तो समाज में अराजकता पैदा हो जायगी, यह डेमोक्रेसी नहीं है। हमें डेमोक्रेसी को इतना शिथिल नहीं बना देना है कि जिसमें अराजकता की सूरत पैदा हो जाय, जहां कोई कायदा-कानून न रह जाय और न जहां किसी पर कोई कंट्रोल रख सके। शासन का काम कंट्रोल करना है और कंट्रोल करना है तो हमें कड़ाई भी करनी पड़ेगी। यह बेसिक बातें है, सिद्धांत की बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा, यह इधर-उधर की बातें नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसा गोस्वामी जी ने कहा है कि "विघन मनावें देव कुचाली" समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ऐसी कुछ गुंजाइश इसके अन्दर रहे कि जिसमें हम को मौका मिले मुकदमेबाजी कराने का, आन्दोलन करने का। कोई न कोई शिगूफा उनको मिलते रहना चाहिये। वह लोग जरूर चाहेंगे कि कोई न कोई बात हर विधेयक में या उसके नियमों में आ जाय जिसमें उनको गुंजाइश हो कि वह घुस सकें और तिल का ताड़ बना कर उस बात को आगे बढ़ा सकें। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, मैंने इसको मंजूर किया है कि यह कोई मुलायम नहीं है और यह सख्त है और सख्त इसलिये है कि इसकी जरूरत है। अगर सरकार मकान बनवा रही है और वह इतनी आसाइश देने के बाद किराया लेने के लिये कोई शर्त बनाती है और यह तय करती है कि १० तारीख तक किराया अदा हो जाना चाहिये और जब मजदूरों को आम तौर पर तनख्वाह १० तारीख तक मिल जाती है तो इतनी व्यवस्था करने के बाद इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिये कहा जाय कि वह बड़ा कसाईपन कर रही है। शासन किस तरह से चलना चाहिये इसमें बुनियादी भावना यही है। और मजदूरों की मनोवृत्ति, क्षमा किया जाय, जिस ढंग से चल रही है उन सब को देखते हुये इसमें कहा गया है कि अगर कोई उपबन्धों की अवहेलना करेगा तो उसे सजा ६ महीने की और १ हजार जुरमाना तक हो सकता है। इसके अन्दर समझने की बात है कि कहां तक विधेयक बनाने वालों ने क्या-क्या सोचा है और कितनी दूर तक वह आगे गये हैं? आप जानते हैं आज तोड़-फोड़ करना, आग लगा देना सरल बात हो गयी है। अभी लखनऊ में जो कांड हुआ था, डेढ़ वर्ष ही की बात है किसी समय जब ऐसी अवस्था उत्पन्न होगी या मजदूर

उपद्रव मचाने लगेंगे और उसकाने वाले लोग भी पीछे-पीछे लगे रहेंगे तो उस समय घें-घें करने से सरकार नहीं चलेगी। इसलिये मैं समझता हूं कि जो विधेयक आया है वह अपनी जगह पर सही है, समय के अनुसार है और उसमें डेमोक्रेसी की कहीं हत्या नहीं की गयी है। हां, नियमों को अवश्य कठोर बनाया गया है और ऐसा बनाया है कि जिसकी इस समय आवश्यकता है। सख्ती करने के लिये यह सख्त नहीं बनाया गया है और जहां तक किराये की बात है, मैंने उसको बता दिया कि हमारे बस की बात नहीं। इसलिये विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का जो संशोधन है उसका मैं विरोध करता हूं और मैं आशा करता हूं कि सदन जिस रूप में विधेयक आया है उसको स्वीकार करेगा।

श्री जे रावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मिश्र जी ने अभी जो भाषण दिया उसको सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मजदूरों के प्रति अपनी सहानुभूति भी दिखाई, लेकिन मुझे दुख है कि उन्होंने यह सहानुभूति मजदूरों के प्रति उस समय नहीं दिखलाई जिस समय कि शुगर केन इंडस्ट्रियलिस्ट्स शुगर सेस नहीं दे रहे हैं, और किसानों का जो बकाया पड़ा हुआ है वह नहीं दे रहे हैं, जब कि नियम बने हुये हैं। इस प्रकार के और अनेक उदाहरण हैं, इस विधेयक में मजदूरों पर इस प्रकार के बंधन लगाये गये हैं जिसे यह कतई नहीं कहा जा सकता है कि यह डेमाक्रेसी के अनुकूल है। मैं तो समझता हूं कि डेमोक्रेसी का परिहास है। अगर माननीय मिश्र जी चाहते हैं कि सचमुच उच्छृंखलता न बढ़े तो बहुत अच्छा यह हो कि डिक्टेटरशिप यहां कायम कर दी जाय। प्रश्न यह है कि मजदूरों पर ही यह बंधन क्यों लगाये जायं? अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम ही होगा कि यहां इस प्रकार के कितने प्रश्न उठा करते हैं? मैं आपका ध्यान विधायक निवास की तरफ दिलाना चाहता हूं। नियम है कि दो विधायक एक कमरे में रहें लेकिन तीन साल हो गये एक-एक सदस्य एक कमरे को औक्युपाई किये हुये हैं। जो दो सदस्य रहते हैं उनसे किराया ले लिया जाता है, लेकिन जो व्यक्ति एक कमरा पर कब्जा किये है उसके विरुद्ध कुछ नहीं किया जा रहा है और उनके लिये कोई नियम नहीं हैं और इसी प्रकार बड़े-बड़े लोगों के लिये भी कोई नियम नहीं है। अगर हैं तो उन्हें कार्यरूप में परिणत नहीं किया जाता। इसमें ६ महीने का कारावास है, १ हजार रुपये तक जुर्माना है, उनके ऊपर इन्हें क्यों नहीं ऐप्लाई किया जाता है? सिर्फ मजदूर ही ऐसे हैं जिनके ऊपर सहानुभूति दिखाई जाय? अगर अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूं कि यह क्रोकोडाइल टीयर्स (बनावटी आंसू) हैं और सचमुच में मजदूरों का हनन होने की व्यवस्था है, जिसका प्रतिपादन यहां किया जा रहा है, तो अत्युक्ति न होगी।

इस अधिनियम में अध्यक्ष महोदय, परामर्शदात्री समिति की रचना का भी ढोंग रचा गया है। लेकिन उस समिति का क्या कर्त्तव्य है, वह बनायी जायगी या नहीं, इसकी कोई व्यवस्था नहीं। गृह-आयुक्त को मैं तो समझता हूं कि गवर्नर से भी अधिक अधिकार दिये गये हैं। गवर्नर के लिये तो विधान बना है उसके अनुसार ही वह सारा कार्य करेगा, लेकिन गृह-आयुक्त किराया नियत करेगा तो उसकी स्वेच्छा पर निर्भर है, अगर किसी को वह नोटिस देता है कि तुम बेकायदा चल रहे हो, घर छोड़ दो, अगर कोई नहीं मानता है तो बल प्रयोग कर सकेगा। यह मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर क्या यही बातें हैं जो कि प्रजातंत्र के लिये ठीक कही जा सकती हैं। वास्तव में बात यह है अध्यक्ष महोदय, कि अभी हम विदेशी गुलामी की बात को भूले नहीं। यह सही है कि जब से प्रजातंत्र आया है तब से हर एक आदमी स्वतंत्र होने के लिये परेशान है। लेकिन जो आदमी कि विदेशी शासन में स्वतंत्र थे, वे अब भी स्वतंत्र हैं। और जो आदमी पहले परतंत्र थे वे अब भी परतंत्र हैं। यदि वह स्वतंत्र होने के लिये कुछ सांस लें तो उसके लिये तरह-तरह के नियम बनाने की व्यवस्था है। अध्यक्ष महोदय, इसमें यह जो धारा ९ है इसमें बेदखली की व्यवस्था की गयी है और कोई औद्योगिक मजदूर नहीं रहेगा तो उसकी बेदखली हो जायगी, घर उसको छोड़ देना पड़ेगा। ऐसा नियम मैं समझता हूं किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता है। आपको मालूम ही होगा अध्यक्ष महोदय, कि इसी सदन में इस प्रकार के प्रश्न होते हैं कि गवर्नमेंट के बड़े-बड़े आफिसर्स यहां से ट्रांसफर हो जाते हैं, रिटायर भी हो

[श्री जोरावर वर्मा]

जाते हैं लेकिन सालों तक बंगले नहीं छोड़ते। उनके लिये ऐसा नियम लागू होता है या नहीं, पता नहीं, लेकिन यह असलियत है कि कितने ही सेक्रेटेरियट के कम से कम ऐसे बीसों अधिकारी होंगे जो गवर्नमेंट आफ इंडिया में चले गये हैं या रिटायर हो गये हैं लेकिन बंगले पर वे बाकायदे अधिकारी बने हुये हैं, वह उस पर कब्जा किये हुये हैं, लेकिन उनके लिये कोई नियम नहीं है, क्योंकि नियम तो केवल उनके लिये होता है जो कि असमर्थ होते हैं। जो समर्थ हैं, साधन सम्पन्न हैं, बड़े-बड़े अधिकारी हैं, उनके लिये ऐसे नियम नहीं होते। अगर होते भी हैं तो कभी कार्यरूप में परिणत नहीं किये जाते। मैं आप के द्वारा क्या माननीय ब्रजभूषण मिश्र जी से पूछ सकता हूं कि उनके लिये भी कोई ऐसा नियम है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने क्या व्यवस्था की है? आपकी यह प्रजातंत्र गवर्नमेंट जो वेलफेयर स्टेट होने का दावा करती है और मजदूरों और किसानों की गवर्नमेंट होने की दावा करती है, उसका क्या यही फर्ज होता है कि गरीब मजदूरों और वर्करों से बकाया किराये की वसूली लैंड रेवेन्यू की तरह करने की व्यवस्था करे और अगर गरीब मजदूर किसी तरह से न दे सके तो उसकी बेदखली की जाय और उस पर १ हजार रुपये जुर्माने की सजा की व्यवस्था करे, और उन बड़े-बड़े अधिकारियों और साधन-सम्पन्न व्यक्तियों के लिये दूसरे तरह का नियम रखे। क्या इसी तरह की स्टेट को प्रजातंत्र स्टेट कहा जा सकता है? प्रजातंत्र स्टेट में एक मजदूर और एक छोटे से छोटे व्यक्ति को राष्ट्र के वर्कर तथा एक बड़े से बड़े पदाधिकारी या बड़े से बड़े व्यक्ति के लिये एक से नियम बने हुये हों। वैसे यह तो बातें बनाना है, चाहे कोई किसी तरह बनाता रहे। जब तक एक नियम के द्वारा सारे राष्ट्र के निवासी गाइडेड नहीं होते हैं, जब तक उसके अन्दर नहीं चलते हैं, तब तक प्रजातंत्र कदापि नहीं कहा जा सकता। प्रजातंत्र वही है जिसमें हर एक आदमी के बराबर अधिकार हों और यदि कोई आदमी किसी नियम के खिलाफ कोई कार्य करता है तो उसके लिये वही कार्यवाही होनी चाहिये जो कि एक गरीब आदमी के साथ आप करते हैं। यह नहीं कि जो बड़े-बड़े व्यक्ति हैं, ऊंचे अधिकारी हैं, शिक्षित हैं, साधन-सम्पन्न हैं, वह चाहे जितना नियमों को भंग करें, उनके लिये किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं, लेकिन अगर कोई गरीब मजदूर जो कि इंटेशनली नहीं बल्कि मजदूरी की वजह से अगर किसी कायदे के अन्दर न चल पाये, तो उसके लिये इस प्रकार के नियम लाये जायं कि गृह-आयुक्त को अधिकार दिया जाय कि वह उस के घर में घुस कर उसे घर से निकाल दे। यह सब प्रजातंत्र के बिलकुल प्रतिकूल बातें हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें दंड की भी व्यवस्था की गयी है। छः महीने का कारावास का दंड होगा और १ हजार रुपये का जुर्माना होगा। इस पर बहुत से माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है। इसलिये मैं अधिक जोर इस पर अब नहीं दूंगा लेकिन यह एक मजदूर के लिये इतने बड़े दंड की व्यवस्था रखना और इतना अधिक दंड रखना मैं समझता हूं कि यह प्रजातंत्र के बिलकुल विरुद्ध है। क्योंकि यहां के एक वर्कर की आमदनी १९२ या २०० रुपये अधिक से अधिक है तो एक हजार रुपये के दंड का क्या औचित्य है। कौन ऐसा तंत्र है जो इस तरह के नियम रखने की इजाजत देता हो? जहां के एक राष्ट्रीय व्यक्ति की आमदनी २०० रुपये से अधिक न हो वहां उस व्यक्ति के ऊपर एक हजार रुपये के दंड की व्यवस्था करना किस तरह उचित हो सकता है? मैं समझता हूं कि सजा १ महीने की भी हो सकती थी, ५० रुपये का भी जुर्माना हो सकता था लेकिन इतने बड़े दंड की व्यवस्था का अर्थ यह है कि आतंक के द्वारा, आतंक के बल पर शासन करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके द्वारा उनका ध्यान इतिहास की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे यह कहना चाहता हूं कि औरंगजेब और दूसरे तानाशाह बादशाहों का रास्ता अख्तियार करने की कोशिश न करें। रगड़ लगने से चन्दन में भी आग लग जाती है। जब जनता को अधिक दबाया जाता है तो उसमें एक ज्वाला भड़क उठती है और उसमें ऐसे लोग भस्मीभूत हो जाते हैं। प्रजातंत्र का प्रतिपादन करने के बहाने तानाशाही का रास्ता अख्तियार किया जाय और बड़े-बड़े लोगों की रक्षा

की बातें करते हुये प्रजातंत्र का नाम लिया जाय तो मैं समझता हूं कि यह कतई शोभनीय नहीं कहा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, यह कानून ऐसा भी है कि इसमें गृह-आयुक्त जिस प्रकार की व्यवस्था वसूली की करें, उसकी कोई अपील नहीं है। धारा १३ कहती है कि अधिनियम में जो कानून बना है, उसमें कोई अपील नहीं है। मैं समझता हूं दुनिया में जितने कानून हैं उसमें कोई ऐसा कानून नहीं होगा जिसमें इतना बड़ा बन्धन लगाया गया हो। वास्तव में इस कानून का उद्देश्य तो यह रखा गया है कि इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम जो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने भेजी है उसके अनुसार मकान बनाये जा रहे हैं, उसी के सम्बन्ध में नियम बन रहे हैं। मैं समझता हूं इस बिल का एकमात्र उद्देश्य मजदूरों को दबाने का है कि वह जो अपनी मांगें रख रहे हैं, या अपने पेट भरने के लिये जो युद्ध करना चाहते हैं, वह न करें, और दूसरे ढंग से यह कहा जा सकता है कि यह बिल मिल मालिकों की रक्षा के लिये बन रहा है। अभी तक तो मजदूर लोग अपनी मांग सरकार के सामने रख सकते थे, लेकिन अब सरकार खुद मिल मालिकों की रक्षा के लिए ऐसा बिल ला रही है जिससे मिल मालिक आनन्द की नींद सोयेंगे और हमारी गवर्नमेंट उनके नाम पर शासन के बहाने मनमानी करेगी। अभी मिल मजदूर और मिल मालिक की जो लड़ाई होती है वह मजदूर और मिल मालिकों के बीच में होती है, गवर्नमेंट को जज के तौर पर थोड़ा काम करना पड़ता है, लेकिन अब मिल मालिकों को कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी। अगर इनमें कोई स्ट्राइक या लड़ाई-झगड़ा होगा तो सरकार बीच में आ जायगी। अभी जैसे कि कानपुर में हुआ कि स्ट्राइक चल रही है और मजदूरों को नौकरी से अलग कर दिया गया है। तो इस कानून के अनुसार जब वह नौकरी से अलग कर दिये गये हैं तो जिन मकानों में वह रहेंगे वहां से उनको निकाल दिया जायगा। क्या यह मिल मालिकों की हिफ़ाजत के लिये इंडायरेक्टली कानून नहीं है? इसी प्रकार और बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। इसमें ऐसी कई खामियां हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है।

इसलिये माननीय नारायणदत्त जी ने जो संशोधन रखा है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही उपयुक्त है और इसमें बड़ी-बड़ी खामियां हैं जिनको सैद्धान्तिक कहा जा सकता है। यह बिल १९५४ में बना था। इस बीच में एक वर्ष का शासन काल चला गया और इस समय काफी प्रगति हो गयी है। यदि वह प्रवर समिति में जाय तो हो सकता है कि जो इस समय की हमारी भावनायें हैं, वह इसमें व्यक्त करने का मौका हमें मिले। तो इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि सन् ५५ की छाप इसमें लग सके। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री कैलाश प्रकाश—अध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने इस सदन के इस बिल का स्वागत किया है। मैं उनका आभारी हूं। इस बिल के विषय में बहुत ध्यान से माननीय सदस्यों के सुझाव मैंने सुने और उन सब को सुनने के पश्चात्, मैं आवश्यक नहीं समझता कि इसको प्रवर समिति में जाने की जरूरत है। श्रीमन्, यह विधेयक जो आज सदन के सामने पेश है, इस प्रदेश की गृहावास की जो कठिनाइयां हैं, उन सब के विषय में नहीं है। यह एक सीमित दायरे में है। माननीय सदस्यों को स्पष्ट है कि हमारे प्रदेश में या देश में जो मजदूर रहते हैं उनके रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, उनके लिये अच्छे आवास उपलब्ध नहीं हैं। हमारे प्रधान मंत्री को उसको देखने का अवसर हुआ और उन्होंने यह निश्चय किया कि इनको आवास की सुविधा प्राप्त होनी चाहिये।

श्रीमन्, केन्द्रीय सरकार की ओर से एक योजना बनायी गयी और वह योजना केवल श्रमिकों के लिये बनायी गयी। उस योजना के तीन अंग हैं। एक अंग यह है कि मकान सरकार द्वारा बनाये जा सकते हैं। उसमें केन्द्रीय सरकार की ओर से ५० फीसदी अनुदान और ५० फ़ीसदी ऋण के रूप में मिलता है।

[श्री कैलाश प्रकाश]

दूसरी योजना यह है कि मिल मालिक भी यदि चाहें तो अपने मजदूरों के लिये मकान बना सकते हैं और जो इस तरीके से मकान बनायेंगे उनको केन्द्रीय सरकार की ओर से २५ प्रतिशत का अनुदान मिलेगा।

तीसरी योजना और भी है कि मजदूर स्वयं अपनी कोई कोआपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहें और कोआपरेटिव सोसायटी बना कर अपने गृहों की व्यवस्था करना चाहें, उनको भी केन्द्रीय सरकार की ओर से २५ फीसदी का अनुदान प्राप्त हो सकता है।

श्रीमन्, इस सदन में बहुत से माननीय सदस्यों ने और विशेष कर मेरे साथी मौर्य जी ने इस विधेयक के सिलसिले में प्रजातंत्र की दुहाई दी। मैं माननीय सदस्यों का समय इसमें लेना नहीं चाहता, किन्तु इतना अवश्य निवेदन कर देना चाहता हूं कि कोई भी शासन, प्रजातंत्र या दूसरा नहीं चल सकता जब तक उस में उत्तरदायित्व और अधिकार दोनों साथ-साथ न चलें। उत्तरदायित्व और अधिकारों का जोड़ा है और केवल उत्तर-दायित्व को बिना अधिकारों के पूर्ण नहीं किया जा सकता है। यह जो केन्द्रीय सरकार की योजना का तीसरा अंग अर्थात् सहकारी समितियों द्वारा श्रमिकों के मकानों की व्यवस्था करने का अंग है, मुझे खेद होता है श्रीमन् कि अपने प्रदेश में उसकी कोई प्रगति हो नहीं पायी : हम जो बेचारे गरीब मजदूरों से सहानुभूति रखते हैं, जो उनके लिये अच्छी व्यवस्था करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि किसी तरीके का नियंत्रण उनके ऊपर न हो, हमारा भी यह उत्तर-दायित्व हो जाता है कि हम उनको उस रास्ते पर ले चलें, हम उनके लिये इस तरीके की योजना बनायें कि कोआपरेटिव सोसायटीज के जरिये केन्द्रीय सरकार से जो सहायता प्राप्त होती है उस को प्राप्त कर के, उनके लिये गृहों की व्यवस्था कर सकें। श्रीमन्, जिस समय केन्द्रीय सरकार ने यह योजना बनायी तो इस योजना में केवल इतना ही नहीं था कि वह ५० फीसदी अनुदान और ५० फीसदी ऋण किन्हीं भी शर्तों पर देने के लिये तैयार है। वह पूरी योजना मेरे सामने है, लेकिन माननीय सदन का समय मैं इसमें लेना नहीं चाहता, केवल यह निवेदन कर देना चाहता हूं जिसके विषय में यहां बहुत से माननीय सदस्यों ने चर्चा की है कि उस योजना के अन्तर्गत यह निश्चित है कि ये मकान जो इस ऋण और अनुदान से बनाये जायेंगे, वे केवल उन श्रमिकों को दिये जायंगे जो फैक्टरी ऐक्ट के अन्तर्गत आते हैं। यह उस की निश्चित शर्त है। और श्रीमन्, दूसरी शर्त उसकी यह है उस योजना के अनुसार कि उन मकानों का किराया भी १० रुपये होगा। अध्यक्ष महोदय, यदि आप आज्ञा दें तो मैं माननीय सदस्यों को यह बतला देना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार का इसमें एक विचार है कि वह इन गृहों की व्यवस्था के लिये अपना एक विधेयक वहां उपस्थित करे और अपना एक विधेयक बनाये क्योंकि इस प्रदेश में प्रगति तेजी से हुई और क्योंकि इस प्रदेश में काफी मकान बन गये और केन्द्रीय सरकार अभी तक अपना विधेयक बना नहीं पाई और हम यह भी नहीं जानते कि किस समय तक वह बना पायेगी। इसी कारण से आज इस विधेयक को यहां पर लाने की आवश्यकता हो रही है। सम्भव है यदि केन्द्रीय सरकार अपने इस रुपये देने के सिलसिले में एक विधेयक इसमें अब तक बना लेती, तो सदन के समक्ष इसको लाने की आवश्यकता भी न होती।

श्रीमन्, यहां एक माननीय सदस्य श्री नारायण दत्त जी तिवारी ने यह भी शंका उत्पन्न की कि इस प्रदेश ने किस तरह की प्रगति की है और यह भी शंका उत्पन्न की कि और प्रदेशों के मुकाबले में हमारे इस प्रदेश ने अच्छी प्रगति नहीं की है। अध्यक्ष महोदय, यदि आप की आज्ञा हो, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली जो शिमला में हाउ-सिंग कान्फ्रेन्स केन्द्रीय सरकार की ओर से वहां हुई थी जिसमें समस्त प्रदेशों के मंत्रीगण पहुंचे थे। वहां इस बात को स्पष्टतया स्वीकार किया गया कि इस योजना के अन्तर्गत जो प्रगति संतोषप्रद उत्तर प्रदेश ने की है, वह अन्य किसी प्रदेश में नहीं हुई।

श्रीमन्, इस समय मेरे सामने आंकड़े प्रत्येक प्रदेश के हैं, लेकिन उन सब को पढ़ कर मैं सदन का समय नहीं लूंगा। इतना बतलाना चाहता हूं कि बम्बई में जहां इतने उद्योग हैं वहां पर भी ११,५०३ गृह बनने की व्यवस्था है जब कि उत्तर प्रदेश में चारों फेज के मकानों के बन जाने पर २१,३२६ मकान बन जायेंगे।

श्रीमन्, मैं इस विधेयक के प्रस्तुत करते समय वह आंकड़े दे चुका हूं कि जितने गृह अभी तक बन चुके हैं, लगभग १३ हजार मकान इस योजना के अन्तर्गत बन चुके हैं। श्रीमन्, एक यह भी शंका यहां बतलायी गयी है कि जो मकान बने हैं वह उठ भी सकते हैं या नहीं, वह किराये पर लिये जा सकते हैं या नहीं? अभी तक जो मकान पहले फेज में बने हैं, वह सब उठे हुये हैं। दूसरे फेज में जिस तरह से मकान तैयार होते चले जाते हैं उसी तरीके से उठते चले जाते हैं। इस प्रदेशीय सरकार की ओर से इस योजना के अन्तर्गत प्रगति है।

श्रीमन्, बहुत कुछ बातें यहां किराये के लिये भी कही गईं और लगभग सभी माननीय सदस्यों ने किराये के विषय में अपनी सहानुभूति श्रमिकों के साथ दिखाई। इसमें कोई सन्देह नहीं है और मैं कह सकता हूं कि सरकारी सदस्यों की भी सहानुभूति मजदूरों के साथ यदि अधिक नहीं तो कम नहीं है। एक चीज मैं अर्ज करूं कि कितना किराया हो, यह आज हमारे हाथ में नहीं है। यह उन शर्तों के अनुसार हमें स्वीकार करना है जिन शर्तों पर उधार और अनुदान लिया। जिन शर्तों पर इस रुपये को ले कर हमने यह मकान बनाये हैं।

श्री रामेश्वर लाल—अगर उनमें मजदूर न रहना चाहें, तो आप क्या करेंगे?

श्री कैलाश प्रकाश—हम आशा तो यह करते हैं कि मजदूर उनमें रहेंगे और जैसे-जैसे समस्या आती है तो सरकार का यह साहस है कि उन समस्याओं को हल करती चली जायगी। जब कोई प्रश्न उठेगा उस प्रश्न को हल किया जायगा। इन श्रमिकों की व्यवस्था को सुधारने में वह सदैव आगे रहेगी। किन्तु यह सही बात है कि यह सरकार कभी आशंका पर आश्रित नहीं रहती है। यह सरकार यह नहीं चाहती है कि कोई भी काम घबराहट से किया जाय या जो चीज नहीं होने वाली है उसकी कल्पना कर के उससे आशंकित रहे। यह इस प्रकार से इस सरकार के सोचने की नीति नहीं है।

श्रीमन्, इस सदन में यह भी बात कही गयी कि जब १९५२ में एक विधेयक पारित हो चुका है और सरकार ने मकानों के किराये को वसूल करने के लिये उसको पास कर दिया है और वह अधिनियम बन चुका है तो फिर इस अधिनियम को पास करने की क्या आवश्यकता थी। मैंने उस अधिनियम को भी देखा है और अधिकांश में जो सिद्धान्त आज इस विधेयक में है और जिन सिद्धांतों के ऊपर माननीय सदस्यों ने आज आलोचना की है वही सब सिद्धांत उस अधिनियम में मौजूद हैं। उस अधिनियम में एक चीज भी विशेष नहीं है। उसमें कोई परामर्शदात्री समिति नहीं है। इस विधेयक के अन्तर्गत इस बात की व्यवस्था की गयी है कि हम एक परामर्शदात्री समिति की व्यवस्था रखें। यह परामर्शदात्री समिति समय-समय पर जिन विषयों पर आवश्यकता होगी उन विषयों पर यह हाउसिंग कमिश्नर को सलाह देती रहेगी, परामर्श देती रहेगी और इस गृह-व्यवस्था को ठीक करती रहेगी।

श्रीमन्, यह भी एक प्रश्न यहां पर किया गया कि इस विधेयक की आवश्यकता ही क्या थी। हो सकता है जिस प्रगति के साथ आज इस प्रदेश में कार्य चल रहा है उस प्रगति से अनभिज्ञ, उस प्रगति से भलीभांति अवगत न होने के कारण यह भ्रम पैदा हो जाता हो किन्तु जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं इस प्रदेश में दो लाख मजदूर हैं और लगभग १० फीसदी मजदूरों के लिये आवासों की व्यवस्था इस चार फेज में कर देना चाहते हैं। लगभग २१ हजार मकान जब हमारा चौथा फेज समाप्त हो जायगा तब इनके लिये बन जायेंगे। तो २१ हजार मकानों का अलाटमेंट करना, इनका किराया वसूल करना, इनकी देख-रेख करना, इनकी रक्षा करना कि इनमें क्या है, क्या नहीं है? सभी जो वहां किरायेदार हैं

[श्री कैलाश प्रकाश]

उनकी सहूलियत को देखते रहना, इन सब चीजों का ख्याल कर के ही यह देखा गया कि यह काम बहुत बड़ा है। जिस समय इस सदन ने १९५२ में वह अधिनियम पास किया था सरकारी आवासों की संख्या, सरकारी बिल्डिंगों की संख्या इतनी नहीं थी। आज यदि इतनी बड़ी गृहों की तादाद है और यदि हम चाहते हैं कि उनमें जो किरायेदार हैं उनको पूरी-पूरी सुविधा दी जाय, उनको जो दिक्कत हो वह दूर होनी चाहिये। उनको जो परेशानी है उस की तरफ अच्छी तरह से ध्यान दिया जाय तो यह आवश्यक होगा कि अलग से इसकी व्यवस्था की जाय। उस के लिये अलग से कोई ऐसा अधिकारी होना चाहिये जो उन सब चीजों को देखता रहे। श्रीमन्, आज इन सब कार्यों को लेकर कमिश्नर देखता है और उस को यह सब काम करना पड़ता है लेकिन लेबर कमिश्नर के ऊपर बहुत सा उत्तरदायित्व है। उसको और भी बहुत से काम लगे रहते हैं। इसलिये यह आवश्यक हुआ कि इसके लिये हाउसिंग कमिश्नर के नाम से एक नया अधिकारी नियुक्त किया जाय। मेरे एक माननीय मित्र ने इसी सिलसिले में चर्चा की कि इन मकानों को बनाने के लिये टाउन प्लानर द्वारा ठीक नक्शा होना चाहिये था।

उनमें ड्रेनेज का प्रबंध होना चाहिये था और जो भी मजदूरों की सुविधायें हैं उन सब का प्रबन्ध होना चाहिये था। मैं उन की जानकारी के लिये नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि उनका जो नक्शा बनाया गया और उनका जो निर्माण कराया गया, उस में सरकार की जितनी भी मशीनरी है जिस में टाउन प्लानर भी है, डेवलपमेंट बोर्ड भी है, पी०डब्लू० डी० इंजीनियर भी शामिल हैं, सभी के सहयोग से यह काम हुआ है और इसी सहयोग और परामर्श के ही कारण इतना बड़ा काम, इतना बड़ा निर्माण, इतने अल्प समय में हम कर सके हैं। इसलिये मैं कहूंगा कि इस तरफ हमारा पूरा-पूरा ध्यान है कि हमारे जो मकान बने हैं, वह मकान अच्छी हालत में रहें, अच्छी व्यवस्था में रहें और वहां के रहने वालों को सुविधा प्राप्त हो सके।

हमारे एक माननीय साथी ने आशंका उठायी कि इस बिल में हाउसिंग कमिश्नर को केवल कार्पोरेट बाडी के अधिकार दिये गये हैं जबकि मकानों पर उन को अधिकार नहीं दिया गया है और मकान उन की सम्पत्ति नहीं है। उन्हें सन्देह था कि यदि मकानों का मालिकाना हक हाउसिंग कमिश्नर के मातहत न होगा, वह उनको नहीं दे दिया जाता, तो वह किसी तरह से भी कार्पोरेट बाडी नहीं रह सकते हैं। यह एक कानूनी प्वाइंट है। जहां तक मैं जानता हूं कार्पोरेट बाडी के लिये आवश्यक नहीं है कि वह अपनी किसी चीज का स्वामी हो, उस के पास कोई सम्पत्ति हो किसी चीज की व्यवस्था या मैनेजमेंट करने के लिये भी वह बनाया जा सकता है। व्यवस्था यह है कि हाउसिंग कमिश्नर इन मकानों की समस्त व्यवस्था करे, किराया वसूल करे उसको जमा कर, इसी तरह के तमाम कार्य वह करे। इसी कारण से इस बिल के द्वारा कार्पोरेट बाडी के नाम से वह काम कर सकेगा और इसी कारण से आवश्यकता हुई कि उन को यह अधिकार दिये जायं।

यहां यह भी कहा गया कि क्यों न हाउसिंग बोर्ड बनाये जायं। मैं प्रारम्भ में ही निवेदन कर चुका हूं कि यह जो बिल आज सदन के सामने प्रस्तुत है अपने प्रदेश की आवास कठिनाई जो है उस सब के लिये नहीं है, उस समूची कठिनाई को हल करने के लिये यह बिल नहीं लाया गया है, उन सब के लिये तो और योजनायें और विचार हैं। सदन का उन तमाम योजनाओं के विषय में यहां समय लेना, मैं उचित नहीं समझता। यहां तो केवल एक काम करना शेष था, रुपया केन्द्रीय सरकार से आया, बहुत से नियम उन्होंने निर्धारित किये, मकान हमने बनाये और मकानों की व्यवस्था की। किराया वसूली का काम शेष रहा, उसके लिये किसी हाउसिंग बोर्ड की या किसी स्टेचुटरी बाडी की कोई आवश्यकता नहीं समझी। इसलिये वह नहीं बनाया गया और न उसकी आवश्यकता विशेष थी।

श्रीमन्, एक बात यह कही गयी कि इस में सजाओं की एक धारा रखी गयी है और यह भी कहा गया कि उस धारा के अनुसार तो डबुल पनिशमेंट मिल जाता है। अध्यक्ष महोदय, आप

की आज्ञा से यदि मैं यह कह दूं कि यह विचार ठीक नहीं है तो गलत न होगा, और यदि कोई इस विधि को चलाने में कठिनाई और बाधा उपस्थित करता है उसको और कोई सजा मिलने वाली नहीं है उसको तो कोई दूसरी सजा मिलेगी। केवल वह व्यक्ति जो किसी मकान में रहता है, यदि वह किसी मकान से निकल जाता है उसके लिये यह बात कही जा सकती है कि वह मकान से भी निकले और उसे सजा भी दी जाय, तो यह दो बातें हुयीं। तो उस व्यक्ति को थोड़ी देर के लिये छोड़ दें और भी बहुत से व्यक्ति हैं जो इस विधि के चलने में बाधा उपस्थित करते हैं मसलन् एक किरायेदार रहता है, एक मकान में वह चाहता है कि मकान में कोई दूसरा भी आ जाये और दूसरा कोई उपस्थित हो जाता है और वह कहता है कि नहीं आया। इस तरह की बहुत सी बातें हो सकती हैं जो चलने में बाधा उपस्थित कर सकती हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिये जो यह करता है, सजा की व्यवस्था है।

श्रीमन्, अब प्रश्न उसका आता है कि जो किरायेदार है। यदि किरायेदार अनधिकृत रीति से रहता है तो यह उसका उत्तरदायित्व है कि वह उस मकान को छोड़कर चला जाय। मकान को तो उसको छोड़ना ही है क्योंकि वह उसके अनअथराइज्ड आकूपेशन में है और यदि वह नहीं छोड़ता है तो दूसरा जुर्म करता है। अब इस दूसरे जुर्म के लिये दूसरी सजा होगी। तो इसको डबल पनिशमेंट नहीं कहा जा सकता है। अब श्रीमन्, मैं इस समय अधिक डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, क्योंकि समय नहीं है लेकिन जिस समय यह सदन धारा-धारा पर विचार करेगा और जिस समय यह धारायें आयेंगी उस समय जो विचार उपस्थित करने हैं, वह मैं करने का प्रयत्न करूंगा। अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों को सामने रखते हुये और इस बात को देखते हुये कि अधिकांश माननीय सदस्यों ने केवल इस बात पर आपत्ति की है कि किराया निर्धारित नहीं है जिसके लिये मैं निवेदन कर चुका हूं कि वह अपने हाथ में नहीं है और इस बात पर भी आपत्ति की कि किराया उन मजदूरों पर नहीं लगना चाहिये कि जो फैक्टरी ऐक्ट के अन्तर्गत आते हों, उसके लिये भी मैं आपसे निवेदन कर चुका कि वह भी अपने हाथ में नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुये मैं समझता हूं कि इस विधेयक के प्रवर समिति में जाने की आवश्यकता नहीं है और इस विधेयक को इसी रूप में यह सदन पास करेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चित करता है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था विधेयक, १९५४ इस सदन द्वारा निर्मित एक प्रवर समिति के पास निर्दिष्ट किया जाय, जो १५ दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था विधेयक, १९५४ पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१९ सितम्बर, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर)

सूची

जिले	मुर्गे	मुर्गियां	योग
१--देहरादून	११	३८	४९
२--सहारनपुर	११	१५	२६
३--अलीगढ़	९	१३	२२
४--एटा	२४	४५	६९
५--मथुरा	१७	३९	५६
६--नैनीताल	१०	२०	३०
७--रामपुर	७	१२	१९
८--मुरादाबाद	५	९	१४
९--पीलीभीत	३	१२	१५
१०--लखीमपुर-खीरी	२३	३९	६२
११--बहराइच	४	९	१३
१२--गोंडा	२	१०	१२
१३--सीतापुर	४	१५	१९
१४--बाराबंकी	२	३	५
१५--उन्नाव	७	१२	१९
१६--फैजाबाद	७	२५	३२
१७--मुजफ्फरनगर	७	११	१८
१८--प्रतापगढ़	३	३	६
१९--लखनऊ	४९	११५	१६४
२०--हरदोई	७	२०	२७
२१--मिर्जापुर	५	७	१२
२२--बरेली	४	१३	१७
२३--आजमगढ़	१८	२६	४४
२४--जौनपुर	३	६	९
२५--गोरखपुर	३	८	११
२६--मेरठ	१०	१८	२८
२७--फतेहपुर	५	४	९
२८--कानपुर	८	१४	२२
२९--झांसी	३१	३१	६२
३०--आगरा	१	७	८
३१--बस्ती	६	१७	२३
३२--इटावा	११	२३	३४
३३--बांदा	६	६	१२
३४--इलाहाबाद	२	७	९
३५--सुल्तानपुर	३	९	१२
	३२८	६६१	९८९

उत्तर प्रदेश सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १० पर)

विधान सभा के वर्तमान सत्र के १० वें सोमवार के लिये निर्धारित श्री झारखंडे राय, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६ से संबंधित सूची।

१—देहरादून	२—सहारनपुर
३—मुजफ्फरनगर	४—मेरठ
५—अलीगढ़	६—मथुरा
७—आगरा	८—मैनपुरी
९—बरेली	१०—बिजनौर
११—शाहजहांपुर	१२—फर्रुखाबाद
१३—इटावा	१४—फतेहपुर
१५—इलाहाबाद	१६—हमीरपुर
१७—जालौन	१८—बनारस
१९—जौनपुर	२०—बलिया
२१—बस्ती	२२—नैनीताल
२३—अलमोड़ा	२४—गढ़वाल
२५—टेहरी-गढ़वाल	२६—सीतापुर
२७—हरदोई	२८—खीरी
२९—बहराइच	३०—प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११ पर)

विधान सभा के वर्तमान सत्र के १० वें सोमवार के लिये श्री श्रीचन्द के तारांकित प्रश्न संख्या १३ के उत्तर में उल्लिखित अनुसूची ।

वर्कशापों में बनाया जाने वाला सामान

१--बैलों द्वारा चलने वाले यंत्र सी० जी० हल, प्रेशर रेक्स और हैरो सीड ड्रिल इत्यादि ।

२--इन्टर्नल कम्बस्शन इन्जिनों के भाग, ट्रांसमिशन के भाग जिनमें गियरिंग और शैफ्टिंग शामिल हैं ।

३--बिजली का सामान जैसे ११ किलोवाट के इन्सुलेटर पिन जो हाइडेल विभाग में इस्तेमाल होते हैं ।

४--लोहे का सामान जिनमें वेल्डिंग या रिवेटिंग की आवश्यकता हो ।

५--पीतल, एलुमुनियम, लोहे इत्यादि की ढलाई का काम ।

६--स्लाटेड पाइप, केसिंग पाइप व दूसरे पाइप ।

७--महीन मशीन का काम ।

८--हाथ से चलाई जाने वाली मशीनें ।

९--हर प्रकार का लकड़ी का काम ।

१०--कृषि की मशीनें और १० हार्स पावर के सेंट्रीफ्यूगल पम्प ।

११--मशीनें, लेथ, प्लानिंग मशीनें और ऐसी दूसरी मशीनें ।

१२--हर प्रकार का फोर्जिंग का काम ।

१३--ट्रकों का ढांचा बनाना और ट्रेलर बनाना ।

मरम्मती काम

१--गाड़ियां व ट्रैक्टरों की सब प्रकार की मरम्मत ।

२--ट्रैक्टरों और बैलों द्वारा चलने वाली मशीनों की मरम्मत ।

३--बिजली के जेनरेटर, मोटर, पम्प तथा दूसरी मशीनों की मरम्मत ।

विधान सभा सचिवालय

तख्ती 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४ पर)

विधान सभा के १० वें सोमवार १९-९-५५ की बैठक के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या ५४ से संबंधित सूची ।

१--फैजाबाद	१,००,०००
२--बस्ती	१,००,०००
३--आजमगढ़	१,२५,०००
४--सुल्तानपुर	६०,०००
५--गोरखपुर	१,००,०००
६--जौनपुर	१,००,०००
७--बहराइच	२०,०००
८--गोंडा	१०,०००
९--प्रतापगढ़	१०,०००
१०--इलाहाबाद	४५,०००
११--बाराबंकी	१०,०००
१२--देवरिया	३५,०००
१३--बनारस	१०,०००
१४--बलिया	२०,०००
१५--राय बरेली	१०,०००
१६--गाजीपुर	१०,०००
कुल	७,६५,०००

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४ पर)

विधान सभा के वर्तमान सत्र के १० वें सोमवार के लिये निर्धारित श्री रामनारायण त्रिपाठी द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ५५ से संबंधित सूची ।

सरकार की ओर से १५ अगस्त तक बाहर से भेजे गये सामान का विवरण

नाम जिला	सीमेंट	टिन की चादरें	भूसा या अन्य चारा
१—आजमगढ़	१७६ टन	..	भूसा २ वैगन तथा घास ४ वैगन १५,००० रुपया
२—गोरखपुर	१,७८२ टन	९८ टन	भूसे की खरीद के लिये दिया गया ।
३—देवरिया	५४५ टन	..	२८ वैगन
४—फैजाबाद	१,३८६ टन	४२ टन	१०० वैगन भूसा तथा १५ मन फूस ।
५—सुल्तानपुर	५५० टन	२० टन	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये नत्थी च पीछे पृष्ठ २६ पर)

उत्तर प्रदेश मुलैसेज कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५५

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू०पी० मुलैसेज कंट्रोल ऐक्ट, १९४७ को संशोधित करने का

यू०पी० ऐक्ट, २३, १९४७।

विधेयक

यू० पी० मुलैसेज कंट्रोल ऐक्ट, १९४७ को आगे प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करना आवश्यक है;

यू०पी० ऐक्ट २३, १९४७।

अतएव एतद्द्वारा भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है —

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मुलैसेज कंट्रोल (संशोधन) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२—यू० पी० मुलैसेज कंट्रोल ऐक्ट, १९४७ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ के खंड (सी) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू०पी० ऐक्ट २३, १९४७ की धारा २ का संशोधन।

"(*c*) 'Molasses' means the heavy, dark coloured viscous liquid produced in the final stage of manufacture of sugar by vacuum or open pan, from sugarcane or *gur* when the liquid as such or in any form or admixture contains sugar."

३—मूल अधिनियम की धारा ३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू०पी० ऐक्ट २३, १९४७ की धारा ३ का संशोधन।

Molasses Board

"3. (1) There shall be established by the Government a Molasses Board for Uttar Pradesh.

(2) The Molasses Board shall be a body corporate having prepetual succession and a common seal and shall by the said name sue and be sued.

(3) The Molasses Board shall consist of—

(*a*) the Controller who shall be *ex-officio* chairman;

(*b*) ten members to be appointed by the Government of whom three shall be representative of sugar factories and three of distilleries;

(*c*) the Assistant Excise Commissioner (Molasses) who shall be *ex-officio* Secretary of the Board.

(4) The term of office of the members referred to in clause (*b*) shall be two years:

Provided that the term of office of a member nominated to fill a casual vacancy shall be the remainder of his predecessor's term of office:

Provided further that the Government may for any reason which may appear to it to be sufficient remove any such member at any time."

यू०पी० ऐक्ट २३, १९४७ में नयी धारा ३–ए का रखा जाना।

४—मूल अधिनियम की धारा ३ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ३–ए के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"3-A. The Molasses Board shall—

Functions of the Board

(*a*) advise on matters concerning the gardening and marketing of molasses, the price at which molasses are to be sold and generally on their allocation for distilleries and other purposes ; and

(*b*) perform such other functions as may be prescribed."

यू०पी० ऐक्ट २३, १९४७ की धारा ५ का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"5. (1) If the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do for maintaining supplies of molasses for distillation and other purposes or for securing their equitable distribution and availability at fair prices, it may, by order, provide for supply and distribution thereof and trade and commerce therein.

Powers to control Supply and distribution etc. of molasses,

(2) Without prejudice to the generality of the Powers conferred by sub-section (1) , an order made thereunder may provide—

(*a*) for controlling the price at which and the manner in which molasses may be bought or sold for any purpose and different price may be provided for different purposes;

(*b*) for regulating by licences, permits or otherwise the storage, supply, transport, distribution, disposal, acquisition, use or consumption of molasses ;

(*c*) for requiring any person or owner or occupier of a sugar factory to sell their molasses, held in stock or produced or to be produced in the factory to the State Government to the exclusion, complete or partial, of others or to such persons or class of persons and in such circumstances and upon such terms as may be specified in the order;

(*d*) for the taking of samples and grading and testing of molasses;

(*e*) for regulating or prohibiting any class of commercial or financial transactions relating to molasses, which in the opinion of the authority making the order, are, or, if unregulated, are likely to be, detrimental to the public interest;

(*f*) for collecting any information or statistics with a view to regulating or prohibiting any of the aforesaid matters;

(*g*) for requiring occupiers of sugar factories and persons engaged in the production, supply or distribution of or trade and commerce in, molasses, to maintain and produce for inspection such books, accounts and records relating to their business and to furnish such information relating thereto, as may be specified in the order; and

(*h*) for any incidental and supplementary matters, including in particular the grant or issue of licences, permits or other documents their terms and condition and the charging of fees therefor.

(3) Where molasses have, in pursuance of an order under clause (*c*) of sub-section (2) of section 3, been sold to the State Government, the State Government shall pay therefor the price which shall be—

42/23 multiplied by X.

(In this formula X is the price per maund, of sugarcane fixed by the Government in annas. The result obtained will be the price of molasses in pies).

(4) An order made under this section shall—

(*a*) in the case of an order of a general nature or affecting a class of persons, be notified in the official *Gazette*; and.

(*b*) in the case of an order directed to a specified individual, be served on such individual—

(i) by post or by delivering or tendering it to that individual, or

(ii) if it cannot be so delivered or tendered by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that individual lives, and a written report thereof shall be prepared and witnessed by two persons living in the neighbourhood.

(5) Any order made under this section shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any enactment other than this Act or any instrument having effect by virtue of any enactment other than this Act."

६—मूल अधिनियम की धारायें ६ से ८ तक निकाल दी जायं ।

यू० पी० ऐक्ट, २३, १९४७ की ६ से ८ तक की धाराओं का निकाल दिया जाना ।

७—मूल अधिनियम की धारा ९ में शब्द "shall" **और शब्द** "be forfeited" **के बीच में शब्द** "along with any box, receptacles, packages, or covering containing such molasses" **रख दिये जायं ।**

यू० पी० ऐक्ट २३, १९४७ की धारा ९ का संशोधन ।

यू० पी० ऐक्ट २३, १९४७ की धारा १२ का संशोधन।

८—मूल अधिनियम की धारा १२ में —

(१) उपधारा (१) में

(क) खंड (बी) के अन्त का फुलस्टाफ हटा दिया जाय तथा अंत के शब्द (molasses) के पश्चात् शब्द and any books accounts, documents or statements relating to transactions in such molasses" बढ़ा दिये जायं,

(ख) खंड (बी) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (सी) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(*c*) detain, search and arrest any person whom he has reason to believe to be guilty of any offence punishable under this Act ;"

(२) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (३) तथा (४) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(3) A police officer not below the rank of an officer in charge of a police station or an officer of the Excise Department or Revenue Department not below such rank as the State Government may prescribe may investigate into any offence punishable under this Act committed within the limits of the area in which such officer exercises jurisdiction."

"(4) Any such officer may exercise the same powers in respect of such investigation as an officer in charge of a police station may exercise in a cognizable case under the provisions of Chapter XIV, of the Code of Criminal Procedure 1898, and if sepcially empowered in that behalf by the State Government, such officer may, without reference to a magistrate, and for reasons to be recorded by him in writing stop further proceedings against any person concerned or supposed to be concerned in any offence punishable under this Act into which he has investigated."

यू०पी० ऐक्ट २३, १९४७ में एक नयी धारा १३-ए का रखा जाना।

९—मूल अधिनियम में धारा १३ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा १३-ए के रूप में रख दिया जाय—

Power of the Controller to compound offences.

"13-A. The Controller may accept from any person who is reasonably suspected of having committed an offence punishable under section 9, a sum of money not exceeding five thousand rupees by way of composition for the offence which may have been committed, and in all cases whatsoever in which any property has been seized as liable to confiscation under this Act may release the same on payment of the value thereof as estimated by him.

On the payment of such sum of money or such value, or both as the case may be, to the Controller, the accused person, if in custody, shall be discharged, the property seized shall be released and no further proceedings shall be taken against such person or property."

१०—मूल अधिनियम की धारा १५ में शब्द "person" तथा "from" के बीच में शब्द "or class of persons" रख दिये जायं। यू० पी ऐक्ट २३, १९४७ की धारा १५ का संशोधन।

११—मूल अधिनियम की धारा के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा १५–ए के रूप में रख दिया जाय— यू० पी० ऐक्ट २३, १९४७ में एक नयी धारा १५–ए का रखा जाना।

Bar to certain suits.

"15-A. (1) No suit shall lie in any civil court against the Government or any officer or person for damages for any act in good faith done, or ordered to be done, in pursuance of this Act or any Rules or Orders made thereunder.

(2) No civil court shall try any suit which may lawfully be brought against the Government in respect of anything done, or alleged to have been done, in pursuance of this Act, unless the suit is instituted with in six months after the date of the act complained of."

१२—मूल अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (२) में वर्तमान खंड (ए) से (जी) तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— यू०पी० ऐक्ट २३, १९४७ की धारा १६ का संशोधन।

"(*a*) the matters relating to the establishment of the Molasses Board;

(*b*) the manner and the procedure for the conduct of business and the discharge of functions by the Molasses Board;

(*c*) the procedure relating to the removal of members of Molasses Board; and

(*d*) matters which are to be and may be prescribed."

१३—(१) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन किया गया कोई या कार्य की गयी कोई बात जिसके अन्तर्गत प्रदत्त आज्ञा, किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही अथवा प्रयुक्त अधिक्षेत्र (jurisdiction) सम्मिलित है जो इस अधिनियम द्वारा संशोधित हुये मूल अधिनियम के अधीन वैध (validly) अथवा उपयुक्त रूप से कृत अथवा अकृत (done or omitted) अधिनियम होता तो उसके बारे में यह समझा जायगा कि वह कार्य अथवा बात मूल अधिनियम के अधीन वैध तथा उपयुक्त रूप से की गयी, प्रदत्त अथवा प्रयुक्त हुयी है। कार्यों तथा कार्यवाहियों का वैध होना।

(२) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले मूल अधिनियम के अधीन किये गये किसी काम अथवा की गयी किसी बात की वैधता के सम्बन्ध में इस आधार पर कि मूल अधिनियम का कोई उपबंध विधितः वैध (valid in law) नहीं था आपत्ति करने वाले सभी वाद तथा अन्य कार्यवाहियां समाप्त तथा विसर्जित (abated and dismissed) हो जायंगी।

उद्देश्य और कारण

यू० पी० मुलैसेज कंट्रोल ऐक्ट, १९४७ शीरे के उत्पादन, मूल्य तथा वितरण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अधिनियम किया गया था। विगत ८ वर्षों में इस अधिनियम की कार्यान्विति के फलस्वरूप कतिपय कठिनाइयों, और विशेषतः राज्य स्थिति शराब के कारखानों (distilleries) को सस्ती दरों पर नियमित रूप से शीरे के संभरण को सुनिश्चित करने के विषय में होने वाली कठिनाइयों, का अनुभव हुआ है। अधिनियम को कार्यान्विति के सम्बन्ध में कुछ संविधानिक कठिनाइयां भी उत्पन्न हुयीं। अतवएव इस अधिनियम को संशोधित करना आवश्यक प्रतीत होता है। प्रस्तावित विधेयक इसी उद्देश्य से तैयार किया गया है।

मिरधारी लाल,

आबकारी मंत्री।

विधान सभा सदस्य पुस्तिका